423

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
नई दिल्ली–110003

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.2023 के अनुपालन में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में प्रस्तुत ज्वाईन्ट कमेटी रिपोर्ट दिनांक 07.04.2023 पर आपत्तियॉ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश व जिला यमुनानगर हरियाणा के मध्य यमुना नदी बहती है जो The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 की परिभाषा के अनुसार गंगा नदी है और आदेश 2016 के प्रावधान व प्रतिबन्ध लागू है। जिसका लगभग आधा भाग हरियाणा राज्य में पड़ता है और आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहॉ लगातार अवैध खनन खनन माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में भारी मशीनों से जल धारा के अन्दर कर जल धारा को मोड़ दिया गया है व पर्यावरण को भारी क्षति पहुॅचायी गई है। जिसमें दोनों राज्यों के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी मिलकर यमुना फल्ड प्लेन में देश का सबसे बड़ा अवैध खनन फल्ड प्लेन में स्टोन क्रेशर स्थापित कराकर कर रहे है व पर्यावरण को क्षति पहुॅचवा रहे है। जिसकी जॉच के लिए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.01.2023 को आदेश किये गये है आदेश दिनांक 25.01.2023 में स्पष्ट किया गया था कि प्रभावित एंव स्थानीय लोगों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आदेशों के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा कमेटी के सदस्यों को विस्तार से विवरण दिनांक 7.02.2023 व 24.02.2023 को ईमेल व पत्र दिनांक 07.02.2023 को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया था। **ई मेल व डाक की रसीद की प्रतियॉ संलग्न है।**

1. ज्वाईन्ट कमेटी द्वारा स्थल निरिक्षण का दिनांक 10.03.2023 को गोपनीय रखा गया और खनन ठेकेदारों द्वारा व दोनों राज्यों के प्रशासन द्वारा जॉच स्थल की घेरा बन्दी की गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति मौके पर न पहुॅच सके काफी लोग आपत्तियॉ दर्ज कराने पहुॅचे लेकिन किसी को नही जाने दिया गया मै मौका पाकर किसी तरह पहुॅच कर अपना पक्ष रखा लेकिन राज्य के अधिकारियों द्वारा गलत व्यवहार किया गया उसके बावजूद भी मैने अपना पक्ष मौके पर सब दिखाकर व प्रमाणित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये लेकिन कमेटी द्वारा किसी भी प्रार्थना पत्र/आपत्ति/प्रमाणित साक्ष्यों को या मेरे मौके पर लिए गये ब्यान को दर्ज नही किया और न ही रिकॉर्ड पर रखा गया सभी तथ्य जानबूझकर छिपाये गये। यदि वह तथ्य रिपोर्ट में होते तो यह रिपोर्ट नही बन सकती थी इसलिए प्रस्तुत कमेटी रिपोर्ट तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार करने योग्य नही है। कमेटी द्वारा कोई कारण नही दिया गया की मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दिनांक 07.02.2023 व 10.03.2023 मा0 न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट के साथ क्यों प्रस्तुत नही किये गये है।
2. प्रार्थी निरिक्षण के समय दिनांक 10.03.2023 को बेलगढ़ हरियाणा पर गया जहॉ यमुना का जल प्रवाह अवैध खनन कर बदला गया है वहॉ पर जॉच कमेटी के समक्ष लगभग 2:00 बजे प्रार्थी अपना पक्ष मय दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने के लिए पहुॅचा। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भेजे गये सभी दस्तावेज मय प्रमाणित साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किये गये जिसको श्रीमान ए0डी0एम0 सहारनपुर को प्राप्त कर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। श्रीमान ए0डी0एम0 सहारनपुर द्वारा श्री शिवकुमार सर्वेयर सहारनपुर को दस्तावेज प्राप्त कर व खसरा नम्बरों की जानकारी कर उल्लेख करने का निर्देश दिया गया। प्रार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज व विवादित क्षेत्र के खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए श्री शिवकुमार सर्वेयर सहारनपुर को प्राप्त करा दिये गये। जिसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। यह सूचना दिनांक
10.03.2023 को ही ईमेल व रजिस्ट्री के माध्यम से प्रस्तुत कर दी थी **जिसकी प्रति साथ में संलग्न**

है। प्रार्थी द्वारा जॉच कमेटी को मौके पर यमुना नदी के बदले गये बहाव को बताया गया व अन्य तथ्यों की जानकारी दी गई। लेकिन कमेटी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित साक्ष्यों को छुपा लिया और उनको रिकॉर्ड पर नही लाया गया है।

3. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में कमेटी रिपोर्ट मंगाई गई थी जिनमें मिलिभगत को देखते हुए कार्यवाही के आदेश दिये गये थे और पुनः कमेटी का गठन किा गया था। प्रार्थी द्वारा यह सभी भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दस्तावेज व प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2023 की प्रति सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार को भी प्रेषित किये गये थे क्योंकि यमुना नदी में हो रहे खनन में प्रशासन के अधिकारी भी मिले थे और भ्रष्टाचार के प्रमाणित साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये थे यह सभी मिले हुए लोग कमेटी के भी सदस्य है। जिनके द्वारा पुनः मिलिभगत से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक जॉच के बाद वह माननीय न्यायायलय के आदेशों का संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा मामला दर्ज कर कम्पलैन्ट नं0 7290/2023 आवंटित किया गया है जिसको प्रार्थी को गोपनीय रखने के लिए लिखा गया है लेकिन मजबूरी में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। यमुना नदी में यह देश का सबसे बड़ा फल्ड प्लेन पर अवैध खनन एंव स्टोन क्रेशर स्थापना का मामला है जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। **केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी की प्रति संलग्न है।**

4. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.01.2023 को आदेश से एक ज्वाईन्ट कमेटी का गठन सचिव जल शक्ति मन्त्रालय से एक ज्वाईन्ट कमेटी का गठन सचिव जल शक्ति मन्त्रालय की अध्यक्षता में किया गया था दिनांक 07.04.2023 को ज्वाईन्ट कमेटी की रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसकी प्रति एन0जी0टी0 की वेबसाईट पर लोड की गई है। कमेटी की रिपोर्ट पर आपत्तियॉ निम्न प्रकार है–

1. कमेटी रिपोर्ट का पैरा 1 व 2 तथ्य पर आधारित कोई आपत्ति की आवश्यकता नही कमेटी की रिपोर्ट पैरा 3 में दिनांक 02.03.2023 को विडियो कान्फ्रेसिंग से की गई मिटिंग की मिनट्स ऑफ मिटिंग की प्रति ज्वाईन्ट कमेटी रिपोर्ट के साथ संलग्न है। मिनट्स के निम्न पैरा महत्वपूर्ण है–

"3. Shri N.K Das, Joint Director Mining Department, Saharanpur informed that mining in question M/s Star Mines, Gata No 01, Village Bartha Korsi, Tehsil Behat, District Saharanpur was permitted 36 hactare Mining lease area for the period of five years and granted Environment Clearance (EC) from SEIAA and permission from the Mining Department.

It is also to be noted that the Belgarh is approximate one kilometer away from the mining area of Star Mines.

4. Shri N.K. Goel, Hyedrologiest IITR, Roorkee informed that the interstate boundry can be decided through 1900 Survey of India, Khasra Map. The river course and the mining area coordinates was decided through 50 years, 25 years and 5 years flood lines of the river. The timelines for mining are also fixed from sunrise to sunset and mining is not allowed during monsoon season (15 June-15 October). The change of river course is a dispute of changing river course may be resolved by deciding the rights of river. It is requested to allow two expert persons from IITR to accompany during the site visit. "

उपरोक्त मिटिंग में खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की खनन पटटे की बेलगढ़ से दूरी 1 किमी0 है व आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा फ्लड प्लेन इन्टर स्टेट बाऊण्ड्री जल धारा परिवर्तन की जॉच के लिए तरीका व 2 विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लेकिन यह कोई प्रक्रिया नही अपनायी गई है।

2. कमेटी रिपोर्ट के पैरा 4 में दिनांक 10.03.2023 को उपस्थित सदस्यों की सूची दी गई है जिसमें हरियाणा के 8 सदस्य उत्तर प्रदेश के 7 सदस्य एक एक प्रमुख व एक आई0आई0टी0 रूड़की के हाईड्रोलॉजिस्ट थे। लेकिन जो ज्वाईन्ट कमेटी की रिपोर्ट बनायी गई है वह केवल हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बनायी गई है जो ज्वाईन्ट कमेटी रिपोर्ट के साथ अलग से संलग्न है यह सब रिपोर्ट निरिक्षण दिनांक 10.03.2023 के बाद दिनांक 15.03.2023 में बनी है। ज्वाईन्ट कमेटी रिपोर्ट पर कोई दिनांक हस्ताक्षर करने का नही है अपने आप में रिपोर्ट स्पष्ट है। लेकिन आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा या कमेटी अध्यक्ष जल शक्ति मन्त्रालय द्वारा अपनी कोई रिपोर्ट अलग से नही दी गई है। रबर स्टाम्प की तरह हस्ताक्षर किये गये है।

उत्तर प्रदेश सरकार के जो सदस्य है वह सब वही सदस्य है जिन्होने डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट बनायी है ई0सी0 जारी की गई सी0टी0ओ0 जारी की गई और जिला प्रशासन जिनकी देख रेख में यह सब गढ़बड़ हुए उनके द्वारा पहले अपने दस्तावेजों को सत्यापित किया जा रहा है अवैध खनन में मिलिभगत होने के यही लोग आरोपी है इन्ही को कमेटी का सदस्य बनाया गया आरोपी कभी जज नही हो सकता।

3. पैरा नं0 5 **“Demarcation of the area to ascertain where the mining is allowed and where it is actually taking place. Demarcation may specify the inter-state borders”** में इन्टरस्टेट बाउण्ड्री का सीमांकन किया जाना था जिसको आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसके अनुसार नही किया गया और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वह सब कमेटी के सदस्यों द्वारा जारी किये गये है पहले किस लिए उनको सही मानते हुए कथन किये गये है कमेटी के आने से लगभग 1 माह पूर्व से इस क्षेत्र को ठीक किया जा रहा था जिसकी सूचना हमारे द्वारा पहले भी भेजी गई थी। ताकि वास्तविक स्थिति को छुपाया जा सके और ऐसा ही हुआ पूरी रिपोर्ट में खनन का 100 प्रतिशत ठीक बताया गया है कही कोई कमी नही पायी गई है जो एक आश्र्चय का विषय है अब से पहले जो रिपोर्ट बनायी गई थी उनमें जो कमिया पायी गई थी उनको बिना ठीक करे हुए ही ठीक हो गई है।

जो डिमार्केशन दोनों राज्यों के राजस्व विभागों द्वारा किया गया है उनके द्वारा जो बिन्दु लोंगीटयूट व लैटीटयूट से लिए गये है वह कहॉ से लिये गये है स्पष्ट नही किया गया है क्योंकि नीलामी नोटिस में लोंगीटयूट व लैटीटयूट अलग है और पर्यावरण सहमति में अलग है और खनन पटटे में अलग है। यह तथ्य कमेटी द्वारा स्पष्ट नही किया गया है लेकिन इससे पूर्व अपील नं0 15/2021 प्रमोद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इसी खनन लॉट की जॉच के लिए कमेटी गठित की गई थी जिसमें ज्वाईन्ट कमेटी द्वारा डिमार्केशन को गलत पाया गया था और ई0सी0 में संसोधित करने के लिए कहा गया था व इस लॉट को यमुना नदी की जल धारा के मध्य पाया गया था उसको भी ई0सी0 में संसोधन के लिए कहा गया था उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसका अनुपालन अभी तक नही किया गया रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेज नं0 260 से 273 तक संलग्न की गई थी लेकिन कमेटी द्वारा जानबूझकर उस पर संज्ञान नही लिया गया उसका मुख्य भाग निम्न प्रकार है–

“ 8. The grounds for challenging the EC issued by SEIAA are mentioned in the Hon'ble NGT order is as given below

8.1. Grant of EC for area more than the area mentioned in the auction notice

8.1.1. The district mining office has issued notice for auction of 06 mine lease area on 01.11.2019. The mine area in question is listed at Sr No 5 in the tables given in Point No.1.
8.1.2. The mine lease area indicated in the notice is 36 hectares.
8.1.3. The SEIAA has issued TOR & EC to the proponent on 30.06.2020 & 26.03.2021 respectively.
8.1.4. The sanctioned lease area as per EC is also 36 hectares.
8.1.5. The geocoordinates have been defined both in the auction notice issued by the mining department and EC issued by SEIAA.
8.1.6. All longitude mentioned in EC is attached with the abbreviation 'N', in place of desired abbreviation 'E'. This requires immediate correctness.
8.1.7. The geocoordinates mentioned in EC defining mine lease boundary are alike for all points (i.e., Point A-H) with geocoordinates mentioned in the Mining plan by Directorate of Geology and Mining dated 13.03.20202. However, the geocoordinates mentioned in EC defining mine lease boundary are matching for five points (i.e., Point A-E) with geocoordinates mentioned in the auction notice. However, geocoordinates are not matching for three points (i.e., Point F-G). The above discrepancies are yet to be verified and needs to be corrected in sanctioned EC.
8.1.8. The geocoordinates mentioned in EC defining mine lease boundary are matching for five points (i.e., Point A-E) with geocoordinates mentioned in the auction notice. However, geocoordinates are not matching for three points (i.e., Point F-G).
8.1.9. Thus, the geocoordinate data mentioned in EC is not fully matching with the data mentioned in the auction notice. And it requires immediate attention for necessary correctness.
8.2. Mining being allowed in-stream and by mechanized methods
8.2.1. Open cast manual/semi-mechanized mining method is defined in the EC issued by SEIAA.
8.2.2. It was told by the proponent and the Mining Inspector that heavy machinery has not been used in the excavation. Only Pokland machines have been used in mining.
8.2.3. The allotted mine area is plotted on the Google Earth software.
As per the Google Earth image of November 2020, the allotted lease area (Pole A-H) spread across the stream of the River Yamuna.
8.2.4. Thus, the operation of the mining is semi-mechanized but the allotted lease area needs to be reviewed with reference to the river course to avoid instream mining."

4. इस रिपोर्ट को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा स्वीकार किया गया है लेकिन कमेटी द्वारा यह सब तथ्य छिपा लिए है जल धारा परिवर्तन का मामला आई0आई0टी0 रूड़की को तय करना था लेकिन मामला उनसे तय न कराकर एक सिंचाई विभाग द्वारा गूगल अर्थ के बिना तथ्य दिखायी देने वाले फोटो लगाकर प्रस्तुत कर दिये गये किसी साईंटिफिक तरीके से एक्सर्पट द्वारा जल धारा का निष्कर्ष नही दिया गया और खनन क्षेत्र को गूगल पर जानबूझकर मार्क नही किया गया है गूगल अर्थ 2022 का फोटो हमारे द्वारा खनन क्षेत्र को मार्क कर प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट है कि खनन क्षेत्र के बाहर खनन चल रहा है वह जल धारा को मशीनों के द्वारा रोका गया है इस तथ्य को फोटो छोटा दिखाकर छिपाया जा रहा है।

5. कमेटी रिपोर्ट के पैरा नं0 5.5 में सिचांई विभाग की रिपोर्ट लगायी गई है जिसमें कहा गया है कि गूगल अर्थ दिनांक 15.02.2022, 25.11.2021, 04.12.2019, 30.11.2018, 09.12.2018 व 23.12.2016 की फोटो से जल धारा परिवर्तन नही दिख रहा है बिल्कुल गलत रिपोर्ट के साथ कोई गूगल अर्थ

427

फोटो नही लगे है अलग से जो लगे है और वह बहुत छोटे है कुछ भी स्पष्ट नही है इसमें किसी एक्सर्पट या सोफ्टवेयर का इस्तेमाल नही किया गया है जबकि गूगल अर्थ पर प्रार्थी द्वारा खनन क्षेत्र को चिन्हित किया गया है जिसमें स्पष्ट दिनांक 15.02.2022, 25.11.2021, 04.12.2019, 30.11.2018, 09.12.2018 व 23.12.2016 में खनन क्षेत्र लगातार जल धारा के अन्दर पड़ता है दिनांक 15.02.2022 के फोटो में नीले रंग का गोला बना है जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है की जल धारा को रोक कर धारा परिवर्तन किया गया है और ट्रक को उस बांध से पास किया जा रहा है और खनन क्षेत्र के बाहर मशीन से अवैध खनन साफ दिख रहा है कमेटी द्वारा जानबूझकर तथ्य छिपाये गये है मा0 न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है जिसका सत्यापन किसी भी एजेन्सी से कराया जा सकता है जबकि यहॉ तो आई0आई0टी0 रूड़की तक की डयूटी नही लगायी गई थी। **गूगल अर्थ की फोटो संलग्न है।** जलधारा परिवर्तन व अवैध खनन के ड्रोन के फोटो समय समय पर भेजे गये है लेकिन कमेटी द्वारा कोई संज्ञान जानबूझकर नही लिया गया है।

उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार नीलाम खनन क्षेत्र अलग क्षेत्रफल है और ई0सी0 का क्षेत्रफल भिन्न है नीलाम 31 है0 का किया गया ई0सी0 36 है0 की जारी की गई है गूगल मैप पर नीलाम क्षेत्र को पीले रंग से व ई0सी0 के क्षेत्र को लाल रंग से दिखाया गया है दोनो क्षेत्र में भिन्नता स्पष्ट है। इस तथ्य का खुलासा जानबूझकर कमेटी द्वारा नही किया गया है रिपोर्ट के अनुसार कोई संसोधन ई0सी0 में नही कराया गया है।

गाईडलाइन्स के अनुसार जलधारा के अन्दर खनन प्रतिबन्धित है उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार खनन क्षेत्र जलधारा के अन्दर पड़ता है जिसके लिए कमेटी द्वारा पर्यावरण सहमति में संसोधन के लिए कहा गया था जो आज तक भी नही करायी गई है लेकिन कमेटी द्वारा यह सारे तथ्य जानबूझकर छुपा लिये गये।

6. ज्वाईन्ट कमेटी रिपोर्ट में दोनों राज्य के राजस्व विभाग द्वारा सीमा पिल्लर बनाये गये है रिपोर्ट पेज नं0 337 पर लगी है जिसमें खनन क्षेत्र के एच बिन्दु से बेलगढ़ की दूरी मात्र 22 मीटर दिखायी गई है जबकि इससे पूर्व रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 के पेज नं0 के 07 पर रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 लगी है जिसमें लिखा है कि सिहददा से हरियाणा सीमा की दूरी 2056 मीटर है ज्वाईन्ट कमेटी की मिटिंग में इन्ही अधिकारियों द्वारा कमेटी की बैठक दिनांक 02.03.2023 में खनन अधिकारी द्वारा बेलगढ़ की सीमा से दूरी 1 किमी0 से अधिक दिखायी गई है। जिससे स्पष्ट है कि वास्तविक खनन क्षेत्र की जानकारी नही है और खनन अवैध तरीके से किया गया है। यदि 1 किमी0 दूर था और अब 22 मीटर दूर है तो माईनिंग क्षेत्र के अन्दर कैसे हुई।

7. पैरा नं0 6 " Whether and to what extent mining in the area is desirable without damage to the environment and if so, subject to what conditions. In this connection, the Committee may also consider section 32 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. "

कमेटी द्वारा अभी तक किये गये खनन मात्रा का कोई विवरण जानबूझकर नही दिया गया है क्योंकि जो खनन एक वर्ष में करना था वह मात्र 4 माह मे कर लिया गया था और एमएम–11 की जॉच नही की गई ई0सी0 की शर्तो के विरूध ओवरलोड माल बेचा गया। खनन क्षेत्र Sustainable Sand Mining Management Guidelines - 2016 व Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार नही बना है DSR 2017 में यह लॉट शामिल नही था बिना DSR में शामिल किये ही नीलाम किया गया DSR में संसोधन का कोई प्रावधान नही है इसलिए भी इसमें खनन नही हो सकता है। खनन क्षेत्र को गूगल अर्थ पर दिखाया गया है पैरा 5.5 में विवरण दिया गया है वर्ष 15.02.2022, 25.11.2021, 04.12.2019, 30.11.2018, 09.12.2018 व 23.12.2016 में यह खनन क्षेत्र लगातार जल धारा के अन्दर है और जल

धारा में खनन प्रतिबन्धित है यह तथ्य रिपोर्ट में छुपाया गया है इसलिए इस खनन क्षेत्र में भविष्य में खनन नही किया जा सकता है।

जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह बड़ा ही आश्चर्यजनक है क्योंकि मा0 न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट चाही गई थी वह रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है क्योंकि यह क्षेत्र हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यहॉ का जल स्तर लगातार गिर रहा है फ्लड प्लेन पर अंसख्य स्टोन क्रेशर स्थापित है और फ्लड प्लेन पर कोई भी औद्योगिक स्थापना किया जाना प्रतिबन्धित है खनन भी न्यायालय द्वारा Original Application No. 692/2022, Junaid Ayubi Vs State of Uttarakhand के आदेश दिनांक 30.01.2023 में प्रतिबन्ध की श्रेणी में माना गया है–

"Mining is in river bed contrary to sustainable mining norms. Notification dated 14.02.2022 issued by the MoEF&CC prohibits any industry, which includes mining in river floodplain. The same is reproduced below:-

"5. xxx ……..xxx……xxx

"Industries shall not be located within the river flood plain corresponding to one in 25 years flood, as certified by concerned District Magistrate/Executive Engineer from state water resource Deptt. or any other officer authorised by State Govt. for this purpose."

आदेश की प्रति संलग्न है।

8. इसी क्षेत्र में निजि भूमि के नाम पर फ्ल्ड प्लेन प्रतिबन्धित क्षेत्र में असंख्य खनन बिना ई0सी0 व सी0टी0ओ0 व सी0टी0ई0 के कराया गया है और चल रहा है लेकिन ज्वाईन्ट कमेटी ने सभी तथ्य छिपाये है हजारों करोड़ का घोटाला है खनन इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष में मिलिभगत से हुआ है लेकिन कमेटी द्वारा इस तथ्य पर सभी जानकारियॉ छुपा ली गई है क्योंकि अवैध खनन का असली कारण ही फ्लड प्लेन के ऊपर व उसके पास स्टोन क्रेशर संचालित है जिनको मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दीपक कुमार मामले में इसी क्षेत्र में सी0ई0सी0 रिपोर्ट के बाद डिस्मेन्टल करा दिये गये थे लेकिन प्रशासन की मिलिभगत के कारण उन सब को संचालित करा दिये गये है लेकिन यह सब तथ्य कमेटी द्वारा मय प्रमाणित साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किये गये थे लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व उपस्थिति सब को जानबूझकर छुपाया गया है इसलिए रिपोर्ट एक तरफा मिलिभगत का नतीजा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का स्वंय न्यायालय अवलोकन करेगी तो स्वंय जानकारी हो जाएगी और रिपोर्ट अपने आप में गलत साबित होगी। रिपोर्ट निरस्त करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि 390 पृष्ठ के प्रमाणित साक्ष्यों को अपनी जॉच में शामिल न करना प्रार्थी की उपस्थिति को दर्ज न करना अपने आप में रिपोर्ट को गलत साबित करता है।

9. पैरा 6.2 में रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी को गाईडलाईन्स 2020 के अनुसार जिला कमेटी के द्वारा एप्रूव करना बताया गया है इसको SEAC & SEIAA से आजतक प्रमाणित नही कराया गया है जबकि यह गाईडलाईन्स के अनुसार नही बनी है क्योंकि गाईडलाईन्स के अनुसार 4 डाटा लिए जाने अनिवार्य है जो नही लिये गये। दोनों राज्यों में खनन यमुनानगर व सहारनपुर की सीमा पर यमुना नदी में हो रहा है और नीलाम चल रहे है डी0एस0आर0 गाईडलाईन्स के 2020 के अनुसार दोनों जिलों की सहमति से बनाकर दोनों जिलों की वैबसाईट पर आपत्तियॉ मांगनी है लेकिन दोनों के द्वारा गलत डी0एस0आर0 बनाया गया है तथ्यों को कमेटी द्वारा जानबूझकर छुपाया गया है रिकॉर्ड से जॉच की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा विस्तार से अपने प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

10. पैरा 6.3 में The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 के अनुपालन में कहा गया है कि 10 क्यूबिकमीटर पानी हथनीकुण्ड बैराज से पानी छोड़ा जाता है जबकि देखा जाना यह था कि फ्लड प्लेन पर दोनों राज्यों की सीमा पर खनन हो रहा है व खनन जलधारा के अन्दर हो रहा है व फ्लड प्लेन पर प्रतिबन्धित क्षेत्र पर स्टोन क्रेशर लगे है और लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। जिसको कमेटी द्वारा छिपा लिया गया।

11. पैरा नं0 7.1 "Present monitoring mechanism in the State of Haryana. " अवैध खनन के विरूध कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है–

"(i)Presently, seven check posts have been installed throughout the major routes of district Yamuna Nagar to strictly monitor the transportation of illegally mined minerals. Officials of mining and police department check the e-way bill of each vehicle. Since September 2022, 255(till Feb 28, 2023) Number of vehicles involved in illegal transportation and illegal mining have been caught in District Yamuna Nagar."

हरियाणा सरकार द्वारा ओ0ए0 446/2022 में शपथ पत्र निदेशक खनन दिनांक 22.03.2023 प्रस्तुत किया जिसमें अवैध खनन कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

" 3. ..... Further, independent teams of police and mining are also keeping regular checks on illegal mining through surprise visits. ln district Yamuna Nagar, there were 1615 vehicles were seized in illegal mining and illegal transportation since from August 2019 till Feb 28, 2023 and vehicles released out of these vehicles have paid Rs. 17,90,65,1421- as environmental compensation and Rs 1,45,59,880/- was recovered as Royalty, Price of mineral and fine and a total of 145 FIR were also registered from August 2019 till Feb 28,2023."

शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कमेटी द्वारा सभी तथ्य छुपाये गये है कमेटी द्वारा कोई विवरण स्पष्ट नही दिया गया है ओ0ए0 446/2022 में स्पष्ट विवरण दिया गया है। चैक पोस्ट स्थापना दिखावे की है इन चैक पोस्ट पर ही ठेकेदारों द्वारा अवैध खनन की वसूली की जाती है गोपनीय जॉच करायी जा सकती है।

रेत की आड़ में लगातार पत्थर खुदाई हो रही है केवल ई रवन्ना जारी किये जाते है माल यमुना नदी से अवैध खनन किया जाता है। लेकिन कमेटी द्वारा कोई जाूच नही की गई है कमेटी द्वारा यमुनानगर में फर्जी रवन्नों की जॉच की जाए जो बड़े पैमाने पर किया गया जो रिकॉर्ड पर मौजूद है व प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पत्र दिनांक 07.02.2023 के साथ उपलब्ध कराये गये थे।

12. पैरा नं0 7.2 "Present monitoring mechanism in the State of UP. "

(g) From April, 2022 to 13th March 2023, 410 vehicles involved in illegal transportation have been caught through UP mines digital support system electronic check gates and revenue collected from seized vehicle is 1,41,18,820/-

S.No	No of vehicle seized other than DSS electronic check gates	Revenue collected from vehicle seized other than DSS	Complaint/FIR

430

		electronic check gates	
1.	477	2,88,87,000/-	17

हरियाणा में वर्ष 2019 से 2023 तक 1615 वाहन सीज किये गये जिनसे 1.5 करोड़ रायल्टी व 18 करोड़ पर्यावरण क्षति वसूल की गई है।

उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में 11 माह में 987 वाहन से 3.25 करोड़ रायल्टी वसूली गई है किसी से भी पर्यावरण क्षति वसूल नही की गई है जो लगभग 50 करोड़ रू0 हरियाणा की गणना के अनुसार बैठती है केवल 11 माह की तीन वर्ष की लगभग 150 करोड़ रू0 वसूली नही की गई है कमेटी द्वारा छुपाया गया है।

उपरोक्त गणना घोषित अवैध खनन वाहनों की है जो नाम मात्र के है जॉच के नाम पर उन ट्रको को पकड़ा जाता है जो पहली बार आते है या जो सिस्टम के साथ नही चलते है जब भी जॉच टीम क्षेत्र पर जाती है तो उसकी सूचना पहले ही दे दी जाती है उस समय सिस्टम में काम करने वाले लोग अपने वाहन खड़े कर लेते है वास्तव में यमुना नगर व सहारनपुर से लगभग 3000 ट्रक प्रतिदिन मिलिभगत से अवैध खनन के अभिवहन हो रहे है अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितने राजस्व रायल्टी का व पर्यावरण क्षति पहुॅचायी जा रही है गोपनीय जॉच मे तथ्य सामने आएंगे। प्रार्थी द्वारा अवैध खनन के भेजे गये साक्ष्यो को छुपाया गया है।

इसी क्षेत्र की अवैध खनन की जॉच दीपक कुमार केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी0ई0सी0 द्वारा करायी गई व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा हाई पॉवर कमेटी से भी जॉच इस क्षेत्र की करायी गई व समय पर अवैध खनन पाया गया लेकिन उक्त कमेटी द्वारा सभी तथ्यों का जानबूझकर अन्देखा कर दिया गया। प्रकरण की जॉच प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की किसी केन्द्रीय एजेन्सी (जैसे सी0बी0आई0, आई0बी0) से गोपनीय तरीके से करायी जाएगी तो एक बड़ा खुलासा पर्यावरण क्षति एंव राजस्व क्षति का होगा क्योंकि राज्य स्तर के सभी विभाग अवैध खननकर्ताओं एंव ठेकेदारों से साज किये हुए है और वह पूर्ण रूप से हावी है कोई भी रिपोर्ट निष्पक्ष प्रस्तुत नही हो रही है सब कुछ ठीक दिखा दिया जाता है एक अधिकारी दूसरे को कॉपरेट करता है। इसलिए मा0 न्यायालय के आदेश के बाद भी किसी एक्सर्पट एजेन्सीयों या सोफ्टवेयर व इसरो के डाटा का इस्तेमाल नही किया गया है सभी प्रमाणित साक्ष्य पहले से प्रस्तुत किये गये है पुनः मेल से भेजा जाना सम्भव नही है इसलिए पूर्व में भेजे गये दस्तावेज दिनांक 07.02.2023 व 10.03.2023 को भेज गये साक्ष्य अलग से हार्ड कॉपी मे भी भेजे जा रहे है और पहले भी मेल व पोस्ट के द्वारा भेजे गये है पूरा लॉट जलधारा के अन्दर है पिछले सभी वर्षो में गूगल अर्थ पर जल धारा के अन्दर है भविष्य में खनन नही हो सकता है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त ज्वाईन्ट कमेटी रिपोर्ट को निरस्त करते हुए प्रस्तुत प्रमाणित साक्ष्यों का सत्यापन केन्द्रीय जॉच एजेन्सीयों से अलग अलग गोपनीय तरीके से कराया जाए जिसमें राज्य के अधिकारियों को शामिल न किया जाए उसके पश्चात भ्रष्टाचार व पर्यावरण क्षति के दोषियों के विरूध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

दिनांकः— 21.04.2023
संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

जहॉगीर पुत्र दीन मोहम्मद
मकान नं0 656, ओल्ड हमीदा
यमुनानगर, हरियाणा

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Wed, Feb 8, 2023 at 7:42 PM
To: secy-mowr@nic.in
Cc: chairman.seiaa.up@gmail.com, chairman@uppcb.in, secy-moef@nic.in, sameersrow@hotmail.com, rg.ngt@nic.in, judicial-ngt@gov.in, cvc@nic.in, csup@nic.in, cs@hry.nic.in, kaushalsanjeev@hry.nic.in, hspcb@hry.nic.in

PLEASE FIND THE ATTACHEMNT

REPRESENTATION TO COMMETTE OA 268 OF 2021 JAHANGIR PART 2.pdf
24828K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Wed, Feb 22, 2023 at 3:35 PM
To: wrdtc@iitr.ac.in, p.garg@ce.iitr.ac.in

---------- Forwarded message ---------
From: **jahangir ali** <jahangirhamida1980@gmail.com>
Date: Wed, Feb 8, 2023 at 7:42 PM
Subject: मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।
To: <secy-mowr@nic.in>
Cc: <chairman.seiaa.up@gmail.com>, <chairman@uppcb.in>, <secy-moef@nic.in>, <sameersrow@hotmail.com>, <rg.ngt@nic.in>, <judicial-ngt@gov.in>, <cvc@nic.in>, <csup@nic.in>, <cs@hry.nic.in>, <kaushalsanjeev@hry.nic.in>, <hspcb@hry.nic.in>

PLEASE FIND THE ATTACHEMNT

REPRESENTATION TO COMMETTE OA 268 OF 2021 JAHANGIR PART 2.pdf
24828K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Wed, Feb 8, 2023 at 7:38 PM
To: secy-mowr@nic.in
Cc: rg.ngt@nic.in, judicial-ngt@gov.in, secy-moef@nic.in, cvc@nic.in, csup@nic.in, kaushalsanjeev@hry.nic.in, hspcb@hry.nic.in, chairman.seiaa.up@gmail.com, chairman@uppcb.in

PLEASE FIND THE ATTACHMENT

PART 1 REPRESENTATION TO OMMEETEE OA 268 OF 2021 JAHANGIR.pdf
20896K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Wed, Feb 22, 2023 at 3:28 PM
To: wrdtc@iitr.ac.in, p.garg@ce.iitr.ac.in

---------- Forwarded message ---------
From: **jahangir ali** <jahangirhamida1980@gmail.com>
Date: Wed, Feb 8, 2023 at 7:38 PM
Subject: मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।
To: <secy-mowr@nic.in>
Cc: <rg.ngt@nic.in>, <judicial-ngt@gov.in>, <secy-moef@nic.in>, <cvc@nic.in>, <csup@nic.in>, <kaushalsanjeev@hry.nic.in>, <hspcb@hry.nic.in>, <chairman.seiaa.up@gmail.com>, <chairman@uppcb.in>

PLEASE FIND THE ATTACHMENT

PART 1 REPRESENTATION TO OMMEETEE OA 268 OF 2021 JAHANGIR.pdf
20896K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Fri, Mar 10, 2023 at 5:00 PM
To: secy-mowr@nic.in

PART 1
PLEASE FIND THE ATTACHMENT

LT TO COMMEETEE NGT YAMUNA-10032023_PART 1-1-240.pdf
17861K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Fri, Mar 10, 2023 at 4:59 PM
To: secy-mowr@nic.in

PART 3
PLEASE FIND THE ATTACHMENT

LT TO COMMEETEE NGT YAMUNA-10032023_PART 3-341-462.pdf
23783K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Sat, Mar 4, 2023 at 6:27 PM
To: secy-mowr@nic.in
Cc: rg.ngt@nic.in, judicial-ngt@gov.in, ed-del-rev@nic.in, secy-moef@nic.in, hozdel@cbi.gov.in, cvc@nic.in, chairman@uppcb.in, chairman.seiaa.up@gmail.com, hspcbho@gmail.com, hspcb@hry.nic.in, kaushalsanjeev@hry.nic.in

PLEASE FIND THE ATTACHMENT

LT-NW-HR-UP-CHIEF SEC-OA 268 OF 2021- JAHANGIR-24022023.pdf
10206K

Gmail jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेष दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेष- हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

jahangir ali <jahangirhamida1980@gmail.com> Fri, Mar 10, 2023 at 4:59 PM
To: secy-mowr@nic.in

PART 2
PLEASE FIND THE ATTACHMENT

LT TO COMMEETEE NGT YAMUNA-10032023-PART 2-241-340.pdf
19607K

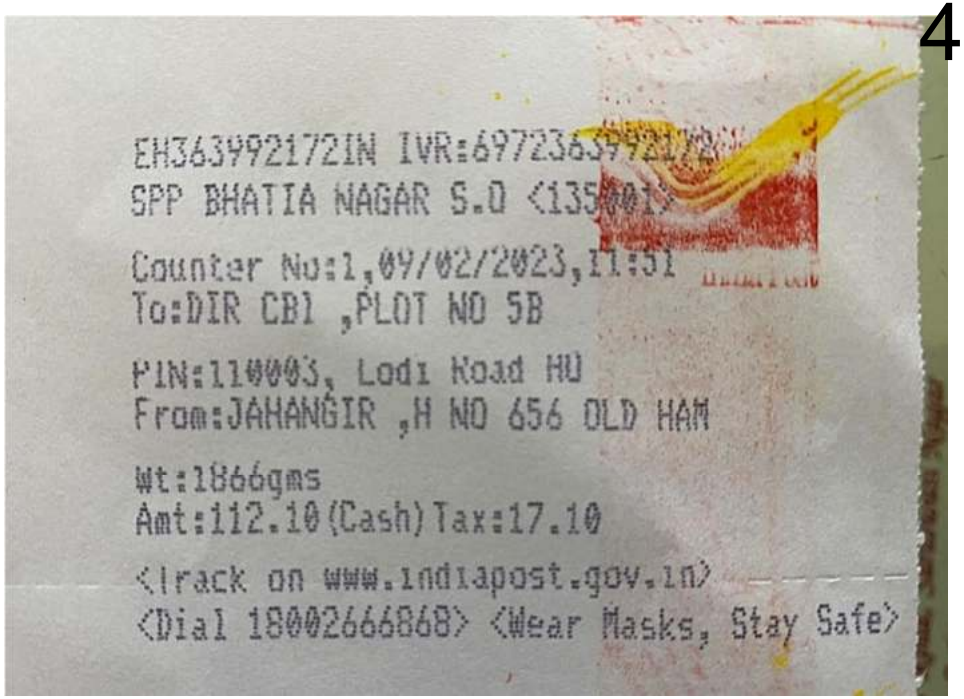

EH363992172IN IVR:6972363992172
SPP BHATIA NAGAR S.O <135001>
Counter No:1,09/02/2023,11:51
To:DIR CBI ,PLOT NO 5B
PIN:110003, Lodi Road HO
From:JAHANGIR ,H NO 656 OLD HAM
Wt:1866gms
Amt:112.10(Cash)Tax:17.10
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

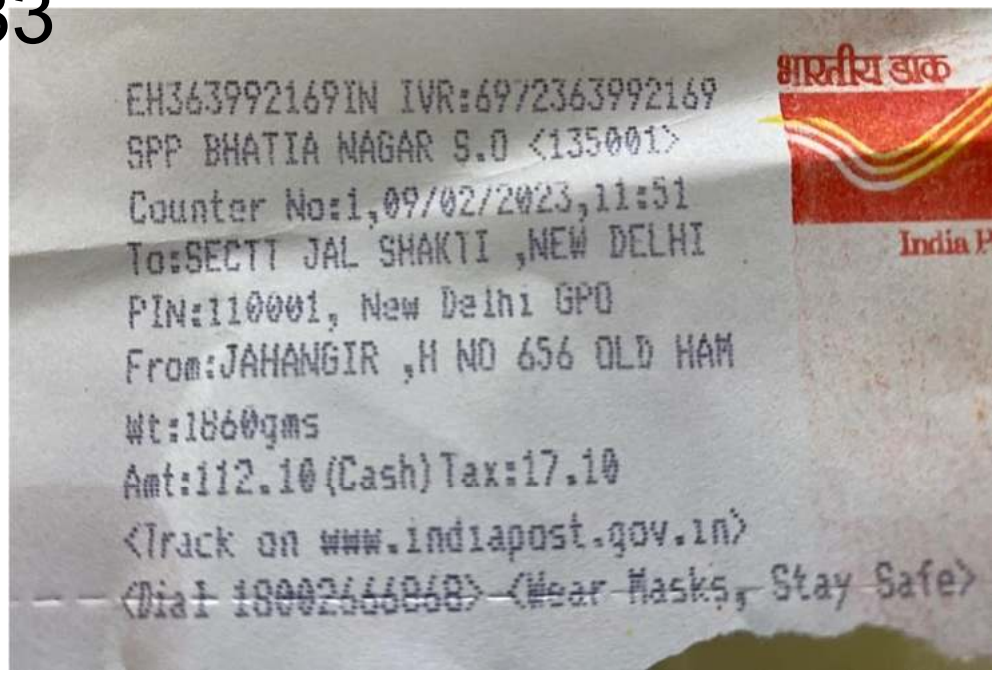

EH363992169IN IVR:6972363992169
SPP BHATIA NAGAR S.O <135001>
Counter No:1,09/02/2023,11:51
To:SECTT JAL SHAKTI ,NEW DELHI
PIN:110001, New Delhi GPO
From:JAHANGIR ,H NO 656 OLD HAM
Wt:1860gms
Amt:112.10(Cash)Tax:17.10
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

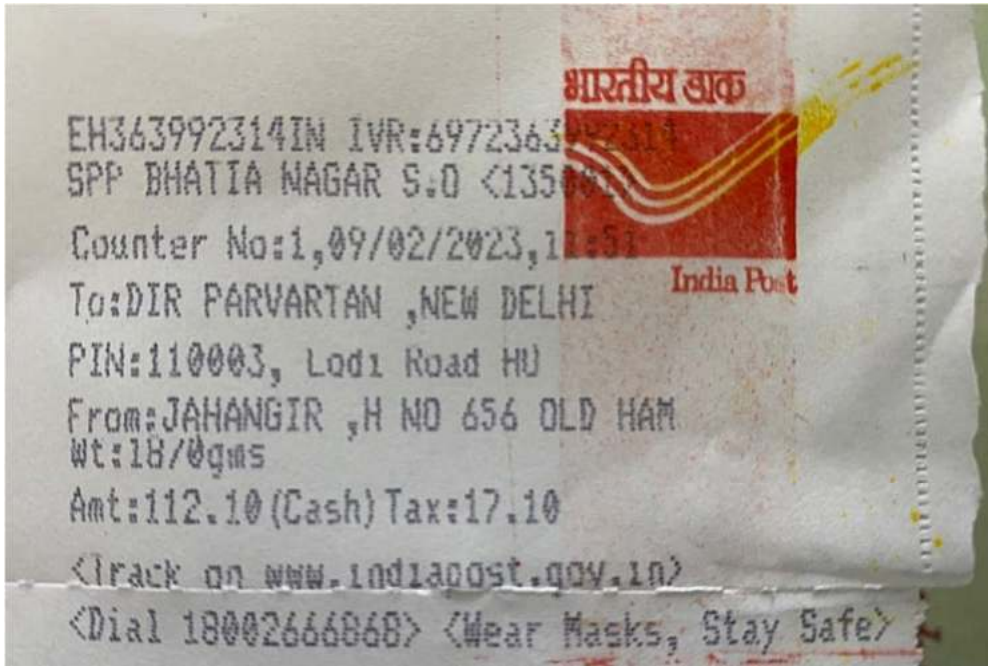

EH363992314IN IVR:6972363992314
SPP BHATIA NAGAR S.O <135001>
Counter No:1,09/02/2023,11:51
To:DIR PARVARTAN ,NEW DELHI
PIN:110003, Lodi Road HO
From:JAHANGIR ,H NO 656 OLD HAM
Wt:1870gms
Amt:112.10(Cash)Tax:17.10
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

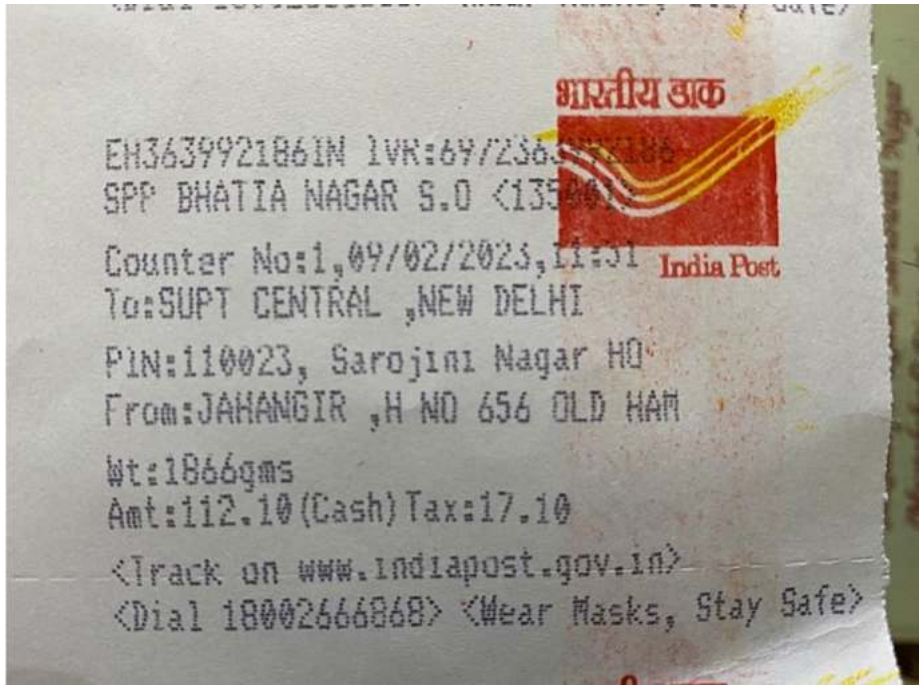

EH363992186IN IVR:6972363992186
SPP BHATIA NAGAR S.O <135001>
Counter No:1,09/02/2023,11:51
To:SUPT CENTRAL ,NEW DELHI
PIN:110023, Sarojini Nagar HO
From:JAHANGIR ,H NO 656 OLD HAM
Wt:1866gms
Amt:112.10(Cash)Tax:17.10
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

सेवा में,

श्रीमान चेयरमैन
(चेयरमैन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2023)
जल शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार
6वॉ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली–110001

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश– हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश व जिला यमुनानगर हरियाणा के मध्य यमुना नदी बहती है जो The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 की परिभाषा के अनुसार गंगा नदी है और आदेश 2016 के प्रावधान व प्रतिबन्ध लागू है। जिसका लगभग आधा भाग हरियाणा राज्य में पड़ता है और आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहॉ लगातार अवैध खनन खनन माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में भारी मशीनों से जल धारा के अन्दर कर जल धारा को मोड़ दिया गया है व पर्यावरण को भारी क्षति पहुॅचायी गई है। **जिसकी जॉच के लिए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.01.2023 को आदेश किये गये है आदेश दिनांक 25.01.2023 में स्पष्ट किया गया था कि प्रभावित एंव स्थानीय लोगों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।** आदेशों के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा कमेटी के सदस्यों को विस्तार से विवरण दिनांक 07.02.2023 व 24.02.2023 को ईमेल व पत्र दिनांक 07.02.2023 को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया था।

प्रार्थी आज दिनांक 10.03.2023 को बेलगढ़ हरियाणा पर गया जहॉ यमुना का जल प्रवाह अवैध खनन कर बदला गया है वहॉ पर जॉच कमेटी के समक्ष लगभग 2:00 बजे प्रार्थी अपना पक्ष मय दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने के लिए पहुॅचा। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भेजे गये सभी दस्तावेज मय प्रमाणित साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किये गये जिसको श्रीमान ए0डी0एम0 सहारनपुर को प्राप्त कर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। श्रीमान ए0डी0एम0 सहारनपुर द्वारा श्री शिवकुमार सर्वेयर सहारनपुर को दस्तावेज प्राप्त कर व खसरा नम्बरों की जानकारी कर उल्लेख करने का निर्देश दिया गया। प्रार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज व विवादित क्षेत्र के खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए श्री शिवकुमार सर्वेयर सहारनपुर को प्राप्त करा दिये गये। **प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति संलग्न की जा रही है कमेटी निरिक्षण के समय ली गई फोटो साथ में संलग्न है**। प्रार्थी द्वारा जॉच कमेटी को मौके पर यमुना नदी के बदले गये बहाव को बताया गया व अन्य तथ्यों की जानकारी दी गई।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रस्तुत दस्तावेज एंव साक्ष्यों पर संज्ञान लेते हुए सत्यापन कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

दिनांकः– 10.03.2023
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

जहॉगीर पुत्र दीन मोहम्मद
मकान नं0 656, ओल्ड हमीदा
यमुनानगर, हरियाणा

सेवा में,

श्रीमान सचिव
(चेयरमैन कमेटी आदेश दिनांक 25.01.2023)
जल शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार
6वॉ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली–110001

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश– हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश व जिला यमुनानगर हरियाणा के मध्य यमुना नदी बहती है जो The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 की परिभाषा के अनुसार गंगा नदी है और आदेश 2016 के प्रावधान व प्रतिबन्ध लागू है। जिसका लगभग आधा भाग हरियाणा राज्य में पड़ता है और आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहॉ लगातार अवैध खनन खनन माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में भारी मशीनों से जल धारा के अन्दर कर जल धारा को मोड़ दिया गया है व पर्यावरण को भारी क्षति पहुॅचायी गई है। जिसकी जॉच के लिए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.01.2023 को निम्न आदेश किये गये है–

"The Issue

1. Grievance in this application is against unscientific and illegal mining by M/s Star Mines, Saharanpur, obstructing the flow of Yamuna River in Village Belgarh, U.P (it is now stated by the parties that the said village falls on the side of Haryana on the bank of Yamuna river). It is stated that fifteen Pokland machines are working day and night causing damage to the environment, including air pollution. Though lease for mining is for the area in Saharanpur District in UP, the lessee is undertaking illegal mining in Village Belgarh in Haryana also.

Finding and Directions

16. There is nothing to show that the above procedure has been followed though there is report of Haryana State that illegal mining on the border is taking place which could not be ascertained due to flow in the river. Thus, the Tribunal has to go into the matter further. To ascertain factual position, we constitute a ten-member joint Committee to be headed by an Officer of the rank of Joint Secretary, nominated by Secretary, Ministry of Jal Shakti, GoI, with four nominees each of Haryana and UP Governments - representing Irrigation Departments, Revenue Departments nominated by the District Magistrates Saharanpur and Yamunanagar, Member Secretaries of HSPCB and UPPCB and SEIAAs of two States and one nominee of IIT, Roorkee. District Magistrates Saharanpur and Yamunanagar will also join the Committee. The nodal agency jointly will be District Magistrates of Saharanpur and Yamunanagar and HSPCB and UPPCB respectively. The Committee may meet within two weeks of receipt of this order and undertake visit to the site, get the area demarcated to ascertain the area where mining is allowed and where it is actually taking place and give a report within one month. Demarcation may specify the inter-state Borders. The Committee may also give its opinion whether and to what extent mining in the area is desirable without damage to the environment and if so, subject to what conditions. In this connection, the Committee may also consider Section 32 of the

Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. It may also be examined whether drone mapping and CCTV cameras can be helpful tools for monitoring and whether there should be State level Surveillance/monitoring team in view of difficulties faced by local level teams in such matters. The Committee will be at liberty to take assistance from any other Expert/Institution/Department/individual and interact with stakeholders in the area. It will be free to conduct proceedings online or offline except for site visit. Report of the committee may be useful for dealing with issue of illegal mining on inter-state borders of rivers. The report may be furnished by 28.02.2023. Any expenses for proceedings of the Committee will be borne by District Magistrates equally, subject to further orders. If security is sought, the SSP, Saharanpur, may provide.

List for further consideration on 20.03.2023.

A copy of this order be forwarded to Secretary, Ministry of Jal Shakti, GoI, Chief Secretaries Haryana and UP Governments, Member Secretaries of HSPCB and UPPCB, SEIAAs of Haryana and UP, IIT, Roorkee and District Magistrates and SSPs, Saharanpur and Yamunanagar by e-mail for compliance."

आदेश दिनांक 25.01.2023 की प्रति साथ में संलग्नक नं0 01 पेज नं0 45 से 57 है।

जिला सहारनपुर व जिला यमुनानगर में यमुना नदी से बालू, बजरी पत्थर का भारी अवैध खनन खनन माफिया सिडिंकेटों द्वारा विभिन्न हथकन्डे लगाकर किया जा रहा है जो सरकारी मिलिभगत से हो रहा है जिससे भारी मनीलॉन्ड्रिग हो रही है व कालाधन उत्पन्न हो रहा है 1 साल में हजारों करोड़ की राजस्व क्षति इन लोगों के द्वारा की जा रही है व पर्यावरण क्षति हो रही है। उपरोक्त विषय में प्रार्थी जॉच में आवश्यक तथ्यों एंव साक्ष्यों को विस्तार से साथ में संलग्न कर रहा है। जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये जा रहे है उनका सत्यापन रिकॉर्ड से किया जा सकता है व जो सुझााव दियें जा रहे है वह सब अधिनियमों, नियमों व अधिसूचनाओं के अनुसार है और पर्यावरण हित में, जनहित में व राजस्व हित में प्रस्तुत किये जा रहे है। **यमुना नदी में हो रहे भारी अवैध खनन का रोकने के लिए प्रतिबन्धित यमुना नदी फ्लड प्लेन में लगे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों तत्काल डिस्मेन्टल किया जाना आवश्यक है। यमुना नदी में हो रहे भारी अवैध खनन की जॉच के लिए व सत्यतता जानने के लिए कमेटी को कम से कम 1 सप्ताह लगातार प्रतिदिन 12 घंटे फील्ड में वास्तविक क्षेत्र का निरिक्षण कर तकनीशियनों की सहायता लेकर निष्पक्ष जॉच किया जाना सम्भव है।** अवैध खनन करने वाले अपराधिक प्राकृति के खनन माफिया व स्टोन क्रेशर संचालक है व उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है और साथ ही सरकारी मशीनरी पूर्ण रूप से मिलि हुई है इसलिए प्रार्थी को इनसे जान का खतरा है व झूठे मामलों में फसाये जाने का डर है इसलिए उक्त सूचना को गोपनीय रखा जाए।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण जॉच में सहयोग करने के लिए भेज रहा है कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करें।

धन्यवाद

दिनांकः– 07.02.2023

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान चेयरमैन महोदय
   मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
   फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
   नई दिल्ली–110003

प्रार्थी

जहॉगीर पुत्र दीन मोहम्मद
मकान नं0 656, ओल्ड हमीदा
यमुनानगर, हरियाणा

2. श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय
   मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
   फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
   नई दिल्ली–110003
3. श्रीमान सचिव, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन
   मन्त्रालय, भारत सरकार, जोर बाग रोड़,
   नई दिल्ली–110003
4. श्रीमान निदेशक
   प्रवर्तन निदेशालय, 6 तल, लोकनायक भवन
   खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
5. श्रीमान निदेशक, सी0बी0आई0 प्लॉट नं0 5 बी
   सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली
6. श्रीमान अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग,
   सर्तकता भवन, ब्लॉक ए, जीपीओ काम्पलैक्स,
   नई दिल्ली–110023
7. श्रीमान मुख्य सचिव
   उत्तर प्रदेश सरकार, 101 बी ब्लॉक
   लोक भवन, सचिवालय, लखनऊ–226001
8. श्रीमान मुख्य सचिव,
   हरियाणा राज्य सरकार, 4 फ्लोर, सैक्टर 1,
   हरियाणा सिविल सैकेट्रीएट, चण्डीगढ़,
   हरियाणा–160019
9. श्रीमान चेयरमैन, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण
   बोर्ड, बिल्डिंग नं0 टी0सी0–12 वी, विभूति
   खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226001
10. श्रीमान चेयरमैन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
    सेक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
11. श्रीमान चेयरमैन,
    राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण,
    हरियाणा राज्य, बे नं0 55–58, प्रयत्न भवन,
    सैक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा
12. श्रीमान चेयरमैन,
    स्टेट लेवल इन्वार्यमेन्ट इम्पैक्ट एस्सेमेन्ट एथॉरिटी,
    उत्तर प्रदेश सरकार, विनित खण्ड–1, गोमती नगर
    लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

438

INDEX

क्रम संख्या	विवरण	पेज नं0
1.	हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा पर यमुना नदी (गंगा नदी) क्षेत्र में प्रश्नगत अवैध खनन क्षेत्र का विवरण	5-5
2.	यमुना नदी (गंगा नदी) में अवैध खनन की जॉचों एंव न्यायालय आदेशों का विवरण	5-8
3.	सरकारी मशीनरी की मिलिभगत व उसके साक्ष्य	9-12
4.	**The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016** का उल्लंघन कर हरियाणा व उत्तर प्रदेश में दोनों तरफ यमुना नदी (गंगा नदी) के फ्लड प्लेन पर अवैध रूप से स्टोन क्रेशर स्थापित कराके अवैध खनन कराया गया	12-17
5.	उत्तर प्रदेश व हरियाणा में प्रश्नगत क्षेत्र में यमुना नदी फ्लड प्लेन पर अवैध स्टोन क्रेशरों का प्रतिबन्धित क्षेत्रों पर स्थापना व संचालन विवरण	18-21
6.	स्टार माईन्स बरथा कोरसी, सहारनपुर द्वारा किये गये अवैध खनन के साक्ष्य	22-25
7.	जिला सहारनपुर में गैर कानूनी डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (**DSR**) के आधार पर किये गये नीलामी का विवरण	26-28
8.	जिला यमुनानगर में गैर कानूनी डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (**DSR**) के आधार पर किये गये नीलामी का विवरण	28-28
9.	जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन करने वालों का विवरण	29-29
10.	जिला यमुनानगर, हरियाणा में अवैध खनन करने वालों का विवरण	29-29
11.	अवैध खनन करने के तरीको का विवरण	30-41
12.	प्रश्नगत क्षेत्र गंगा नदी (यमुना नदी) को अवैध खनन से बचाने के लिए सुझाव	42-43
13.	स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लान्टों व भण्डारण लाईसेन्सों के सम्बन्ध में सुझाव	43-43
14.	अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए जिसका विवरण पोर्टल पर उपलब्ध हो	44-44
15.	अवैध खनन निर्धारण के लिए साक्ष्य के लिए निम्न व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए	44-44

1. हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा पर यमुना नदी (गंगा नदी) क्षेत्र में प्रश्नगत अवैध खनन क्षेत्र का विवरण–

हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं यमुना नदी से जुड़ी है इसके पूर्व में हरियाणा का कलेशर व उत्तर प्रदेश का ग्राम रहना से शुरू होकर ढीकां कलां तहसील नकुड़ तक लगभग 50 किमी0 लम्बे क्षेत्र में उप–खनिज की नजर से दो भागों में बटा है एक रहना–कलेशर से नुनियारी तक बालू बजरी पत्थर (RBM/GSB) पायी जाती है व इससे दक्षिण की ओर नकुड़ व उससे आगे तक केवल बालू पाया जाता है इन क्षेत्रों में दोनों सरकारों द्वारा अलग–अलग बालू व बालू, बजरी, पत्थर मिलीजुली अवस्था में खनन के ठेके अलग–अलग दिये गये है जिनमें बालू की आड़ में पत्थर का भारी मात्रा में अवैध खनन होता है।

हरियाणा राज्य व उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य यमुना नदी पर हथनीकुण्ड बैराज बनाया गया है जहॉ से पानी को हरियाणा राज्य में मोड़ा गया है व न्यूनतम मात्रा को आगे यमुना नदी में छोड़ा गया है और बरसात में अत्यधिक पानी होने से ओवर फ्लो पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है। हथनीकुण्ड बैराज के ऊपर पश्चिम भाग में कलेशर नेशनल पार्क/सेन्चुरी है व पूर्व भाग में उत्तर प्रदेश का शिवालिक हाथी रिर्जव है और वर्तमान में टाईगर रिर्जव घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और हथनीकुण्ड बैराज से लखनौती तहसील नकुड़ तक एक विदेशी पक्षीयों के रूकने की जगह है पर्यावरण दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है उसके दक्षिण में यमुना नदी के तल पर व फ्लड प्लेन एरिया पर दोनों किनारों पर असंख्य स्टोन क्रेशर स्थापित है व खनन पटटे संचालित है जहॉ पर हथनीकुण्ड बैराज पर पानी हरियाणा की दिशा में मोड़ने के कारण पानी के साथ खनिज की मात्रा नाम मात्र के लिए ही आती है। इकसे मध्य ही ताजेवाला डेम पड़ता है जिसका कुछ भाग अवैध खनन के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है इस क्षेत्र में सेन्ट्रल एम्पार्वड कमेटी (CEC) द्वारा भारी अवैध खनन पाया गया था। इसलिए पर्यावरण दृष्टि से खनन बेहद संवेदनशील है।

2. यमुना नदी (गंगा नदी) में अवैध खनन की जॉचों एंव न्यायालय आदेशों का विवरणः–

1. हरियाणा व उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में अवैध खनन व अवैध स्टोन क्रेशरों की जॉच के सम्बन्ध में दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2011 को सेन्ट्रल एम्पार्वड कमेटी से जॉच कराने के लिए आदेश दिये गये थे। सी0ई0सी0 यमुना नदी की हथनीकुण्ड बैराज से नुनियारी व नकुड़ तक जॉच की गई थी। दिनांक 04.01.2012 को सी0ई0सी0 ने अपनी जॉच रिपोर्ट में पाया था कि जिला सहारनपुर में यमुना नदी पर अवैध स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट लगे है और संचालित हो रहे है और लगातार अवैध खनन किया जा रहा है व अमित जैन एण्ड कम्पनी के पास बालू का तहसील नकुड़ का खनन ठेका था और उनके द्वारा बालू के रवन्नों पर माल अवैध यमुना नदी में कर उत्तर प्रदेश व हरियाणा के स्टोन क्रेशरों पर अभिवहन करना पाया गया था। यह सब सरकारी विभागों की मिलिभगत से हो रहा था **सी0ई0सी रिपोर्ट दिनांक 04.01.2012 की प्रति संलग्नक नं0 02 पेज नं0 58 से 102 तक है** । जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2012 को निम्न आदेश जारी किया गया था–

> " It was also pointed out that large numbers of screening plants and stone crushers are seen fully operational on both sides of the River bed of Yamuna. Ramps/Roads are seen constructed for to and fro movement of the vehicles from/to such screening plants/crushers.

CEC has also produced the Quarterly Returns, transit passes issued by the officers and the quantity of mines and minerals transported. Report says that a total 60,176 transit permits have been issued by the Saharanpur Mining Department for transportation of **2,40,704 cubic meter of illegally mined materials. Some of transit passes made available by CEC shows that seal of the Mining Department is affixed but there is official no signature, no details of vehicle numbers etc. Prima facie, it is seen that the Government machinery has failed in the District of Saharanpur in controlling the mining mafia. Such large-scale illegal mining operations could not have happened without the knowledge and blessings of the concerned officials.**

Report has highlighted the sorry state of affairs as follows:

"The entire illegal mining has been leaglized and facilitated by the concerned officers of the State of UP mainly by providing a disproportionately large number of transit permits to sanctioned leaseholders and which have been misused and by allowing the illegally established screening plants and crushers to continue operating. There is no effective system in place for checking illegal mining. The CEC is also of the view that the illegal mining has continued not because of lack of effective Rules and procedure but in spite of them. This has been mainly possible because of the active connivance of the officers."

Learned counsel, Mr. Kamalendra Mishra, who appeared for the State of UP, submitted that the State has taken strong measures to close down Lot Nos 7, 8, 13, 26, 27, 28 and 29. Covering and area of 686.6 acres and adequate number of police forces are deployed to ensure that illegal mining do not take place in those areas and now mining in those areas and now mining in those areas is virtually stopped with effect from 22-12-2011.

We fail to see, what the officers were doing all these years and they woke up only when CEC came for inspection. Prima facie, we are of the view that such large-scale mining operations would not have taken place without the tacit permission and knowledge of some of the officials in charge, which calls for detailed enquiry.

In view of the above-mentioned circumstances, we are inclined to pass the following order.

(1) The District Collector, District Superintendent of Police and the Additional Director (Mining Division) of Saharanpur, would see that no illegal mining be carried on in the District.

(2) They are directed to take immediate steps to close down all illegally operating screening plants/crushers etc on both sides of the River Yamuna forthwith and the illegally mined sand, bajri and boulders and the vehicles be seized forthwith.

(3) Screening plants/crushers located on either side of the River Yamuna, within the prohibited zone and operating in violation of guidelines issued by the U P Pollution Control Board and/or within the prohibited zone, shall be immediately dismantled."

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2012 की प्रति संलग्नक नं0 03 पेज नं0 103 से 113 तक है।

2. उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा यमुना नदी के किनारे अत्यधिक स्टोन क्रेशर लगने व अवैध खनन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में नई गाईडलाइन्स जारी की गई जिसमें स्टोन क्रेशर से दूरी न्यूनतम आबादी से 1 किमी0 व नदी फ्लड प्लेन एरिया से 500 मी0, स्कूल, हॉस्पिटल से 1 किमी0 व वन

क्षेत्र से 3 किमी0 दूरियॉ निर्धारित की गई थी और जो क्रेशर निर्धारित दूरियों को पूरा नही कर रहे थे उनको 1 वर्ष का समय हटाने के लिए दिया गया था। **गाईडलाइन्स 2010 की प्रति संलग्नक नं0 04 पेज नं0 114 से 118 तक है**।

3. मा0 सर्वोच्च न्यायलाय के आदेश दिनांक 16.01.2012 के अनुपालन में व गाईडलाइन्स 2010 के अनुपालन में यमुना नदी के किनारे अवैध रूप से संचालित व गाईडलाईन्स के विरूध लगे स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्टों को डिस्मेन्टल कर दिया गया था कुछ को अधूरा छोड़ दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि यमुना किनारे सभी स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट डिस्मेन्टल कर दिये गये है और सभी खनन बन्द करा दिया गया था **शपथ पत्र दिनांक 27.01.2012 संलग्नक नं0 05 पेज नं0 119 से 122 व डिस्मेन्टल स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट की सूची संलग्नक नं0 06 पेज नं0 123 से 135 तक है**।
4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से राज्य सरकार द्वारा मामले की जॉच श्रीमान कमीशनर सहारनपुर को दी गई कमीशनर महोदय द्वारा दिनांक 31.01.2012 को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जानकारी मांगी गई की यमुना नदी के किनारे कितने स्टोन क्रेशर स्थापित है **पत्र दिनांक 31.01.2012 की प्रति संलग्नक नं0 07 पेज नं0 136 से 136 तक है**। क्षेत्रीय अधिकारी सहारनपुर द्वारा दिनांक 06.02.2012 श्रीमान कमीशनर महोदय को यमुना नदी के किनारे स्थित स्टोन क्रेशरों की सूची प्रस्तुत की गई। **पत्र दिनांक 06.02.2012 मय सूची के संलग्नक नं0 08 पेज नं0 137 से 167 तक है**।
5. श्रीमान कमीशनर सहारनपुर द्वारा जॉच के उपरान्त यह पाया गया कि जिला सहारनपुर में बड़े स्तर पर अवैध खनन हुआ है अवैध स्टोन क्रेशर चल रहे है जिसमें सभी विभागो की मिलीभगत है और इस जॉच को उच्च स्तर से कराया जाना अति आवश्यक है। **पत्र दिनांक 03.08.2012 की प्रति संलग्नक नं0 09 पेज नं0 168 से 170 तक है**।
6. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जिला सहारनपुर में सी0ई0सी0 के रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों के द्वारा रवन्नों का दुरूपयोग किया गया था उन पर 50–50 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया व यमुना नगर व सहारनपुर में अवैध खनन की रोकथाम के लिए एक हाईपावॅर कमेटी का गठन किया गया और सरकारी मशीनरी के विरूध मिलिभगत के लिए राज्य सरकार को कार्यवाही के लिए निर्देश दिये गये। **आदेश दिनांक 18.02.2016 के मुख्य भाग की प्रति संलग्नक नं0 10 पेज नं0 171 से 184 तक है**।
7. हाई पॉवर कमेटी द्वारा रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गई यमुनानगर व सहारनपुर में काफी सुझाव प्रस्तुत किये गये। हाई पॉवर कमेटी के साथ एफ0आर0आई0 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरिक्षण विस्तार से किया गया और उनके द्वारा हथनीकुण्ड बैराज से ऊपर अतिसंवेदनशील होने के कारण खनन पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया गया लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार इन क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी गई है जिनको बाद में मा0 न्यायालय द्वारा रोका गया है।
8. वन एंव पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा उपरोक्त हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 गाईडलाईन्स 2020 विभिन्न प्रावधानों के साथ लागू की गई। लेकिन इन दोनों जिलों द्वारा उनका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है जिसका आगे विस्तार से विवरण है।
9. फरवरी 2020 मे राज्य सरकार द्वारा पुनः अवैध खनन की जॉच करायी गई थी जिसमें भी उक्त यमुना नदी के किनारें स्थित अवैध स्टोन क्रेशरों द्वारा अवैध खनन करना पाया गया था जिनमें से कुछ के द्वारा अवैध खनन की धनराशि जमा भी करायी गई थी लेकिन उसके बावजूद उन्ही स्टोन क्रेशरों को भण्डारण लाईसेन्स जारी किये गये है। उसके बाद श्रीमान कमीशनर सहारनपुर द्वारा कई बार गोपनीय तरीके से जॉच करायी गई जिसमें भारी मात्रा में अवैध खनन होना पाया गया जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर को अवगत कराया गया कि निश्चित रूप से यह सब मिलिभगत से चल रहा है लेकिन वह आज भी लगातार उसी तरह से चल रहा है। **श्रीमान कमीशनर**

महोदय की अध्यक्षता में हुई जॉच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 की प्रति व श्रीमान कमीशनर महोदय के पत्र दिनांक 11.06.2020 की प्रति संलग्नक नं0 11 पेज नं0 185 से 210 तक है।

10. इसी क्षेत्र की जॉच श्रीमान कमीशनर महोदय द्वारा दिनांक 20.05.2022 को स्वंय अचानक की गई थी जिसमें भारी अनियमित्तांए व भारी अवैध खनन पाया गया था मौके पर अधिकारी सीमाएं तक भी नही बता पाये थे जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई थी लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नही किया गया और सभी तथ्य खनन पटटेधारक से मिलिभग्त के कारण चुप है अगर इस मामले की किसी केन्द्रीय एजेन्सी से जॉच करायी जाएगी तो हजारों करोड़ की राजस्व क्षति सामने आएगी प्रार्थी सभी तथ्य न्यायालय के सामने भी प्रस्तुत करेगा। **समाचार पत्रों की कटिंग व फोटो संलग्नक नं0 12 पेज नं0 211 से 211 तक है।** बाद में खनन माफियाओं द्वारा अपने प्रभाव से पुनः जाच के नाम पर न्यायालय को गुमराह किया गया।
11. मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0 ए0 नं0 268/2021 के आदेश दिनांक 12.08.2022 में स्पष्ट किया गया है कि दोनों राज्य के अधिकारी खनन पटटा धारक से मिले है और कार्यवाही के आदेश दिये गये है लेकिन तथ्यों को छुपाकर न्यायालय के सामने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
12. मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 11.05.2022 के ओ0ए0 नं0 249/2021 व 251/2021 के अनुसार जिला सहारनपुर के सभी खनन पटटा धारकों पर बिना CTE व CTO के किये गये अवैध खनन पर जुर्माने आरोपित किये गये जिसकी गणना भी नही दिखायी गई क्योंकि गणना में उनके द्वारा काफी कम जुर्माना आरोपित किया गया है जुर्माना आरोपित करने के बाद उनके द्वारा जमा न करने के बाद माननीय एन0जी0टी0 के खनन रोकने के आदेश के बाद भी खनन चल रहा है। **आदेश दिनांक 16.01.2023 की प्रति संलग्नक नं0 13 पेज नं0 212 से 218 तक है**।
13. जिला यमुनानगर हरियाणा में भी विभिन्न मामले मा0 एन0जी0टी0 व उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और कुछ क्षेत्रों पर खनन पर रोक लगाई गई है उसके बावजूद भी खनन लगातार जारी है और जिस मात्रा का खनन एक वर्ष में किया जाना था उस मात्रा का खनन पर्यावरण सहमति का उल्लंघन कर मात्र 1 माह से 3 माह के मध्य कर लिया गया है रिकॉर्ड से जॉच की जा सकती है।
14. जिला यमुनानगर में फर्जी रवन्ने व बालू की आड़ में पत्थर Mineral Dealer Licence (MDL) के माध्यम से लगातार विभिन्न शिकायतों के बावजूद बेचा जा रहा है कोई कार्यवाही नही की गई। जिससे भारी राजस्व की क्षति हो रही है और कालाधन उत्पन्न कर मनीलॉन्ड्रिंग चल रही है।

3. सरकारी मशीनरी की मिलिभगत व उसके साक्ष्यः–

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सी0ई0सी0 रिपोर्ट व न्यायालयों के आदेशों में बार बार कहा गया है कि इस क्षेत्रों में बड़ा अवैध खनन है जो बिना सरकारी मशीनरी के नही हो सकता है जिनके साक्ष्य पत्रावलियों पर मौजूद है इसलिए खनिज विभाग द्वारा, प्रदूषण विभाग द्वारा कोई सूचना के अधिकारी के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध नही करायी जाती है और खनन माफियाओं को तत्काल न्यायालयों को गुमराह करने के लिए दस्तावेज दिये जाते है जिसकी जॉच की जा सकती है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2012 में उक्त तथ्य की जॉच के लिए निर्देश दिये गये थे लेकिन कोई जॉच कोई कार्यवाही आज तक नही की गई है और लगातार अवैध खनन गैर कानूनी तरीके से कराया जा रहा है व स्टोन क्रेशरों को स्थापित किया जा रहा है।

जिला यमुना नगर व सहारनपुर के यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर तथ्यों को छुपाकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अवैध तरीके से स्थापित कराये गये है। जिनके माध्यम से लगातार अवैध खनन हो रहा है। रिकॉर्ड पर सभी तथ्य उपलब्ध है।

जब भी कोई न्यायालय जॉच के आदेश देता है तो स्थानीय प्रशासनों द्वारा अवैध खननकर्ताओं को पहले से सूचित कर दिया जाता है ताकि वह मौके पर क्लीन चिट दे सकें। आज तक जितनी भी जॉचें हुई है मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया है और किसी भी कमेटी के आने से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा दिखावे के लिए अवैध खनन की कार्यवाहियॉ करते है। अवैध खनन की अभिवहन करने वाले वाहनों पर मा0 एन0जी0टी0 के अनुसार कोई जुर्माना जानबूझकर नही किया गया है क्योंकि अवैध खनन की कार्यवाही दिखावे के लिए की जाती है वास्तव मे केवल सहारनपुर से प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 ट्रक व यमुनानगर से लगभग 2000 ट्रक अवैध खनन के जाते है। उत्तर प्रदेश में अभी तक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा लगाये गये जुर्माने को नही वसूला गया।

A- सिंचाई विभाग द्वारा गलत प्रमाण पत्र तथ्यों को छिपाकर बिना किसी आधार के फ्लड प्लेन से स्टोन क्रेशर के मध्य 500 मीटर दूरी के जारी किये गयेः–

दिनांक 20.01.2012 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2012 के अनुसार फ्लड प्लेन यमुना नदी पर स्थापित स्टोन क्रेशरों को डिस्मेन्टल करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों से फ्लड प्लेन लाईन की जानकारी की गई जिसका निम्न प्रकार बताया गया है– **" यमुना नदी के दोनो ओर फ्लड जोन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता पूर्वी यमुना नहर से चर्चा की गयी उनके द्वारा बताया गया कि नदी की दोनों ओर स्थापित बन्धे तक फ्लड जोन निर्धारित है, जहॉ पर बन्धा स्थापित नही है, इस सम्बन्ध में 500 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। "**

कमेटी आदेश दिनांक 20.01.2012 की प्रति संलग्नक नं0 14 पेज नं0 219 से 220 तक है।

सिचांई विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2012 को फ्लड प्लेन लाईन नक्शे पर उपलब्ध करायी गई व प्रतिबन्धित दूरी फ्लड प्लेन से 500 मीटर की लाईन भी नक्शे पर मार्क की गई जो अन्दाजे के आधार पर कम पर लगाई गयी और **नक्शे की प्रति व पत्र दिनांक 20.01.2012 को जिलाधिकारी सहारनपुर को भेजी गई की प्रति संलग्नक नं0 15 पेज नं0 221 से 222 तक है।** इस नक्शे के अनुसार स्टोन क्रेशर डिस्मेन्टल करा दिये गये लेकिन बाद में मिलिभगत से इस नक्शे को छिपाया गया और अन्दाजे के आधार पर सभी स्टोन क्रेशरों को फ्लड प्लेन से 500 मीटर से अधिक का प्रमाण पत्र जारी किया गया है बिना किसी आधार के और सभी स्टोन क्रेशर फ्लड प्लेन में स्थापित करा दिये गये। ऐसे भी कई मामले मिलेंगे की पहले एक क्रेशर को 550 मीटर दूरी बतायी गई उसके बाद फ्लड प्लेन व उस क्रेशर के मध्य स्थापित

स्टोन क्रेशर को भी 500 मीटर अधिक का प्रमाण पत्र दिये गये। सर्वे ऑफ इन्डिया की टोपोशीट, ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया (जी0एस0आई0) व इसरो के नक्शों पर स्पष्ट रूप से नदी व फ्लट प्लेन अंकित है लेकिन इनके द्वारा तथ्यों को छुपाये गये है और स्वंय के द्वारा निर्धारित फ्लड प्लेन लाईन को जानबूझकर छुपाते हुए गलत प्रमाण पत्र जारी कर पर्यावरण क्षति पहुॅचायी गई है किसी भी प्रमाण पत्र में जानबूझकर स्पष्ट नही किया गया है कि दूरी कहॉ से कहॉ नापी गई है और किसी भी लोंगीटयूट व लैटीटयूट का विवरण नही दिया गया है और फ्लड प्लेन पर स्टोन क्रेशर स्थापित कर भारी मात्रा में अवैध खनन किया गया है जिससे भारी ब्लैक मनी उत्पन्न हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। लोगींटूयट व लैटीटयूट से स्पष्ट होगा। इस नक्शे के फ्लड लाईन पर सभी स्टोन क्रेशर लगे है कुछ फ्लड लाईन के अन्दर और कुछ फ्लड लाईन के बाहर लगे है और संचालित है जो प्रतिबन्धित फ्लड प्लेन लाईन से 500 मीटर के अन्दर है। जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर स्थापित कराये गये है जिनको तत्काल डिस्मेन्टल कराया जाना चाहिए।

इसी प्रकार हरियाणा राज्य में यमुना नदी के किनारे व यमुना नदी तल पर बेलगढ़, टापू माजरी व कनालसी, मण्डौली आदि जगह पर अवैध तरीके से गंगा नदी के फ्लड प्लेन पर संचालित है जो प्रतिबन्धित क्षेत्र है लेकिन लगातार इनके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है।

B- बालू के ठेको को पत्थर के ठेके बनाया गया उस की आड़ में यमुना नदी में अवैध खनन चल रहा है:–

हरियाणा में जो ठेके बालू के दिये गये थे उनको मिलिभगत से पत्थर भी बढ़ा दिया गया जिसकी आड़ में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है वर्ष 2012 में सी0ई0सी0 की जॉच में यह तथ्य सामने आया था कि बालू के रवन्नों की आड़ में यमुना नदी में अवैध खनन होना पाया गया था आज भी उसी तरीके से हरियाणा में बालू के ठेकों की आड़ मे यमुना नदी से पत्थर का खनन कराया जा रहा है। 12 साल बाद भी कोई बदलाव अवैध खनन को करने के तरीके में नही आया लगातार अवैध खनन से भ्रष्टाचार चल रहा है काला धन करोड़ों में बढ़ रहा है जिससे भारी पर्यावरण को क्षति पहुॅच रही है।

C- प्रतिबन्धित क्षेत्रों में भण्डारण लाईसेन्स एम0डी0एल0 जारी किया जाना:–

जिला यमुनानगर में नियमावली 2012 के अर्न्तगत किसी भी खनिज श्रोत से 5 किमी0 तक कोई भी भण्डारण लाईसेन्स नही दिया जा सकता जैसे यमुना नदी उप–खनिज का श्रोत है इसकी सीमा से 5 किमी0 तक कोई भी भण्डारण लाईसेन्स नही दिया जा सकता लेकिन जिला यमुनानगर में खनन सिंडिकेट द्वारा 13 भण्डारण लाईसेन्स आवेदन दिये गये है जो सभी यमुना नदी से 5 किमी0 के अन्दर पड़ते है लेकिन उनको नदी से 5 किमी0 दूर घूमा फिरा कर दिखाया जा रहा है जिनमे से लगभग 4–5 स्वीकृत कर दिये गये है। जिससे भारी अवैध खनन की सम्भावना है और भण्डारण लाईसेन्स नियमों के विरूध जारी किया जाना अपने आप में भ्रष्टाचार का उदाहरण है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी खनिज श्रोत से 5 किमी0 तक भण्डारण लाईसेन्स नही दिया जा सकता लेकिन खनन माफियाओं द्वारा वहॉ भी 5 किमी0 से अधिक दूरी दिखा कर भण्डारण लाईसेन्स लिये गये है जिनकी आड़ में मानसून सीजन में भारी मात्रा में अवैध खनन किया जाता है।

D- जिला सहारनपुर में कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने के नाम पर बालू बजरी पत्थर का यमुना नदी से अवैध खनन कराया जाना:–

जिला सहारनपुर में यमुना नदी में कृषि भूमि समतलीकरण के नाम पर बालू, बजरी पत्थर का बिना पर्यावरण सहमति प्राप्त किये हुए करोड़ो के खनन स्वीकृत किये गये जिनकी आड़ में यमुना नदी से अवैध खनन किया गया जबकि बाढ़ में खेत पर आये बालू को हटाने के लिए पर्यावरण सहमति से छूट दी गई थी लेकिन कृषि भूमि से बजरी व बोल्डर को हटाने के लिए या खनन करने के लिए कोई पर्यावरण

सहमति से छूट नही है जिला सहारनपुर में मिलिभगत के कारण बालू, बजरी पत्थर का खनन बिना सहमति के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में भी कराया गया है जैसे हथनीकुण्ड बैराज के पास ग्राम फैजाबाद में कृषि भूमि से बालू, बजरी पत्थर का खनन कराया गया है।

निजि भूमि पर फ्लड में बालू आने पर उसको हटाने के लिए खनिज विभाग अनुमति दे रहा है जो फ्लड लाईन के काफी बाहर तक है खनिज विभाग स्वंय स्वीकार करता है कि फ्लड लाईन के बाहर तक फ्लड आया है और सिंचाई विभाग फ्लड लाईन के 500 मीटर अन्दर को भी फ्लड क्षेत्र नही मान रहा है। जिला सहारनपुर में 10 माह में लगभग 100 करोड़ निजि भूमि से बालू बजरी पत्थर हटाने के नाम पर रायल्टी वसूली गई है जबकि खनन ठेकों से 20 करोड़ ही प्राप्त हुई है। जिससे स्पष्ट है कि निजि भूमि की आड़ में बिना पर्यावरण सहमति के अवैध खनन कराया गया है। जिससे भारी पर्यावरण क्षति पहुॅची है जिसका रिकॉर्ड से सत्यापन किया जा सकता है। उक्त खनन का विवरण डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट DSR में भी शामिल नही है लगभग 2 लाख टन का खनन हुआ है।

E- <u>उत्तर प्रदेश में खनिज विभाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सूचना न दिया जाना</u>:– जिला सहारनपुर में तथ्यों को छुपाने के लिए कोई भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध नही करायी जाती जिसको रिकॉर्ड से सत्यापन किया जा सकता है।

F- स्टार माईन्स के मामले में प्रमोद में रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 के आदेश में भी उसको स्वीकार किया लेकिन उसमें पालन कराये बिना अवैध खनन कराया गया।

G- एक रवन्ने पर कई कई चक्कर लगाये जाते है क्योंकि सभी क्रेशर हरियाणा व उत्तर प्रदेश में यमुना नदी तल पर लगे है।

H- जहॉ पर खनन होता है व स्टोन क्रेशर संचालित रहते है वहॉ के स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध खनन की शिकायतों का निस्तारण नही किया जाता है इसलिए अलग से एक अवैध खनन सुनवायी के लिए पोर्टल की आवश्यकता है मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखण्ड के मामले में निम्न निर्देश जारी किये गये है–

Uttarakhand High Court
WPPIL/15/2022 on 15 December, 2022
IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND
AT NAINITAL
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE SRI VIPIN SANGHI
AND
HON'BLE SRI JUSTICE MANOJ KUMAR TIWARI
15TH DECEMBER, 2022
WRIT PETITION (PIL) No. 15 OF 2022
Between:
Matri Sadan Jagjeetpur, Kankhal. .....Petitioner
and
Union of India & others. ...Respondents

16. Since complaints of illegal mining are rampant, and we can take cognizance of it, it is absolutely essential that the State Government should set up a completely independent Complaint Redressal System against illegal mining, screening or crushing of river bed materials. The Redressal Mechanism has to remain independent of, and unconnected with the State's Administration, if it has to work effectively and meaningfully. Often, complaints are received that the local administration is either inactive, unconcerned, or is mixed up with the mining licensees. Such complaints can, obviously, not be left for examination and disposal by the very same authorities, who are involved in the matter of enforcement of the conditions of the mining license. The State should, therefore, evolve a completely independent Complaint Redressal Mechanism, by, inter alia,

drawing persons from reputed and independent retired members of the Judiciary, Bureaucracy, reputed environmental experts and activists. The State should place before the Court, on the next date, the independent Complaint Redressal Mechanism that it may evolve for the purpose of redressal of complaints regarding illegal mining, not only in the River Ganga, but throughout the State.

उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि अवैध खनन की जॉच के मामले में जो विभाग स्थानीय होते है उनसे सही जॉच की उम्मीद नही की जा सकती है क्योंकि उनकी मिलिभगत होने की सम्भावना मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा कथित की गई है।

4. <u>The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 का उल्लंघन कर हरियाणा व उत्तर प्रदेश में दोनों तरफ यमुना नदी (गंगा नदी) के फ्लड प्लेन पर अवैध रूप से स्टोन क्रेशर स्थापित कराके अवैध खनन कराया गया</u>:–

<u>गंगा नदी (यमुना नदी) के प्रश्नगत अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र में फ्लड प्लेन व प्रतिबन्धित क्षेत्रों का विवरणः–</u>

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्टोन क्रेशरों की स्थापना गाइडलाईन्स 2010 में दी गई दूरियों को छिपाकर प्रतिबन्धित क्षेत्र में दी गई थी जिसको स्टोन क्रेशरों के दबाव में पुनः वर्ष 2022 में बदल दिया गया है।
2. हरियाणा राज्य में स्टोन क्रेशर स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दूरियॉ निर्धारित की गई है लेकिन उनके द्वारा कोई भी दूरी फ्लड प्लेन से निर्धारित नही की गई है और बेलगढ़, टापू व कनालसी क्षेत्रों में सभी क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट यमुना नदी के फ्लड प्लेन एरिया में स्थापित कर संचालित हो रहे है।
3. प्रार्थी की जानकारी में आया है कि पुनः स्टोन क्रेशरों को फ्लड प्लेन से दूर कथित बिना किसी साक्ष्या के किया जा रहा है। प्रार्थी की जानकारी में कुछ वैज्ञानिक तथ्य फ्लड प्लेन के निर्धारण से सम्बन्धित व इसरो **(ISRO)** द्वारा संचालित वेबसाईट डाटा आया है व जिससे स्पष्ट है कि अधिकतर स्टोन क्रेशर गंगा नदी के एक्टिव फ्लड प्लेन के अन्दर स्थापित है जिसको तत्काल नोटिफिकेशन दिनांक 07.10.2016 के प्रावधानों के अर्न्तगत जिला कमेटी द्वारा भी हटाया जाना है जिसका विस्तार से विवरण निम्न प्रकार है–
4. भारत सरकार द्वारा पवित्र गंगा के संरक्षण एंव उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है जिसके लिए एक अलग से एक मंत्रालय **MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION** बनाया गया मन्त्रालय द्वारा समय समय पर गाईडलाईन्स, नोटिफिकेशन जारी कर गंगा संरक्षण उददेश्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे है। उसी के अर्न्तगत गंगा नदी के बचाव के लिए उसका नक्शा व उसके अन्दर फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए डाटा व उसके फ्लड प्लेन के सीमाओं के निर्धारण के लिए व विभिन्न प्रकार का डाटा सैटेलाईट से लेकर आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल एप्लिकेशन बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा National Remote Sensing Center(NRSC) Indian Space Research Organization(ISRO) के साथ Memorandum of Understanding (MOU) दिनांक 23.06.2015 को किया गया था। MOU में निम्न कार्य एन0आर0एस0/ इसरो (ISRO) को दिया गया है–

   5. SCOPE OF THE WORK

Both the parties would work together in the areas of applying geospatial technology in the various aspects of Clean Ganga initiative. The areas identified, that are of mutual interest are as under:

- Use of geospatial technology for water quality monitoring
- Development of mobile application for enabling community participation in monitoring/ up-linking of field data
- Customizing Bhuvan geoportal for visualizing, query and analysis of datasets related to Ganga basin
- Co-ordinate and initiate necessary linkages with other agencies, such as, Survey of India, C-DAC, etc with regard to geo-spatial database and web-based applications, for river water quality monitoring
- Any other areas of mutual interest

6. GUIDELINES ON DATA/ MAP SECURITY

Data collected during the execution of the study by NRSC and NMCG will be shared through necessary OGC WMS services and be kept safely in secure environment.

MOU दिनांक 23.06.2015 की प्रति संलग्नक नं0 16 पेज नं0 223 से 228 तक है।

उक्त MOU के अर्न्तगत इसरो (ISRO) द्वारा गंगा नदी से सम्बन्धित सभी डाटा सैटेलाईट के माध्यम से भू–वन पोर्टल संचालित किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार का डाटा ऑनलाईन किया गया है जिसमें गंगा नदी के फ्लड प्लेन क्षेत्र को भी लोड किया गया है जिसको उनके द्वारा सैटेलाईट के 2005–2006 के डाटा से बनाया गया है जिसमें सारे क्षेत्रों का Metadata व टैक्नीकल विवरण दिया गया है कि उसको किस तरह से बनाया गया है किस किस की मदद ली गई है मौके पर भी जॉच की गई है व सर्वे ऑफ इन्डिया की भी मदद ली गई है। इस डाटा में गंगा नदी जिसमें उसकी उप–नदियॉ भी शामिल है और यमुना नदी उसमें शामिल है। यह सारा डाटा ऑनलाईन पोर्टल पर आम लोगों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध है।

5. सबसे ज्यादा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट बेलगढ़, हरियाणा अधिकतर स्टोन क्रेशर हरियाणा के बेलगढ़ व उत्तर प्रदेश के असलमपुर बरथा व बरथा कोरसी में आमने सामने लगभग 50–50 दोनों तरफ लगे है जो गंगा फ्लड प्लेन के प्रतिबन्धित क्षेत्र में संचालित है। इस क्षेत्र के अलावा यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर व गाईडलाईन्स में प्रतिबन्धित दूरी 500 मीटर में संचालित है इन सबके द्वारा भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है इनके क्रेशरों से रास्ते अवैध खनन के गढढों तक जाते है जहॉ यमुना नदी में कोई खनन पटटा स्वीकृत नही है व इनके आस पास 50–50 फीट गहरे गढढे बने है जिनको गूगल अर्थ मैप पर समय–समय के फोटो से सत्यापन किया जा सकता है बेलगढ़ व उसके सामने वाले उत्तर प्रदेश के किनारे पर लगे लगभग 100 क्रेशरों को गूगल अर्थ पर मार्क किया गया है बेलगढ़ हरियाणा में पड़ने वाले को तिकोने निशान पर HC मार्क किया गया है व उत्तर प्रदेश बरथा कोरसी, असलमपुर बरथा में पड़ने वालों पर चाकौर निशान C से दिखाया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी फ्लड प्लेन नक्शे की लाईन को भी पीले रंग से ओवरले किया गया है व 500 मीटर प्रतिबन्धित लाईन को लाल रंग से मार्क किया गया है।

इसरो (ISRO) के फ्लड प्लेन मैप टोपोशीट व GSI मैप व मौके पर बन्धे बने होना व सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड प्लेन लाईन का निर्धारण बिल्कुल मिलान करने पर फ्लड प्लेन लाईन एक ही जगह पर है। लेकिन सिचांई विभाग व राजस्व विभाग को यह फ्लड प्लेन लाईन दिखायी नही दे रही है। किसी भी तरह से गूगल अर्थ मैप पर ओवरले कर देखा जा सकता है।

गूगल अर्थ के 15 फरवरी 2022 के नक्शे पर बेलगढ़, हरियाणा व बरथा कोरसी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशर व स्क्रीन प्लान्टों को व वर्तमान में संचालित स्टार माईन्स खनन

पटटे को मार्क किया गया है **जिसके स्क्रीनशॉट की प्रति संलग्नक नं0 17 पेज नं0 229 से 229 तक है।** सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की साईड फ्लड लाईन बन्धे को आधार मानते हुए बनायी गई है जिस नक्शे को जिलाधिकारी सहारनपुर को भेजा गया है उसको गूगल अर्थ पर ओवरले किया गया है **जिसके स्क्रीनशॉट की प्रति संलग्नक नं0 18 पेज नं0 230 से 230 तक है।**

उपरोक्त क्षेत्र की केएमएल फाईल को Indian Geo-Platform of ISRO की भूवन गंगा वेबसाईट पर अपलोड कर स्क्रीनशॉट लिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है व गंगा फ्लड प्लेन मैप की भी स्क्रीनशॉट लिया गया है **जिसके स्क्रीनशॉट की प्रति संलग्नक नं0 19 पेज नं0 231 से 232 तक है।** जो स्पष्ट रूप से पता लगता है कि गंगा नदी के फ्लड प्लेन प्रतिबन्धित क्षेत्र पर संचालित है सभी नक्शों व फोटो व फ्लड लाईन का सत्यापन कमेटी के टेक्नीकल सदस्य आई0टी0आई0 रूड़की से करायी जा सकती है।

6. भारत सरकार द्वारा पवित्र गंगा नदी के अस्तीतव को खतरे में देखकर उसके उददेश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अर्न्तगत अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें गंगा नदी की परिभाषा उसकी उप–नदियों की परिभाषा, उददेश्य उसके लागू होने के क्षेत्र, फ्लड प्लेन की परिभाषा, गंगा नदी की परिभाषा, धारा की परिभाषा, गंगा नदी की उप–नदियों की परिभाषा व गंगा नदी को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्राविधान अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 लागू की गई है **अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 की प्रति संलग्नक नं0 20 पेज नं0 233 से 250 तक है।** जिसके मुख्य प्राविधान निम्न प्रकार है–

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2016

S.O. 3187(E). —Whereas it is necessary to constitute authorities at Central, State and District levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and for matters connected therewith or incidental thereto; And whereas the River Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a National River; And whereas the River Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage, trade
effluents and other pollutants on account of rapid urbanisation and industrialisation;

1.Short title and commencement. – (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Applicability.- This Order shall apply to the States comprising River Ganga Basin, namely, Himanchal Pradesh, Uttarakhand, **Uttar Pradesh**, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga may decide for the purpose of effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

3.Definitions. - (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -

.....

(l)" flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;

.....

(u)" River Ganga" means the entire length of six head-streams in the State of Uttarakhand namely, Rivers Alakananda,
Dhauli Ganga, Nandakini, Pinder, Mandakini and Bhagirathi starting from their originating glaciers up to their respective confluences at Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karn Prayag, Rudra Prayag, and Dev Prayag as also the main stem of the river thereafter up to Ganga Sagar including Prayag Raj **and includes all its tributaries**;

.....

(zd) "stream" includes river, water course (whether flowing or for the time being dry), inland water (whether natural or artificial) and sub-terrain waters;
(ze) "**tributaries of River Ganga" means** those rivers or streams which flow into River Ganga and **includes Yamuna**
River, Son River, Mahananda River, Kosi River, Gandak River, Ghaghara River and Mahakali River and their tributaries or such other rivers which National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga may, by notification, specify for the purposes of this Order.
4. Principles to be followed for rejuvenation, protection and management of River Ganga. – (1) The following principles shall be followed in taking measures for the rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely: -

.....

(ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;
6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries. - (1) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated sewage or sewage sludge into the River Ganga or its tributaries or its banks:

.....

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:
Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:
Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.
53. Constitution of District Ganga Protection Committees. - (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

	(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely: -
	(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;
	(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;
	(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;
	(d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio	
(f) one District official to be nominated by the District Collector.	- Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order:

Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non-ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be.

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee. - The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. Functions and powers of District Ganga Committees. - (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of **River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4**.

उपरोक्त अधिसूचना में गंगा नदी की परिभाषा में यमुना नदी शामिल है व फ्लड प्लेन वह क्षेत्र है जहॉ पर नदियों का पानी पीछले 100 वर्षो में अधिकतम पहुॅचा है इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट गंगा संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है और उनके कर्तव्य पैरा 6 व 7 में दिये गये है जिसमें पैरा 6 सब पैरा 3 में गंगा रिवर या उसकी उप नदी के फ्लड प्लेन के किसी भी स्थायी या अस्थायी निर्माण को प्रतिबन्धित किया गया है और उसको हटाने की जिम्मेदारी भी जिला गंगा संरक्षण कमेटी को दी गई है।

7. उपरोक्त अधिसूचना पैरा 2 के अनुसार उत्तर प्रदेश व हरियाणा में भी लागू है व पैरा 53 के अनुसार जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी व उसकी उप नदी प्रभावित है उन जिलों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जिला गंगा संरक्षण कमेटी बनायी गई है जिसमें जिला सहारनपुर भी शामिल है जिसके लिए जिला गंगा संरक्षरण कमेटी अधिसूचना दिनांक 21.08.2021 को मनोनित की गई है जिसको भारत गजट में 24.08.2021 को प्रकाशित किया गया है **जिसकी प्रति संलग्नक नं0 21 पेज नं0 251 से 252 तक है।** जिसमे निम्न सदस्यों को मनोनित किया गया है।

A. Ex-officio Members:

1. **District Magistrate, Saharanpur** - Chairperson;
2. Shri Vipin Garg, Nominated Member, Nagar Palika Parishad, Deoband, Saharanpur - Member;
3. **Executive Engineer, Upper Division Eastern, Canal, Saharanpur** - Member;
4. **Executive Engineer, Regional Division, People Works Department, Saharanpur** - Member;
5. Chief Medical Officer, Saharanpur - Member;
6. **Regional Officer, Pollution Control Board, Saharanpur** - Member;
7. **Executive Engineer, Construction Unit, Jal Nigam, Saharanpur** - Member;
8. Chief Development Officer, Saharanpur - Member;
9. Mr. Ravindra Miglani, President, Industry Association, Saharanpur - Member;

10. Divisional Director, S.W. Division, Saharanpur -Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Dr. Umar Saif, Environmental Scientist, Saharanpur - Member;
2. Mr. A.C. Papneja, Environmentalist, Saharanpur - Member;
3. Professor Jalal Umar, Retired Principal, Islamia Inter College, Saharanpur - Member.

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन मामले में उपरोक्त जिला गंगा संरक्षण कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें पवित्र गंगा के फ्लड प्लेन क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रेशर को 500 मीटर से अधिक दूरी पर कथित किया जा रहा है लगातार मा0 न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश किये जा रहे है और फ्लड प्लेन की सीमा से दूरी बताने के लिए आईआईटी रूड़की जैसे संस्थानों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध स्टोन क्रेशरों को संचालित कराया जा सके जबकि उपरोक्त भू–वन गंगा पोर्टल पर स्पष्ट फ्लड प्लेन के डाटा उपलब्ध है जिसमें स्टोन क्रेशर फ्लड प्लेन में स्थापित है जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की गाईडलाईन्स 2010 व 2022 के अनुसार स्टोन क्रेशर फ्लड प्लेन से 500 मी0 की दूरी तक स्थापित करना प्रतिबन्धित है और जिला गंगा संरक्षण कमेटी के सदस्य जो मा0 न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर रहे है उपरोक्त तथ्यों जानबूझकर संज्ञान न लेते हुए स्टोन क्रेशर को संचालित करा रहे है जो अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 का भी उल्लंघन है। उपरोक्त डाटा जानकारी में आने के बाद भी यदि फ्लड प्लेन से 500 मीटर दूर बताया जाता है तो स्पष्ट होगा की यह सब भ्रष्टाचार का नतीजा है।

5. उत्तर प्रदेश व हरियाणा में प्रश्नगत क्षेत्र में यमुना नदी फ्लड प्लेन पर अवैध स्टोन क्रेशरों का प्रतिबन्धित क्षेत्रों पर स्थापना व संचालन विवरणः–

1. यमुना नदी के पूरब में उत्तर प्रदेश व पश्चिम में हरियाणा राज्य पड़ता है लेकिन उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा यमुना के पश्चिम में हरियाणा राज्य में पड़ता है यानि की यमुना के दोनों तरफ उत्तर प्रदेश के काफी हिस्से पड़ते है जहॉ पर अंसख्य स्टोन क्रेशर लगे हुए है। जिनको डिस्मेन्टल कर दिया गया था लेकिन समय व्यतीत होने के कारण उन्ही स्थानों पर सांठगांठ कर उन्हे चालू करायें गये है और जिनके द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा है।

   ऐसे में जो भी स्टोन क्रेशर गॉवों के मध्य लगे है वह सब गाईड लाईन्स 2010 के विरूध है जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिस्मेन्टल करने के आदेश दिये थे। उसके बाद अभी तक आबादी से दूरी में कोई बदलाव नही किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा इन सभी स्टोन क्रेशरों को जो आबादी के 1 किमी0 से पास में है सहमतियॉ प्रदान की जा रही है जो गाईडलाईन्स 2010 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2012 की स्पष्ट अवहेलना लगातार सरकारी मशीनरी की मिलिभगत से की जा रही है नदी से 500 मीटर की दूरी निर्धारित है लेकिन भ्रष्टाचार के चलते हुए 500 मीटर दूरी नापने के लिए कोई आधार अधिकारियों के पास नही है। भ्रष्टाचार को आधार बनाकर यमुना नदी के किनारों पर ही स्टोन क्रेशर संचालित है। जो लगातार अवैध खनन यमुना नदी से कर रहे है गुगल मैप पर देखने से स्पष्ट है कि क्रेशरों से रास्ते यमुना नदी में बने है और अवैध खनन के गढढों तक रास्ते जा रहे है। वहॉ पर कोई खनन पटटे नही है जहॉ क्रेशरों से रास्ते मिलते है। उक्त सब को रोकने की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक की लगायी गई थी लेकिन उक्त स्टोन क्रेशरों को बिना गाईडलाइन्स 2010 का अनुपालन कर अवैध खनन से संचालित कराया जा रहा है और भारी राजस्व को क्षति पहुॅचायी जा रही है।

2. उसके बाद जिला सहारनपुर में समय समय पर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी बदलते रहे और सुविधा अनुसार उन्हे स्टोन क्रेशरों को जिनको डिस्मेन्टल किया गया था दूसरे नामों से वह तहसील से और सिंचाई विभाग से नयी दूरी रिपोर्ट मंगाकर उन्हे संचालित कराये गये है गॉव आबादी से दूरी 1 किमी0 न्यूनतम निर्धारित है लेकिन कोई भीं क्रेशर न्यूनतम दूरी पूरी नही करता है इस तथ्य की जॉच मौके पर दूरी नापकर की जा सकती है। जबकि आबादी भीं गूगल अर्थ मैप पर नजर आती है और स्टोन क्रेशर के चारों कौने के लोंगीटयूट व लैटीटयूट भीं निर्धारित होते है यदि उनको प्रदूषण विभाग स्वंय भीं चैक करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यमुना नदी के किनारे समस्त स्टोन क्रेशरों को गलत तरीके से सहमतियॉ प्रदान की गई है और लगातार की जा रही है इस तथ्य की जानकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारियों को भीं है लेकिन वह तहसील की रिपोर्ट को आधार बनाकर भ्रष्टाचार के आधार पर सहमतियॉ जारी कर रहे है। भ्रष्टाचार को लगातार जारी करने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है और तहसील से रिपोर्ट मंगायी जाती है यह एक बड़ी मिलीभगत है यह सब स्टोन क्रेशर आबादियों के पास लगे है ओर यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर व यमुना नदी तल पर लगे है कुछ तो यमुना नदी के अन्दर ही लगे है वही से अवैध खनन कर रहे है और राजस्व को क्षति पहुॅचा रहे है जो गाईडलाइन्स 2010 के प्रावधान के विरूध है लेकिन लगातार चलाए जा रहे है।
3. गाईडलाइन्स 2010 में नदी से न्यूनतम दूरी 500 मी0 निर्धारित की गई थी जो अभी भीं लागू है इस दूरी को देखते हुए यमुना नदी के किनारे स्थापित समस्त स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट डिस्मेन्टल

किए गए थे लेकिन उन्हे पूर्णतयः चलवाने के लिए सिंचाई विभाग से दूरी प्रमाण पत्र लिया जा रहा है जबकि कुछ स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट यमुना नदी के अन्दर लगे हुए है इनको यमुना नदी की सीमा का ही पता नही है दूरियॉ कहॉ से नापी जाएगी किसी को पता नही है वह गर्मियों के दिनों में यमुना नदी में हथनीकुण्ड बैराज से पानी बन्द कर दिया जाता है और हरियाणा में डाईवर्ट कर दिया जाता है इसलिए नदी में पानी नही बहता बहुत थोड़ा सा पानी होता है जिसको दूरी नापने के लिए डाईवर्ट कर तिरछी दूरियॉ नाप दी जाती है जबकि यमुना नदी के किनारे स्पष्ट है और ये क्रेशर नदी के अन्दर लगे है इन क्रेशरों के लोंगीटयूट व लैटीटयूट गूगल अर्थ पर डालकर देखे जा सकते है और गूगल अर्थ को 2009 से 2014 की इमेज देखने पर स्पष्ट हो जाएगा की ये क्रेशर पानी के बिल्कुल किनारे पर लगे है यही नही अधिकतर क्रेशर द्वारा जो जमीने खरीदी गई है उनकी बाउण्ड्री में पश्चिम दिशा में यमुना नदी का उल्लेख किया गया है।

4. जब बैनामें में ही बराबर में यमुना नदी लिखी है तो सिंचाई विभाग 500 मीटर की दूरी कैसे लिख रहा है जिससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आधार पर गाईडलाइन्स 2010 व मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना लगातार भ्रष्टाचार के कारण की जा रही है यमुना नदी के किनारे स्टोन क्रेशर इसलिए स्थापित किये जा रहे है क्योंकि वह वही से अवैध खनन कर माल बेचते है इस प्रकरण की जॉच कराएं जाने पर एक बड़ा भ्रष्टाचार व राजस्व हानि का मामला सामने आएगा।
5. इसके अतिरिक्त भारत के अन्दर मौके के नक्शे के लिए सर्वे ऑफ इन्डिया अधिकृत है। उनके द्वारा सभी जगह के नक्शे बनाये गये उनके द्वारा अपने नक्शों में सभी स्थान नदी, नाले, रास्ते, आबादी स्पष्ट रूप से दर्शायी जाती है और वह सभी जगह न्यायालयों में मान्य है। उनके बनाये नक्शों टोपोशीट पर यमुना नदी की सीमा व बॉध स्पष्ट बनाये गये है उनके ऊपर क्रेशरों को अंकित करने पर लगभग 100 क्रेशर हथनीकुण्ड से नुनियारी तक यमुना नदी के अन्दर व बॉध के किनारे पर लगे है जो सब अवैध संचालित हो रहे है और उनके द्वारा लगातार मिलिभगत से अवैध खनन कर राजस्व व पर्यावरण को क्षति पहुचांयी जा रही है।
6. यदि प्रदूषण विभाग स्टोन क्रेशर की सभी कोनों के लोंगीटयूट व लैटीटयूट लेकर वह निकटतम आबादी का लोंगीटयूट व लैटीटयूट लेकर गूगल अर्थ पर जॉचे तो यह सब नही हो सकता लेकिन वह जानबूझकर नही कर रहे है इसी प्रकार यमुना नदी का लोंगीटयूट व लैटीटयूट लिया जाए जहॉ से वह उसकी दूरी दर्शाते है और उसको सर्वे ऑफ इन्डिया की टोपोशीट पर चैक करें की पानी की धारा कहॉ तक आती है तो उसके बाद फ्लड प्लेन एरिया को छोड़ते हुए 500 मी0 की दूरी चैक कर ही सहमति जारी करें तो ये भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है और पत्रावली पर लोंगीटयूट व लैटीटयूट होने से भविष्य में भीं कार्यालय में बैठे बैठे जॉच की जा सकती है।
7. विभाग को अपने प्रार्थना पत्र के फार्मेट में ही निर्धारित किया जाना चाहिए की दूरियॉ जहॉ से नापी जा रही है उनके लोंगीटयूट व लैटीटयूट का प्रत्येक बिन्दु का उल्लेख कराय जाए ताकि उनको कार्यालय में भीं बैठकर कोई भी चैक कर सके और पब्लिक के लोग भीं उसको देख सके की दूरियॉ कहॉ से कहॉ नापी गई है अगर गलत नापी जाएगी तो लोग उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है लेकिन ऐसा नही किया जा रहा है जबकि आजकल खनिज विभाग पर्यावरण विभाग सभी सेटेलाईट की मदद ले रहे है लेकिन प्रदूषण विभाग भ्रष्टाचार बनाए रखने के लिए तहसीलदार और सिचांई विभाग की मैनुअल रिपोर्ट पर भरोसा कर सहारा लेते है और खुलेआम भ्रष्टाचार फैला रहे है।
8. प्रार्थी द्वारा कुछ स्टोन क्रेशरों की दूरियॉ गूगल अर्थ पर बनायी गई है जिनमें स्पष्ट है कि वह आबादी से एक किमी0 से कम दूरी पर है वह यमुना नदी के अन्दर लगे है व किनारों पर लगे है किसी की भीं दूरी 100 मी0 से 200 मी0 से ज्यादा दूरी नही है यमुना नदी की चौड़ाई लगभग एक किलोमीटर

से डेढ़ किलोमीटर तक है जिसमें पानी केवल 100 मीटर के अन्दर बहता है केवल बरसात के दिनों में पूरी यमुना में पानी आता है बरसात के तुरन्त बाद हथनीकुण्ड बैराज से पानी हरियाणा की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है मात्र 10–20 प्रतिशत पानी ही सहारनपुर यमुना में छो़ा जाता है जो केवल 100 मीटर दूरी में बहता है जिसको आधार बनाकर यह लोग नियमों की धज्जियॉ उड़ा रहे है जबकि यमुना नदी से फ्लड प्लेन की सीमा बरसात के दिनों में ही निर्धारित की जा सकती है जो इस कार्य को किसी के द्वारा नही किया जा रहा है सर्वे ऑफ इन्डिया के नक्शे के आधार पर बनाया जा सकता तो गाईडलाईन्स के उल्लंघन को बचाया जा सकता है और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है।

9. जिन स्थानों पर पहले अवैध स्क्रीनिंग प्लान्ट व स्टोन क्रेशर 500 मीटर यमुना नदी से कम दूरी पर थे। उनको डिस्मेन्टल कर दिया गया था खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन के नोटिस दिये गये थे। अब उन्ही स्थानों पर 500 मीटर से अधिक दूरी व 1 किमी0 आबादी से दूरी दिखाकर पुनः अनापत्ति दूसरे नामों से जारी की गई बड़ा ही खेल खेला गया है सिचांई विभाग वर्ष 2012 में 500 मीटर के अन्दर व आबादी से 1 किमी0 दूरी बताकर डिस्मेन्टल कराता है अब उन्हे ही 500 मी0 से दूर व आबारी से 1 किमी0 दूर दिखाकर सहमति जारी कर रहा है बड़ी जॉच का विषय है।

1. दूरियों के अतिरिक्त किसी भी क्रेशर द्वारा न तो चारदीवारी बनायी गई है न तो क्रेशर के अन्दर पक्की सड़क बनायी गई है न तो कोई सैफ्टी टैंक बनाये गये है सारा पानी यमुना नदी में बहाया जाता है किसी के द्वारा भी 33 प्रतिशत भूमि पर पेड़ नही लगाये गये है न ही मशीनों व स्क्रीन को कवर किया गया है और न ही पानी छिड़काव के लिए कोई इन्तजाम किया गया है। ग्राउण्ड वॉटर विभाग के नोटिफिकेशन 2020 के अनुसार अनापत्ति प्राप्त नही की गई है। जबकि सहमति की षर्त भीं है लगभग सभी क्रेशर जनरेटरों से चलाये जाते है जिनकी अनुमति भी बिजली विभाग से नही ली गई और न ही उन पर मीटर लगाये गये है और उनकी चिमनी की ऊॅचायी भी नियमानसुार नही है । जिनके द्वारा भण्डारण लाईसेन्स लिए गये है लेकिन उनके द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरे नही लगाये गये है।
2. यमुना नदी किनारे लगे स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा गलत सूचना तथ्य विभागों के समक्ष प्रस्तुत करते है और दूसरे विभागों से भ्रष्टाचार के आधार पर सत्यापन कराते है उनके आधार पर धोखाधड़ी के आधार पर ई0सी0 व सहमति प्राप्त कर रहे है जो शून्य है।

   उक्त तथ्यों को अनदेखा कर विभाग द्वारा कन्सेन्ट जारी की जा रही है जिससे लगातार गाईडलाइन्स 2010 के प्रावधानों का एंव मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2012 का उल्लंघन किया जा रहा है और पर्यावरण को क्षति पहुॅचायी जा रही है लोगों के स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है भविष्य में जिसके परिणाम गम्भीर होगें और भारी राजस्व की क्षति सरकारी मशीनरी की मिलिभगत से पहुॅचायी गई है।

3. एक बड़ा घोटाला और किया जा रहा है कि क्रेशरों का नाम बदल कर सहमतियॉ व भण्डारण लाइसेन्स लिए जा रहे है क्योंकि पहले नामों पर अवैध खनन के नोटिस जारी है। इसलिए उन्हे भण्डारण लाईसेन्स नही दिये जा सकते है। वह नाम बदलकर भण्डारण लाईसेन्स खनिज विभाग से ले रहे है कुछ को अवैध खनन के नोटिस नही भेजे गये है जबकि वह डिस्मेन्टल की सूची में षामिल है। बड़ा खेल इस आधार पर भीं प्रदूषण विभाग व खनिज विभाग में चल रहा है जिन लोगों द्वारा पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र ली गई थी सैल्स टैक्स विभाग मे पंजीकृत थे उनको तो विभाग छोड़ नही रहा और रगड़े पर रगड़े मार रहा है। जो लोग बिल्कुल अवैध बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजीकरण के चला रहे थे उनके विरूध कुछ नही कर रहा है और भ्रष्टाचार के आधार

पर उन लोगों को भूमि बेचने का मौका दिया गया है और उन्ही जगह पर अब दूसरे नामों से अवैध क्रेशर चल रहे है यह भीं एक जॉच का विषय है।

जिला सहारनपुर में भण्डारण लाईसेन्स की आड़ में स्टोन क्रेशरों द्वारा यमुना नदी से अवैध खनन कर भारी राजस्व क्षति लॉकडाउन में भी पहुॅचायी जा रही अभी कानूनों का उल्लंघन कर मनीलॉन्ड्रिंग की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर बिना सरकारी मिलिभगत के सम्भव नही है।

6. मै0 स्टार माईन्स बरथा कोरसी, सहारनपुर द्वारा किये गये अवैध खनन के साक्ष्यः–

1. **मै0 स्टार माईन्स पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश से लगभग 22 करोड़ जुर्माना लगाया गया जो लगभग 100 करोड़ बनता है लेकिन उसका खनन कभी नही रोका गया और उसको पूरा मौका दिया गया िकवह पूरे वर्ष का खनन 6 माह में ही कर ले उसके द्वारा जून तक किये जाने वाला खनन जनवरी तक ही कर लिया गया है जो पर्यावरण सहमति का स्पष्ट उल्लंघन है। जॉच के आदेश के बाद लगातार यमुना नदी में जल धारा को पुनः मशीनों से बदलने की कोशिश की जा रही है व अवैध खनन के निशान मिटाये जा रहे है जिसकी ड्रोन से फोटो ली गई है फोटो दिनांक 02.02.2023 संलग्नक नं0 22 पेज नं0 253 से 253 तक है। यह सब प्रशासन की जानकारी में है। जॉच के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।**
2. जिसकी जॉच के समय भी प्रार्थी मौके पर उपस्थित था लेकिन उत्तर प्रदेश के खनन संचालक मै0 स्टार माईन्स व उसके पार्टनर वेदपाल सिंह, दीपक चौधरी, संजय कर्णवाल, रविन्द्र कुमार, भानू कर्णवाल आदि लोग के प्रभाव में मेरी एक भी सच्चाई नही सुनी गई जबकि मेरे द्वारा मौके पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये फोटो, विडियो जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जल धारा में भारी मशीनों से हरियाणा सीमा में जल धारा को परिवर्तित किया जा रहा है जिससे भारी पर्यावरण व राजस्व की क्षति हुई है।
3. रिपोर्ट में सही तथ्यों को छिपाया गया गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये जिसका आभास प्रार्थी को निरिक्षण के समय ही हो गया था जिसकी लिखित शिकायत भी प्रार्थी ने मय फोटो के भेजी थी लेकिन कमेटी द्वारा सभी तथ्यों को छिपाकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी के द्वारा दिये गये प्रमाणित साक्ष्यों को जानबूझकर छुपाया गया।
4. संयुक्त रिपोर्ट में श्रीमान एस0डी0एम0, बेहट की दिनांक 13.04.2022 की आख्या लगायी गई है जिसमें खनन पटटे से हरियाणा सीमा की दूरी 2056 मीटर दिखायी गई है जो मात्र 200 मीटर से भी कम है जिसकी जॉच खनन पटटे में दिये गये लोंगीटयूट व हरियाणा के बेलगढ नॉर्थ के लोगींटयूट से की जा सकती है। तथ्यों का मिलीभगत से गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जो शिकायत प्रार्थी द्वारा मय साक्ष्यों के की गई उनको छुपाया गया है उनका कोई सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है।
5. जब भी कोई जॉच टीम जाती है तो उसकी सूचना खनन पटटा धारक को पूर्व से दी जाती है और उस दिन खनन बन्द दिखाया जाता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दोनों राज्यों के अधिकारियों को खनन करने वालों के साथ मिलिभगत कर होना पाया गया है और दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों को अवैध खनन करने वाले व उनको सहयोग करने वाले लोगों के विरूध दिनांक 12.08.2022 को कार्यवाही के आदेश दिये गये है **आदेश दिनांक 12.08.2022 की प्रति संलग्नक नं0 23 पेज नं0 254 से 259 तक है।**
6. खनन पटटा धारक पर पूर्व में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित टीम द्वारा 11 करोड़ का जुर्माना मा0 एन0जी0टी0 द्वारा आरोपित किया गया है और रिपोर्ट में पाया गया था की लोंगीटयूट व लैटीटयूट खनन पटटे के व ई0सी0 में अलग अलग है जो अभी तक ठीक नही कराया गया है। बिना CTO-CTE व ग्राउण्ड वॉटर अनापत्ति के खनन किया गया है यह सभी तथ्य छिपाये गये है रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई है जो इस रिपोर्ट में भी शामिल है। यदि जॉच निष्पक्ष की जाती तो इस रिपोर्ट को भी उस रिपोर्ट का भाग बनाया जाता व प्रार्थी द्वारा भेजी गई शिकायते व फोटो भी रिपोर्ट का भाग होता। **रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 प्रति संलग्नक नं0 24 पेज नं0 260 से 273 तक है।** रिपोर्ट की प्रति मा0 एन0जी0टी0 की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जिसको मा0 एन0जी0टी0 द्वारा स्वीकार की गई **आदेश दिनांक 10.05.2022 की प्रति संलग्नक नं0 25 पेज नं0 274 से 292 तक है।** माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के बावजूद भी कोई आरोपित

जुर्माना जमा नही कराया गया है लेकिन उसके बाद भी खनन पटटा लगातार संचालित हो रहा है अभी तक भी खनन पटटा निरस्त नही किया गया है। जिसस भी मिलिभगत स्पष्ट है।

7. सभी तथ्य छुपाये गये है और खनन पटटे धारकों को क्लीन चिट दी गई है। अभी तो यह भी सही पता नही है कि खनन क्षेत्र की सीमा क्या है जो सीमा खनन पटटे में दी गई है वह हरियाणा की सीमा पर है जबकि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग उसे 2 किमी0 दूर दिखा रहा है जो अपने आप में मिलीभगत साबित करता है तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत जानबूझकर मिलिभगत के कारण दोनों राज्यों के अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी है और पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने व राजस्व क्षति करने में सहयोगी रहे है।
8. इसी क्षेत्र की जॉच श्रीमान कमीशनर महोदय द्वारा दिनांक 20.05.2022 को स्वंय अचानक की गई थी जिसमें भारी अनियमित्तांए व भारी अवैध खनन पाया गया था मौके पर अधिकारी सीमाएं तक भी नही बता पाये थे जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई थी लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नही किया गया और सभी तथ्य खनन पटटेधारक से मिलिभग्त के कारण चुप है अगर इस मामले की किसी केन्द्रीय एजेन्सी से जॉच करायी जाएगी तो हजारों करोड़ की राजस्व क्षति सामने आएगी प्रार्थी सभी तथ्य न्यायालय के सामने भी प्रस्तुत करेगा। **समाचार पत्रों की कटिंग व फोटो संलग्नक नं0 26 पेज नं0 293 से 294 तक है।**
9. जिसकी जॉच के समय भी प्रार्थी मौके पर उपस्थित था लेकिन उत्तर प्रदेश के खनन संचालक मै0 स्टार माईन्स व उसके पार्टनर वेदपाल सिंह, दीपक चौधरी, संजय कर्णवाल, रविन्द्र कुमार, भानू कर्णवाल आदि लोग के प्रभाव में मेरी एक भी सच्चाई नही सुनी गई जबकि मेरे द्वारा मौके पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये फोटो, विडियो जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जल धारा में भारी मशीनों से हरियाणा सीमा में जल धारा को परिवर्तित किया जा रहा है जिससे भारी पर्यावरण व राजस्व की क्षति हुई है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.04.2022 व 07.09.2022 को सभी प्रमाणित साक्ष्य सहित शिकायतें सभी सम्बन्धित विभागों एंव अधिकारियेां को मय फोटो के दी गई लेकिन उनके द्वारा उन पर कोई संज्ञान नही लिया गया।
10. मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12.08.2022 को सभी तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए दोनो राज्यों के उच्च सरकारी अधिकारियों को उन अधिकारियों के विरूध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये जिनके द्वारा ठेकेदार से मिलिभगत कर जलधारा परिवर्तन किया गया व अवैध खनन किया गया। जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही न कर दिनांक 09.09.2022 को मा0 न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिस पर अपत्तियॉ निम्न प्रकार है **रिपोर्ट दिनांक 09.09.2022 की प्रति संलग्नक नं0 27 पेज नं0 295 से 297 तक है।**
11. मा0 न्यायालय द्वारा जिन लोगों को मिलिभगत में पाया गया था उच्च अधिकारियों द्वारा पुनः उन्ही की रिपोर्ट के आधार पर जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसके पैरा नं0 04 निम्न प्रकार है–

    4- Pursuant to directions of Hon'ble Tribunal, District Magistrate Saharanpur conducted enquiry and submitted a fresh report to the Government in this matter and as per this report, the facts of the matter are following: -

    1- The lease deed of five-year mining was approved for mining of sand, gravel, boulder (in mixed condition) in Gata No- 1 area-36.00 hectare of M/s Star Mines Village Bartha Korsi on 01-04-2021.

    2- In Compliance with the order dated 28-10-2021 of Hon'ble National Green Authority, the mining on the said plot remained un-operational till 10-01-2022.

    3- The mining lease was un-operational till 09-01-2022 in compliance with the order dated 28-10-2021 of Hon'ble National Green Tribunal due to non-receipt of water/air consent from the UP Pollution Control Board.

    4- After the above date, Mining is being done by the leasee M/s Star Mines, Saharanpur within the limits of approved area of lease in UP.

5- Executive Engineer, Irrigation Construction Division, Saharanpur has been directed by letter dated 31-08-2022 to make available the inquiry report regarding the change in the flow of Yamuna River within a week.

6- As per the report of the Tehsildar Chhachhrauli, Yamuna Nagar, Haryana. It seems that the Illegal mining seems to be taking place in the village Belgarh which is located in the state of Haryana. Village Belgarh and Village Koliwala, which are adjacent to the border of Haryana and Uttar Pradesh, currently have mining leases in operation and many stone crushers have been established in the said area. But no mining work has been done by M/s Star Mines outside its sanctioned area towards Belgarh. Belgarh falls in west direction and village Bartha Korsi falls in east direction.

7- As far as the change in the flow of the river is concerned, no change in the flow of the river has been found during the onsite inspection, as per the individual report submitted by the team members consisting of officers of Uttar Pradesh. Its was also informed by the local people that the river has been flowing at this place since many years.

उपरोक्त विवरण न्यायालय को तथ्य छुपाकर प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि ठेकेदार व अधिकारियों के विरूध कार्यवाही करने से बचा जा सके। पैरा नं0 04 के सब पैरा 02 व 03 में स्पष्ट किया गया है कि खनन 09.01.2022 से पूर्व नही किया गया है जबकि यह कथन गलत है मा0 एन0जी0टी0 के आदेश पर अन्य मामले में जॉच की गई थी जिसमें कमेटी द्वारा भारी अनियमित्ताएं पायी गई थी व खनन 01.04.2021 से 30.06.2021 तक लगातार किया गया था जिस पर कमेटी द्वारा 11 करोड़ रूपये जुर्माना भी लगाया गया था रिपोर्ट की प्रति पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो मा0 न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक जमा नही किया गया है और खनन लगातार कराया गया है इसके बाद ठेकेदार मै0 स्टार माईन्स द्वारा उक्त आदेश को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील नम्बर 5013/2022 दायर की गई थी जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 करोड़ रूपये जमा कराने की शर्त पर नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे **आदेश दिनांक 12.08.2022 की प्रति संलग्नक नं0 28 पेज नं0 298 से 298 तक है।**

12. इसके अतिरिक्त एक दूसरे मामले में ओ0 ए0 249/2021 में भी मै0 स्टार माईन्स को अवैध खनन का जुर्माना गणना कर वसूली करने के आदेश दिये गये थे जिसके विरूध भी मै0 स्टार माईन्स द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल डायरी नम्बर 26439/2022 दायर की गई थी जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरण क्षति की गणना करने के लिए कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है **आदेश दिनांक 26.09.2022 की प्रति संलग्नक नं0 29 पेज नं0 299 से 300 तक है।** यह सभी मामले राज्य सरकार के अधिकारियों की जानकारी में है उसके बाद भी रिपोर्ट में तथ्यों को छुपाया गया है। यमुना की जलधारा परिवर्तन व अवैध खनन के सम्बन्ध में भी तथ्यों को छुपाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके प्रमाणित साक्ष्य निम्न प्रकार है–

गूगल अर्थ सैटेलाईट मैप पर मै0 स्टार माईन्स के खनन क्षेत्र को लोगीटयूट व लैटीटयूट के माध्यम से दर्शाया गया है दिनांक 09.12.2018, 04.12.2019 व 25.11.2021 की इमेज के अनुसार खनन क्षेत्र के अन्दर को जलधारा बह रही है जलधारा के अन्दर गाईडलाईन्स 2020 के अनुसार कोई खनन नही किया जा सकता है कमेटी की रिपोर्ट में भी इसको स्पष्ट किया गया था रिपोर्ट दिनांक 09.09.2022 में स्वीकार किया गया है कि खनन 09.01.2022 से किया जा रहा है गूगल अर्थ सैटेलाईट मैप पर दिनांक 15.02.2022 की इमेज सुबह 5 बजे की उपलब्ध है जिसपर लाल रंग की लाईन से खनन क्षेत्र अंकित है व जिसपर पीले रंग से गोला बनाया गया है जिसमें जो

खनन क्षेत्र से बाहर है व जलधारा को रोककर रास्ता बनाया गया है व जलधारा को परिवर्तन कर हरियाणा राज्य की सीमा पर मोड़ा गया है जो स्पष्ट दिखायी दे रहा है इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर हरियाणा की दिशा में भारी मशीनों से खनन कर ट्रको में लोडकर उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है जिसको सफेद लाईन के गोले में दिखाया गया है इसके अतिरिक्त यमुना नदी की जलधारा के मध्य खनन क्षेत्र में भारी मशीनों से खनन कर ट्रकों में लोडिंग की जा रही है। यह सब नजारा सुबह 5 बजे का है जबकि पर्यावरण सहमति में सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक खनन कार्यवाही प्रतिबन्धित है लेकिन इनके द्वारा सुबह 5 बजे से भारी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है जो अपने खनन क्षेत्र से बाहर भी है यह प्रमाणित साक्ष्य गूगल अर्थ का सैटेलाईट मैप दिनांक 15.02.2022 का साथ में संलग्नक नं0 30 पेज नं0 301 से 304 तक है। जलधारा को रोक कर लगातार यमुना नदी की जलधारा को परिवर्तन कर व यमुना नदी की जलधारा के अन्दर भारी मशीनों से खनन किया जा रहा है लेकिन रिपोर्ट दिनांक 09.09.2022 में स्पष्ट किया जा रहा है कि न तो कोई जलधारा बदली गई है और न ही कोई खनन क्षेत्र के बाहर खनन किया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह भी मिलिभगत का नतीजा है। उक्त प्रमाण के बाद नही कहा जा सकता कि जलधारा को नही परिवर्तन किया गया और हरियाणा की तरफ क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया गया। उपरोक्त सभी तथ्य प्रस्तुत रिपोर्ट में जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत की गई है।

7. जिला सहारनपुर में गैर कानूनी डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) के आधार पर किये गये नीलामी का विवरणः–

1. जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाया गया था जिसके बाद बार बार उसमें गैर कानूनी तरीके खनन क्षेत्र दिखाकर वर्ष 2019–20 में निलाम किये गये है उसके पूर्व कोई भी रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी नही करायी गई Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 व Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 का उल्लंघन कर निलाम कर अवैध खनन कराया गया जिसकी जॉच रिकॉर्ड से की जा सकती है। अवैध डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किये गये निलाम निरस्त होने चाहिए।
2. जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाया गया था जिसको ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः बनाना है। बल्कि समय समय पर उसमें नये क्षेत्र नोटिफिकेशन Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 व Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन कर निलामी की गई है और अब पुनः दिनांक 26.11.2022 को इसमें संसोधन गैर कानूनी तरीके से कर नीलामी करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अब पुनः डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट 2022 वेबसाईट पर दिनांक 13.01.2023 को सहारनपुर की वेबसाईट पर लोड किया गया है।
3. प्रस्तावित डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 03.12.2021 में 11 खनन लॉट यमुना नदी में कलस्टर में प्रस्तावित है यमुना नदी हरियाणा राज्य के जिला यमुनानगर व उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के मध्य में स्थित है और यमुना नदी में कुछ भाग हरियाणा राज्य में आता है व कुछ भाग उत्तर प्रदेश राज्य में आता है दोनों ही राज्यों द्वारा यमुना नदी में खनन पटटे स्वीकृत किये गये है व स्वीकृत किये जा रहे है। जहॉ ऐसी स्थिति होती है वहॉ के लिए गाईडलाईन्स 2020 में निम्न प्रावधान किया गया है–

PAGE NO 49: -

9.3 Monitoring of Mining near Inter-district or inter-state boundary

There are situations where bifurcated river becomes district boundaries or state boundaries in such situation it is difficult to assess the mining potential, or to have close monitoring and enforcement of the regulatory provision. Such challenges have been identified and dealt with in SSMG-2016. However, in the absence of any standardized procedure, the monitoring has not been effectively practiced. This has been highlighted by the High-Power Committee constituted by NGT in the matter pertaining to illegal mining.

The districts/state sharing the boundary shall constitute the combined task force for monitoring of mined materials, mining activity and also should actively participate in the preparation of DSR by providing appropriate inputs. In such cases, the draft DSR so prepared shall be put up for public consultation in both the districts through respective district administration website.

The task force shall meet every quarter to reconcile the data collected during the period and identify any gap/ lapses based on the outcome of such meeting. The respective district shall take action/ corrective measures. Effort shall be made for real-time data sharing between both the district.

गाईडलाईन्स 2020 के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट उपरोक्त श्रेणी में आता है और इनका डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट दोनों ही जिलों के आपसी जानकारियॉ उपलब्ध

कराने के बाद ही तैयार किया जा सकता है क्योंकि यमुना नदी में कोई विभाजन लाईन नही है प्रत्येक दिन विवाद रहना है दोनों ही राज्य अपना अपना क्षेत्र छुपा रहे है। जबकि जिला सहारनपुर कमेटी द्वारा कोई जानकारी यमुनानगर जिले से नही ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट जनमानस सुनवायी के लिए दोनों जिलों के प्रशासनिक वैबसाईट पर लोड किया जाना है लेकिन जिला सहारनपुर के प्रशासन द्वारा कोई भी प्रस्तावित डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट यमुनानगर वैबसाईट पर लोड कराने के लिए भेजा गया है और नही कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट गाईडलाईन्स 2020 के प्रावधानों के विपरित है और इस डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोई निलाम नही किया जा सकता।

4. प्रस्तावित डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट 2022 के साथ रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी का डाटा लगाया गया है जिस पर दिनांक 26.12.2022 के हस्ताक्षर है उसमें पोस्ट–मानसून एंव प्री–मानसून डाटा दिया गया है जबकि प्रथम रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के लिए 4 बार डाटा लिया जाना है जो नही लिया गया है रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी गाईडलाईन्स 2020 के प्रावधानों के विरूध और शून्य है गाईडलाईन्स 2020 में निम्न प्रावधान है–

"PAGE No: - 27

5.1 Generic Structure of Replenishment Study

Initially replenishment study requires four surveys. The first survey needs to be carried out in the month of April for recording the level of mining lease before the monsoon. The second survey is at the time of closing of mines for monsoon season. This survey will provide the quantity of the material excavated before the offset of monsoon. The third survey needs to be carried out after the monsoon to know the quantum of material deposited/replenished in the mining lease. The fourth survey at the end of March to know the quantity of material excavated during the financial year. For the subsequent years, there will be a requirement of only three surveys. **The results of year-wise surveys help the state government to establish the replenishment rate of the river. Based on the replenishment rate future auction may be planned.**

The replenishment period may vary on nature of the channel and season of deposition arising due to variation in the flow. Such period and season may vary on the geographical and precipitation characteristic of the region and requires to be defined by the local agencies preferable with the help of the Central Water Commission and Indian Meteorological Department. The excavation will, therefore, be limited to estimated replenishment estimated with consideration of other regulatory provisions."

5. यमुना नदी में जो प्रस्तावित खनन क्षेत्र कथित किये गये है वह सब के मध्य में जलधारा है जो 12 महिने लगातार बहती है जिसको गूगल मैप पर देखा जा सकता है यमुना नदी में मध्य में बनाये गये है जबकि गाईडालाईन्स 2020 के पेज नं0 24 पर नदी के मध्य में 3/4 भाग प्रतिबन्धित किया गया है जिसमें कोई खनन नही किया जा सकता ऐसा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 एनजीटी द्वारा अपेन आदेशों में पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है लेकिन डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाते समय किसी भी तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है और न ही मौके पर जा कर जॉच की गई है। इसलिए डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट में संसोधन किया जाना आवश्यक है।

"PAGE No: -24

r) River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from river banks but up to 10% of the width of the river, as the case may be and decided by regulatory authority while granting environmental clearance in consultation with irrigation department. Regulating

authority while regulating the zone of river bed mining shall ensure that the objective to minimize the effects of riverbank erosion and consequential channel migration are achieved to the extent possible. In general, the area for removal of minerals shall not exceed 60% of the mine lease area, and any deviation or relaxation in this regard shall be adequately supported by the scientific report."

6. सभी विभागों द्वारा कॉरडिनेटस डालकर अनापत्तियॉ जारी की गई है संयुक्त निरिक्षण किये गये है लेकिन किसी के द्वारा नही देखा गया कि अलाउदीनपुर बांस अहतमाल व महमूदपुर नगली अहतमाल एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप है और बड़े क्षेत्रफल में ओवरलेपिंग है जिससे भी स्पष्ट है कि यह दोनों ही लॉट निलाम जो भी लेगा वह विवादों में आ जाएगा। इस आधार पर भी डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट में संसोधन किया जाना आवश्यक है।
7. यमुना नदी में सभी लॉट जल धारा के मध्य बनाये गये है जहॉ हर समय जल धारा बहती है गाईडलाईन्स के अनुसार जलधारा में कोई खनन अनुमति नही दी जा सकती है इसलिए जो भी लॉट जलधारा के मध्य बनाये गये है उनको हटाया जाए।
8. लोगों द्वारा अपत्तियॉ प्रस्तुत की गई लेकिन और उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोई भी निलाम नोटिफिकेशन 25.07.2018 व गाईडलाईन्स 2020 में दिये गये डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट प्रक्रिया को अपनाये हुए नही बनाया जा सकता नये प्राविधानों के अर्न्तगत गाईडलाईन्स 2020 के अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट बनाया जाना है यदि उसमें दी गई प्रक्रिया या उसके प्रपत्रों का पालन किये बगैर कोई डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट फाईनल जारी किया जाता है तो वह शून्य है और गैर कानूनी है और उसके आधार पर किया गया कोई भी निलाम गैर कानूनी व शून्य होगा।

8. जिला यमुनानगर में गैर कानूनी डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) के आधार पर किये गये नीलामी का विवरणः–

जिला यमुनानगर, हरियाणा में वर्ष 2017 के बाद कोई डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट नही बनाया गया है और न ही आज तक कोई राज्य सरकार द्वारा यमुना नदी की रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी करायी गई है लेकिन नदी तल मे निलाम किये गये है जो गैर कानूनी है और जो नीलाम वर्तमान में बिना रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के बनाये गये है उनको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए ओर जो नया डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट बने उसको दोनों राज्यों की सहमति से बनाया जाना चाहिए। जो नीलाम किये गये है उनको निरस्त किया जाना चाहिए।

9. जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन करने वालों का विवरणः–

1. उत्तर प्रदेश सहारनपुर में मौ0 इकबाल व उसके परिवार द्वारा भारी अवैध खनन किया गया था। अपने परिवार के सदस्यों के नाम बैनामें खनन पटटे हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मिलिभगत कर प्राप्त किये गये है और नियमों के विरूध अवैध स्टोन क्रेशर स्थापित कर अवैध खनन लगातार करा रहे है। जिससे पर्यावरण व राजस्व को भारी क्षति पहुॅच रही है और लोगों के विरूध षडयन्त्र कर माल का विक्रय एक राज्य से दूसरे राज्य में दिखाकर अवैध खनन को अन्जाम दे रहे है इनके साथ इस कार्य में अनेंकों लोग मिलकर सहयोग कर अवैध लाभ ले रहें है।
2. खनन पटटो की आड़ में अन्य खनन अनुमतियों की आड़ में स्टोन क्रेशरों व खनन माफियाओं की मिलिभगत से रवन्नों का दुरूपयोग कर अवैध खनन यमुना नदी से किया जा रहा है जिसमें यमुना नदी की जल धारा तक को मोड़ दिया गया है। इनके विरूध असख्ंय अपराधिक मामले विचाराधीन है।

10. जिला यमुनानगर, हरियाणा में अवैध खनन करने वालों का विवरणः–

1. मौ0 इकबाल पूर्व एम0एल0सी0 सहारनपुर, उ0प्र0 (जिला सहारनपुर में हिस्ट्रीशीटर ईनामी है व विभिन्न थानों में असंख्य मामले दर्ज है) इसके तीन पुत्र व भाई व रिश्तेदार सहारनपुर जेल में बन्द है। इसकी जॉच मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर की गई थी जिसमें इसकी 111 कम्पनियॉ फर्जी पायी गई और मनीलॉन्ड्रिंग करना पाया गया जिसमें से एक सहारनपुर माईन्स मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0 लि0 है जिसके नाम यमुना नगर में 2 खनन ठेके यमुना नदी के बाहर ग्राम जयधर व माण्डे वाला के बालू, बजरी, पत्थर के है।

   मौ0 इकबाल की कम्पनी ने माल फर्जी तरीके से ऊॅची कीमत में बेचकर मनीलॉन्ड्रिंग की है जी0एस0टी0 बकाया है। सहारनपुर माईन्स मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0 लि0 से ठेको में गारन्टी शिकायत के बाद भी फर्जी जमा करायी गई है बाद में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गारन्टी में दी गई सम्पत्तियों को गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत जब्त कर ली गई है जिसकी शिकायत की गई लेकिन गारन्टी नही बदलवायी गई है ठेके केन्सिल कर अवैध खनन आरोपित होना चाहिए। वर्तमान मे उपरोक्त खनन क्षेत्रों पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा रोक लगा रखी है।

   मौ0 इकबाल आजकल विभिन्न मामलों में फरार है व हरियाणा व उत्तर प्रदेश में बैनामी लोग खनन व अवैध खनन को अन्जाम दे रहे है। जो इसके सिडिंकेट के सदस्य है।

   सिंडिकेट के सदस्य स्क्रीनिंग प्लान्ट व स्टोन क्रेशर के मालिक है व सिंडीकेट के क्रेशर जोन का कार्य जैसा अवैध खनन कराना और उसको संरक्षण देना इन लोगों का कार्य है। उपरोक्त क्रेशर खनन सिंडीकेट से इलैक्ट्रोनिक प्रचेज लेकर Minerals Dealer Licence (MDL) के माध्यम से रेते को पत्थर बनवाकर खरीद दर्शाते है लेकिन इसकी आड़ में अवैध खनन कर राजस्व को क्षति पहुॅचा कर माल बेच रहे है।

   उपरोक्त सभी लोग खनन सिंडिकेट के हिस्सेदार है और बैनामी हिस्सेदार बनकर भारी अवैध खनन कर रहे है सभी की कालेधन से साझेदारी है इनके साथ पॉवर फुल लोग व इसमें कुछ सरकारी लोग भी मिले है और हिस्सेदार है। जिसका विवरण वास्तविक खनन कम्पनियों के बैंक खातो से भी किया जा सकता है। इनका लगातार इन लोगों से लेन देन है। रेते को पत्थर बनाया गया मिलिभगत से और अवैध खनन किया जा रहा है जिससे काला धन उत्पन्न कर दूसरे कार्यो में लगाया जाता है।

11. अवैध खनन करने के तरीको का विवरणः–

A- यमुना नगर में रेते के खनन ठेकेदारों द्वारा बालू का ठेका लेकर मिलिभगत से पत्थर का ठेका कराना व बालू की आड़ में पत्थर का अवैध खनन करनाः–

जिला यमुनानगर में खनन सिंडिकेट द्वारा विभिन्न बालू के खनन ठेके लिए गये जिनको बाद में पत्थर बताकर अवैध खनन किया जा रहा है।

जिन रेते के खनन क्षेत्रों के आधार पर यह लोग खनन सिंडिकेट चलाते हुए पत्थर ग्रेवेल अवैध खनन कर रहे है उनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. जे0एस0एम0 फूडस प्रा0 लि0 का मण्डौली घाघर ईस्ट रेते का ठेका था।
2. जे0एस0एम0 फूडस प्रा0 लि0 का मण्डौली घाघर वेस्ट रेते का ठेका था।
3. पी0एस0 बिल्डटेक का कनालसी का रेत का ठेका था जिसको पत्थर ग्रेवल बढ़ाया गया है लेकिन ई0सी0 नही है।
4. बालाजी इन्फ्रा, जयरामपुर जगीर, रेत का पत्थर करने की तैयारी चल रही है।
5. रूटस एण्ड जरनीस, बीरटापू का रेत का पत्थर करने की तैयारी चल रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नदी से बाहर निम्न क्षेत्र है–

1. परमजीत सिंह पुत्र श्री हरदीप सिहं, पिपली माजरा
2. पी0एस0बिल्डटेक जयधरी, यमुनानगर
3. सहारनपुर माईन्स एंव मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0 लि0, माण्डेवाला, यमुनानगर
4. सहारनपुर माईन्स एंव मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0 लि0, जयधर, यमुनानगर
   नदी के अन्दर निम्न ठेका सिंडिकेट में शामिल किया गया है।
5. जे.पी.वाई कन्सोर्टियम, धनौरा, मालिक संदीप ढबास।
   उपरोक्त के अतिरिक्त खनन ठेके किश्ते अदा न करने के कारण निरस्त हो चुके है।

2. जे0एस0एम0 फूडस् के खनन क्षेत्र मंडौली घाघर ईस्ट व मंडौली घाघर वेस्ट व पी0एस0 बिल्डटेक के कनालसी खनन क्षेत्रो से गैर कानूनी तरीके से ग्रेवल, बोल्डर के खनन पर रोक की मांग की गई थी। जिसकी दोनों पक्षों की सुनवायी न्यायालय में दिनांक 31.05.2022 को की गई उपरोक्त दोनों कम्पनीयों की तरफ से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार खन्ना, सिनियर अधिवक्ता व मो0 फजली खान एंव श्री गौतम सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया उसके बाद न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया–

"13. Learned counsel for respondents no. 7 and 8 has further stated that respondents no. 7 and 8 did not carry on, are not now carrying on and will not carry on mining of boulder and gravel from the mining sites in question.

14. Even though respondent no. 7 and 8 shall be bound by under taking given by their learned counsel but we consider it appropriate to give specific direction that till further orders no mining of boulder and gravels shall be carried out on the mining sites in question by respondents no. 7 and 8. The Director, Mines and Geology, Government of Haryana, State PCB, Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Yamuna Nagar are directed to take all requisite steps for ensuring that no illegal mining of boulder and gravel takes place on the mining sites in question.

15. List for further consideration on 13.07.2022 along with appeal no. 19/2022.

16. A copy of this order along with copy of application and documents sent therewith be sent to the Director, Mines and Geology, Government of Haryana, State PCB, Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Yamuna Nagar for compliance."

आदेश दिनांक 31.05.2022 की प्रति संलग्नक नं0 31 पेज नं0 305 से 309 तक है।

3. उपरोक्त आदेश में स्पष्ट रूप से खनन कम्पनीयों द्वारा न्यायालय के सामने कथन किया है कि उनके द्वारा ग्रेवल बोल्डर की कोई खनन नही की जा रही है और न ही वह करेंगें। न्यायालय द्वारा कथन करने के बावजूद भी स्पष्ट आदेश दिया गया है कि कोई ग्रेवल व बोल्डर का खनन नही किया जाएगा स्पष्ट रोक लगायी गई है। क्षेत्र में किसी प्रकार ग्रेवल बोल्डर का खनन न हो इसके लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यमुनानगर के डिप्टी कमीशनर, हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पुलिस अधिक्षक यमुनानगर, निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग की जिम्मेदारी की गई थी। आदेश की प्रति सबको न्यायालय द्वारा भेजी गई और प्रार्थी द्वारा भी ई मेल व स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दी गई थी इसके अतिरिक्त जिनको खनन बन्द करना था उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वंय आश्वासन दिया गया था की हम खनन नही करेंगें और न्यायालय द्वारा अपना आदेश न्यायालय में सुना दिया गया था।

4. इसके बावजूद खनन कम्पनीयो द्वारा माननीय न्यायालय के स्पष्ट उल्लंघन जानबूझकर की गई है और उसके अलावा सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा भी उनको खनन करने दिया गया है उनके विरूध कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई इस की जानकारी खनन विभाग व अन्य विभाग के अधिकारियों को है क्योंकि पोर्टल पर ई रवन्ना लगातार ग्रेवल, बोल्डर के स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्टों को भारी मात्रा में माल बालू, बजरी बोल्डर के रवन्ने जारी कर मात्र पॉच दिन में दिनांक 31.05.2022 के बाद जारी किये गये। **जिनका दिनांक 31.05.2022 से 17.06.2022 तक की कुछ ई रवन्ना की प्रतियॉ भी संलग्नक नं0 32 पेज नं0 310 से 347 तक है व उनका विवरण सूची निम्न प्रकार है–**

JSM FOODS PVT LTD (MANDOLI GHAGGAR WEST BLOCK 4)		
TOTAL SAND MINING (FROM 18-06-2022 TO 18-06-2022)	16308	MT
TOTAL BOULDER GRAVEL MINING (FROM 01-06-2022 TO 17-06-2022)	74628	MT
TOTAL SAND AND BOULDER GRAVEL MINING (FROM 01-06-2022 TO 18-06-2022)	90936	MT

JSM FOODS PVT LTD (MANDOLI GHAGGAR EAST BLOCK-3)		
TOTAL SAND MINING (FROM 18-06-2022 TO 18-06-2022)	5724	MT
TOTAL BOULDER GRAVEL MINING (FROM 01-06-2022 TO 17-06-2022)	88461	MT
TOTAL SAND AND BOULDER GRAVEL MINING (FROM 01-06-2022 TO 18-06-2022)	94185	MT

PS BUILDTECH PVT LTD (KANALSI BLOCK-5)		
TOTAL SAND MINING (FROM 17-06-2022 TO 20-06-2022)	157122	MT
TOTAL BOULDER GRAVEL MINING (FROM 01-06-2022 TO 17-06-2022)	461956	MT
TOTAL SAND AND BOULDER GRAVEL MINING (FROM 01-06-2022 TO 20-06-2022)	619078	MT

उपरोक्त विवरण के अलावा खनिज विभाग से विवरण लेने पर पता लगेगा कि इनके द्वारा किस मात्रा में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद अभी तक पूरे वर्ष में निकालने वाली मात्रा कुल तीन माह में खनन कर ली गई है।

5. बाकी ई रवन्ना पोर्टल से सत्यापन किया जा सकता है।
6. उपरोक्त से स्पष्ट है कि खनन कम्पनी के मालिकों भागीदारों निदेशकों द्वारा लगातार उल्लंघन जानबूझकर किया गया है जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है इसी प्रकार निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, डिप्टी कमीशनर यमुनानगर, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व पुलिस अधिक्षक यमुनानगर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए जिम्मेदारी है।
7. प्रस्तुत खनन विवरण से स्पष्ट है कि आदेश के बाद खनन कम्पनी दिनांक 01.06.2022 से 17.06.2022 मात्र 17 दिन के लिए उतनी खनन मात्रा का खनन कर लिया गया जो वह 4 महीनों मे खनन करने की हकदार नही है उसके बाद भी लगातार खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है। इस मात्रा पर पर्यावरण क्षति का जुर्माना कई गुना अधिक आरोपित किया जाना है। ऐसे ही वह लगातार पिछले कई वर्षो से कर रहे है।
8. जे0एस0एम0 फूडस् द्वारा मण्डौली ईस्ट व मण्डौली वेस्ट की पर्यावरण सहमति में समय ग्रेवल, बोल्डर जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा बालू के अतिरिक्त ग्रेवल व बोल्डर बढ़वाना चाहते है जिसकी सुनवायी 29–30 जून 2022 को कमेटी के समक्ष सुनवायी के लिए लगी थी। जो मिलिभगत से बढ़ाया गया है।
9. मामला मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विचाराधीन है लगातार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों की अवहेलना जारी है ठेका बालू का दिया गया था सब मिलिभगत से चल रहा है ग्रेवल बोल्डर पहले से ही ई0सी0 का उल्लंघन कर खनन किया जा रहा है इनकी ई0सी0 न तो एक्सटेन्षन की जा सकती है और न ही कोई संसोधन किया जा सकता है। उल्लंघन के लिए पर्यावरण कमेटी को पर्यावरण क्षति आरोपित किया जाना है।
10. उपरोक्त 17 दिन के खनन की मात्रा से स्पष्ट है कि इतनी बड़ी खनन मात्रा केवल 17 दिन में जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो सरकारी अधिकारी की जानकारी में मिलिभगत से हुई है।
11. अब दिनांक 18.06.2022 को बाद लगातार बालू के रवन्ने काटे जा रहे है जबकि लगातार वहॉ बोल्डर व ग्रेवल का खनन कर बेचा जा रहा है क्योंकि अकेला बालू खनन नही किया जा सकता है। यदि केवल बालू बेचा जा रहा है तो नया पाया गया बोल्डर ग्रेवल कहॉ जा रहा है क्योंकि मौके पर कोई बोल्डर व ग्रेवल का भण्डार भी नही है जिससे स्पष्ट है कि बालू की आड़ में लगातार ग्रेवल बोल्डर का खनन जारी है माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों की अवहेलना स्पष्ट रूप से जानबूझकर की जा रही है।
12. मौके पर कोई पत्थर नही है। यदि है तो मा0 एन0जी0टी0 की रोक है। जल धारा में खनन किया गया है भारी मशीनों का उपयोग हो रहा है। ग्राउण्ड वॉटर की परमिषन नही है। ग्राउण्ड वॉटर से नीचे खनन किया गया है। पर्यावरण सहमति में भ्रष्टाचार कर पत्थर बढ़ाया जा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का उल्लंघन लगातार जानबूझकर कराया जा रहा है।

इसके सम्बन्ध में श्रीमान निदेशक खनन द्वारा दिनांक 15.07.2022 को SEAC को पत्र भेजा गया है जिसमें ठेके में बालू से पत्थर बढ़ाये जाने का विवरण दिया गया है जो पैरा नं0 05 निम्न प्रकार है–

" 5. Further, it was also clear that M/s P S Builtech had been disposing of the Boulder Gravel along with sand on e-Rawaana/bills issued for sand. The contention that mineral was being disposed of from sites not having BG was not found justified as it was not the case that BG was available only in part of the total area. it is clear beyond doubt that the BG is inextricably mixed with sand and sand alone could have been disposed off only after

screening. it is admitted fact that within mining area no screening is/was being carried out, so along with sand the mineral BG was disposed off."

उसके बाद अपने पत्र के पैरा नं0 9 व 10 निम्न प्रकार है—

" 9. Accordingly, in compliance with the order dated 31-05-2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in OA No 423 of 2022 Mohinder Pal & Anr Vs State of Haryana & Ors. all the above three contractor vide order dated 07-06-2022 were directed that no mining of Boulder and Gravels are undertaken in the 03 mining contract areas, till further orders/modified by the Hon'ble NGT and the IT cell was directed to stop the e-Rawanna portal of Boulder and Gravels of above 03 mines.

10. However, the Mining Officer, Yamuna Nagar vide letter dated 17-06-2022 informed that during checking of the portal, he has found that the e-Rawanna of Boulder-Gravel-Sand are still generated by all these contractors. Accordingly, in the light of information received from the Mining Officer, Yamuna Nagar, the IT Cell of the department was directed to carry out corrections to change the e-Rawanna generation for Boulder and Gravel to Sand only of the contractor firm. The IT Cell found that due to technical glitch, the modification would not update properly in all tables of database pertaining to this matter on e-Rawanna. Further, the BGS of the above said mines were shown as sand in their account w.e.f 17-06-2022. Now, the contractor is selling only Sand through e- Rawanna."

उपरोक्त पत्र में निदेशक महोदय द्वारा पर्यावरण समिति को पैरा नं0 5 में अवगत कराया गया है कि सेण्ड, बोल्डर, ग्रेवल मिलिजुली अवस्था में है और जिसको स्क्रीनिंग किये बिना अलग नही किया जा सकता और यह तथ्य सही है कि मौके पर कोई भी स्क्रीनिंग नही की जा सकती इसलिए बालू के साथ ग्रेवल व पत्थर का निस्तारण हो सकता है। पैरा नं0 10 में कहा गया है कि ई–रवन्ना जनरेट केवल सेण्ड के लिए ठीक कर दिया गया है और टैक्नीकल कमी को दूर कर दिया गया है जबकि पैरा नं0 05 निदेशक द्वारा स्वीकार किया गया है कि अकेला रेता खनन नही किया जा सकता है। **पत्र दिनांक 15.07.2022 की प्रति संलग्नक नं0 33 पेज नं0 348 से 360 तक है।**

ऐसे में स्पष्ट है कि लगातार उच्च अधिकारियों की जानकारी में रेते की आड़ में ग्रेवल पत्थर का खनन लगातार किया जा रहा है और मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है और यदि वास्तव में सेण्ड ही निकाला गया है तो वह क्रेशरों को और स्क्रीनिंग प्लान्टों को कैसे बेचा गया है वास्तविकता यह है कि केवल ई रवन्ने बेचे गये है और उनकी आड़ में क्रेशरों द्वारा माल अन्यत्र से पत्थर व ग्रेवल दूसरी जगह से अवैध खनन किया गया है।

पहले निदेशालय द्वारा उपरोक्त फर्मो से खरीदे गये ग्रेवल व पत्थर को खरीददारों के पोर्टल से हटाया गया है और बाद में जोड़ दिया गया है जो कि एक जॉच का विषय है।

दिनांक 24.06.2022 को खनन अधिकारी यमुनानगर द्वारा बालू के ठेको को निर्देशित किया गया कि बालू के रवन्ने स्क्रीनिंग प्लान्टों को देना बन्द करें क्योंकि स्क्रीनिंग प्लान्टों का रॉ मैटिरियल रेता नही है इसके बावजूद भी बालू के ठेकेदारों द्वारा ई रवन्ना स्क्रीनिंग प्लान्टों को काटा जा रहा है। पत्र दिनांक 24.06.2022 की प्रति संलग्नक नं0 34 पेज नं0 361 से 361 तक है।

B- दूसरे राज्यों की फर्जी रवन्ने ई पोर्टल पर दर्ज कर उनकी आड़ में यमुना नदी तल से अवैध खननः–

सिडिकेट सदस्यों द्वारा उसके बाद इनके द्वारा बालू के खनन लॉटों से पत्थर स्टोन क्रेशरों को बनाकर फर्जी इलैक्ट्रोनिक प्रचेज बेचना शुरू कर दिया गया और लोगों से रायल्टी के नाम से पैसा वसूला गया। बालू को MDL राजीव ट्रेडिंग कम्पनी, दीपन तनेजा, पी0एस0 बिल्डटेक में बिका दिखाया गया वहॉ से पत्थर बेचा दिखाया गया भारी हेरा फेरी की गई। इस की आड़ में सारा पत्थर स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा अवैध खनन किया गया।

स्टोन क्रेशरों व स्क्रीनिंग प्लान्टों को फर्जी इलैक्ट्रॉनिक रवन्ने जारी करने के लिए इन लोगों द्वारा MDL के लाईसेन्स लिए गये उनमे दूसरे राज्यों गोवा, दमन, गुजरात आदि की कथित प्रचेज खनन पोर्टल पर दर्ज की गई लगभग 45 लाख टन फर्जी रवन्ने दर्ज किये गये जो राज्य सरकार के पोर्टल पर रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि इन राज्यों से कोई माल नही मंगाया और न ही लाया जा सकता था उसकी आड़ में लोगों से रायल्टी वसूल की गई और उनसे अवैध खनन कराकर माल बेचा गया जिसमें स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट वाले भी षडयन्त्र में शामिल थे क्योंकि उनको सब जानकारी थी।

अब स्वंय स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा फर्जी इलैक्ट्रॉनिक रवन्ने दूसरे राज्यों के पोर्टल पर दर्ज कर बिक्री की जा रही है सारा माल अवैध खनन कर यमुना नदी व आस पास से लाया जा रहा है जिन रवन्नों पर खरीद दिखायी जा रही है उन रवन्नों पर एक ट्रक माल नही आ रहा है यह अवैध खनन का खेल लगातार चल रहा है इस की जॉच करायी जा सकती है।

दिनांक 04.07.2022 को खनन अधिकारी यमुनानगर द्वारा निदेशक खनन हरियाणा को अवगत कराया गया था कि जिला यमुनानगर में 209 स्टोन क्रेशर व 371 स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित है और दूसरे राज्यों से खरीद को पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और फर्जी ई रवन्ना चल रहा है। **पत्र दिनांक 04.07.2022 की प्रति संलग्नक नं0 35 पेज नं0 362 से 362 तक है।**

C- ठेकेदार डिफाल्टर है उसके बाद भी उनको बार बार खनन करने की अनुमति दी जा रही है:–

ठेकेदार डिफाल्टर है जैसे की एफ0आई0आर0 संख्या 14/2021 दिनांक 27.10.2021 थाना साईबर पंचकुला में दर्ज है **एफ0आई0आर0 की प्रति संलग्नक नं0 36 पेज नं0 363 से 369 तक है।** एंव खनन विभाग यमुनानगर द्वारा भी एक एफ0आई0आर0 दिनांक 14.07.2022 को थाना बिलासपुर में फर्जी रवन्नों के सम्बन्ध में करायी गई है सदींप ढबास व कुलविन्दर सिंह पर दूसरी यूनिट में बकाया है।

जिला यमुनानगर में सिंडिकेट द्वारा भारी मात्रा में फर्जी ई–रवन्ना दूसरे राज्यों से खरीद दिखाकर खनन विभाग के पोर्टल पर दर्ज कर इलैक्ट्रोनिक प्रचेज विभिन्न स्टोन क्रेशरों व स्क्रीनिंग प्लान्टों को दी गई है जिनके द्वारा इस इलैक्ट्रोनिक प्रचेज के आधार पर यमुना नदी व आस पास के क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवैध खनन किया गया है जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व क्षति पहुॅची है।

सिंडिकेट द्वारा संचालित उपरोक्त खनन क्षेत्रों से कोई खनन नही किया जा रहा है और न ही उन क्षेत्रों से खनन हो सकता है क्योंकि वहॉ पर माल की उपलब्धता वर्तमान में नही है। इसलिए सिंडिकेट द्वारा नया तरीका बनाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

सिंडिकेट के द्वारा एक व्टसएप्प ग्रुप ऑल प्लान्ट यूनियन बनाया गया है जिसको संदीप डबास के द्वारा संचालित किया जा रहा है और उस पर सारा सिस्टम ऑपरेट किया गया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 200 रू0 प्रति टन से रवन्ना जारी किया जाएगा वही पर एडवांस में भुगतान होगा और जहॉ से बिल जारी किये जाएंगे वह नियर रिलायन्स पेट्रोल पम्प कमानी चौक का पता दिया गया है जो दिलबाग सिंह का कार्यालय है और वही पर से यह रवन्ने जारी करने का कार्य चल रहा है वास्तविक खनन स्टोन क्रेशर वाले स्वंय दिलबाग के संरक्षण में अन्य स्थानो पर कर रहे है किसी भी पूछताछ के लिए मोबाईल नं0 9350341716 दिया गया है व रायल्टी ऑफिस का टाईम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का दिया गया है इसकी जॉच किसी भी जॉच एजेन्सी से करायी जा सकती है।

एक whatsapp ग्रुप सदस्य द्वारा मैसेजों के आदान प्रदान के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराये गये है **जिसकी प्रति संलग्नक नं0 37 पेज नं0 370 से 382 तक है।** दूसरे राज्यों से खरीद पर रोक है लेकिन पूर्व में इन्ही लोगों द्वारा MDL के नाम पर विभिन्न राज्यों की अपने पोर्टलों पर खरीद दर्ज की गई और लोगों को फर्जी तरीके से मोटी धनराशि लेकर ट्रांस्फर दिखायी गई जिसकी आड़ में भारी अवैध खनन हुआ।

D- यमुना नदी के किनारे खनन ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से स्वीकृत भण्डारण लाईसेन्सों के आधार पर अवैध खननः–

जिला यमुनानगर में भारी मात्रा में अवैध खनन बालू, बजरी, पत्थर का हो रहा है जबकि वहॉ अधिकतर खनन ठेके बन्द है लेकिन लगभग 2000 ट्रक प्रतिदिन अवैध खनन कर बेचा जा रहा है जिसमें एक खनन सिंडिकेट शामिल है। जिसके द्वारा एक एम0डी0एल0 नम्बर **DMG/HY/MDL-1111** दिनांक 12.05.2020 से 12.05.2025 तक राजीव ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से खसरा नम्बर 15/21/2, 22, 23, 24, 25, 17/4 रकबा 40 कनाल ग्राम मुर्कमपुर तहसील जगाधरी जिला यमुना नगर में ले रखा है।

दूसरा एम0डी0एल0 नम्बर **DMG/HY/YNR/MDL-329** दिनांक 16.08.2017 से 20.04. 2022 तक (एम0डी0एल0 की समयावधि समाप्त हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी संचालित किया गया है और जो अभी तक नवीनीकरण नही हुआ है।) मै0 पी0एस0 बिल्डटेक के नाम से खसरा नम्बर 25//25, 35//1/2, 36/6/1, 6/2, 15, 16/1 व 17 रकबा 35 कनाल ग्राम कनालसी तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर में ले रखा है। उपरोक्त दोनों एम0डी0एल0 03.05.2021 से पूर्व जारी हुए है तत्समय नियम 82 निम्न प्रकार लागू था–

Grant and Renewal of Licence 82.

(1) No license shall be granted within a distance of;

(i) one kilometre from the site of source of such mineral for which licence is sought;

(ii) fifty metres of the outer edge of the berm of any National Highway or a State Highway or a Major District Road; and

(iii) ten metres from the outer edge of the berm of all other roads in the State.

(2) For establishing the stock-yard, minimum one acre of land preferably situated outside the municipal limits of any town situated at a reasonable distance from any urbanised area is required.

उपरोक्त नियम 82 में किसी भी खनिज स्त्रोत से 1 किमी0 की परिधि में कोई भी एम0डी0एल0 जारी नही किया जा सकता था लेकिन उपरोक्त दोनों एम0डी0एल0 यमुना नदी से 1 किमी0 के अन्दर जारी किये गये थे जो अवैध थे और उनके द्वारा की गई खरीद बिक्री भी अवैध की श्रेणी में आती है। राजीव ट्रेडिंग कम्पनी ग्राम मुर्कमपुर में तथाकथित लाईसेन्स जिन खसरे नम्बरों पर लिया गया है उनसे यमुन नदी की दूरी मात्र 740 मीटर से भी कम है जिसको गूगल अर्थ नक्शे पर दिखाया गया है व खसरा नम्बरों को जमाबन्धी वैबसाईट के नक्शे पर दिखाया गया है।

मै0 पी0एस0 बिल्डटेक द्वारा ग्राम कनालसी में यमुना नदी के किनारे से मात्र 862 मीटर पर एम0डी0एल0 लिया गया था जो कनालसी लॉट से और भी कम पड़ता है यमुना नदी बालू, बजरी, पत्थर का मुख्य स्त्रोत है यमुना नदी में विभिन्न खनन ठेके दिये गये है नियम 82 का खुल्ला उल्लंघन है और इन एम0डी0एल0 के आड़ में यमुना नदी से लगातार अवैध खनन कराया जा रहा है। दूरियॉ जिसको गूगल अर्थ नक्शे पर दिखायी गयी है व खसरा नम्बरों को जमाबन्धी वैबसाईट के नक्शे पर दिखाया गया है **जिनकी प्रतियॉ संलग्नक नं0 38 पेज नं0 383 से 388 तक है।**

तीसरा एम0डी0एल0 नम्बर **DMG/HY/MDL-1375** दिनांक 20.05.2021 से 20.05.2026 तक दीपन तनेजा के नाम से खसरा नम्बर 27//12, 13, 14, 17, 18, 23 रकबा 46 कनाल 14

मरला ग्राम मण्डौली घाघर तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर में ले रखा है एंव एम0डी0एल0 नम्बर **DMG/HY/YNR/MDL-329** दिनांक 16.08.2017 मै0 पी0एस0 बिल्डटेक के नाम से खसरा नम्बर 25//25, 35//1/2, 36/6/1, 6/2, 15, 16/1 व 17 रकबा 35 कनाल ग्राम कनालसी तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर में ले रखा है।

दीपन तनेजा के नाम MDL No **DMG/HY/MDL-1375** दिनांक 20.05.2021 को जारी किया गया है जबकि दिनांक 03.05.2021 को नियम 82 में निम्न संसोधन किया गया है–

In the said rules, in rule 82 in sub-rule (1),–

(a) in clause (i),–

(i) for the sign ";" existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that for raw mineral/ unprocessed mineral, no licences shall be granted within a distance of five kilometre from the site of source of such mineral for which licence is sought."

उपरोक्त संसोधन लागू होने के बाद कोई भी MDL कच्चे माल के लिए बालू, बजरी, पत्थर के स्त्रोत यमुना नदी या उसके फल्ड प्लेन से 5 किमी0 तक प्रतिबन्धित किया गया है लेकिन विभाग द्वारा यमुना नदी के जल धारा से मात्र 1.295 किमी0 पर प्रतिबन्धित क्षेत्र में जारी कर दिया गया है इसी स्थान पर मण्डौली ईस्ट व मण्डौली वेस्ट के बालू के ठेके चल रहे है। जो गैर कानूनी व शून्य है जमाबन्धी से सीजरे की फोटो व गूगल अर्थ मैप पर दूरी नापी गई है जो मात्र 1.295 किमी0 है **गूगल अर्थ मैप की फोटो साथ में संलग्नक नं0 39 पेज नं0 387 से 388 तक है।**

उपरोक्त तीनों एम0डी0एल0 की भूमि पर जहॉ पर कोई भी खनिज न तो लाया जाता है और न ही वहॉ से बेचा जाता है कागजों में खरीद बेच दिखायी जा रही है क्योंकि जहॉ से खनिज लाया दिखाया जाता है वहॉ से खनिज नही लाया जा रहा है और जिन्हे बेचा दिखाया जा रहा है उनके द्वारा यहॉ से खनिज ले जाया नही जा रहा है। केवल कागज खरीदा जा रहा है उसकी आड़ में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है यह कागजी ई–रवन्ना भी यमुनानगर में कार्यालय में बैठकर जारी किये जा रहे है जिसकी जॉच कोई भी एजेन्सी कर सकती है। मौके पर कोई ट्रक माल लेकर न तो आता है और न ही वहॉ से जाता है इसलिए वहॉ पर घांस जमी है और कॉटे पर भी घांस जमी है। लेकिन कागजों में यानि खनिज पोर्टल पर रोजाना कई सौ ट्रक की खरीद बिक्री दिखायी जा रही है जिससे भारी राजस्व की क्षति हो रही है। ऐसे कई फर्जी वाड़ा खनिज विभाग द्वारा वर्तमान में पकड़ा गया है जिसकी एफ0आई0आर0 खनिज विभाग द्वारा दर्ज करायी गई है लेकिन तीनों एम0डी0एल0 संचालकों को उच्च दर्जे का सरंक्षण होने के कारण लगातार चल रहा है।

यही नही उनके द्वारा रेत के 95 प्रतिशत ई रवन्ना अपने पोर्टल पर दर्ज किये जा रहे है केवल 2–5 प्रतिशत रवन्ना ग्रेवेल, सैण्ड का है लेकिन इनके द्वारा 100 का 100 प्रतिशत ग्रेवेल बोल्डर स्टोन क्रेशरों को बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा इस ट्रेडिंग फर्म के माध्यम से रेते को बोल्डर बताकर बेचा जा रहा है। जबकि इनके द्वारा जो माल खरीदा गया है वह स्टोन क्रेशर खरीदने का हकदार नही है वह केवल रेते को बोल्डर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे है जबकि ऐसी कोई मशीन या विधि नही जिससे रेते को बोल्डर बनाया जा सके और उसे स्टोन क्रेशर पुनः बजरी बना सकें। यह बड़ा अवैध खनन का खेल चल रहा है जिसको एक बड़ा सिंडिकेट संचालित कर रहा है और रेते की आड़ में ट्रेडिंग कम्पनी का इस्तेमाल कर स्टोन क्रेशरों से अवैध खनन कराकर भारी अवैध वसूली कर रहा है इस सिंडिकेट को कुछ उच्च राजनैतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इन्ही लोगों के द्वारा जिला यमुना नगर में स्थापित चैक पोस्टों पर बैठकर वसूली की जा रही है। सरकारी लोग केवल दिखावे के लिए बैठे है। इसकी जॉच किसी केन्द्रीय एजेन्सी से करायी जाएगी तो सारे

तथ्य सामने आएंगे। इनके तथाकथित भण्डारण पर न तो धर्मकॉटा संचालित है और न ही कोई कैमरे लगे है और न ही कोई खरीद बिक्री चल रही है इसकी जॉच मौके पर की जा सकती है।

उपरोक्त तीनों एम0डी0एल0 धारकों द्वारा जितना भी रेता खरीदा गया है और उसके बदले में पत्थर बेचा गया है वह सब अवैध खनन है और उसको खरीददार स्टोन क्रेशरों द्वारा सहयोग किया गया है इसलिए पोर्टल पर देखकर मात्रा का आंकलन कर अवैध खनन आरोपित किया जाना चाहिए एंव उतने ही अवैध खनन पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुसार पर्यावरण क्षति का आंकलन कर वसूल किया जाना चाहिए।

वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा ट्रकों की जॉच के नाम पर नाके लगाये गये है जिन पर सरकारी लोगों के साथ उपरोक्त अवैध खनन व एम0डी0एल0 संचालकों के अवैध वसूली करने वाले कर्मचारी व असमाजिक तत्व बैठाये गये है जिनके द्वारा सरकारी चैक पोस्टो पर बैठकर रायल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है जो स्वंय सरकारी विभाग के लोग अपने साथ बैठाकर करा रहे है।

जिला यमुनानगर में असंख्य स्टोन क्रेशर एंव स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित है एंव संचालित है जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 4000 ट्रक प्रतिदिन है लेकिन उनको कच्चा माल बेचने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में बोल्डर, ग्रेवेल के ठेके नही है जो हुए है वह भी अधिकतर अवैध खनन के चलते हुए नीलामी राशि जमा न करने के कारण राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गये है जिससे भी राज्य में चल रहे विकास कार्य व निर्माण कार्य लगातार प्रभावित हो रहे है। जिससे यमुना नगर जिले में फर्जी कागजी प्रचेज/ई रवन्ने जारी कर उनके आधार पर अवैध खनन कर भारी राजस्व हानि की जा रही है व भारी पर्यावरण क्षति हुई है जिसकी विभिन्न लोगों द्वारा समय समय पर शिकायतें विभिन्न विभागों एंव सरकार को की जा रही है लेकिन अवैध खनन लगातार स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा कर चलाया जा रहा है जो स्क्रीनिंग प्लान्ट व स्टोन क्रेशर नियमानुसार चलाना चाहते है उनको अवैध खनन के चलते हुए अपने प्लान्ट बन्द करने पड़े है व उनका लगातार ठेकेदार व प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है जिससे राज्य में सरकार की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किये जा रहे है लेकिन उनका अनुपालन राज्य सरकार के लोग ही मिलीभगत कर जानबूझकर नही कर रहे है क्योंकि वह चुनीदा प्रभावशाली लोगों के सम्पर्क में है जो यह सब कार्य करा रहे है।

E- <u>Mineral Dealer Licence (MDL) की आड़ में चल रहा है अवैध खनन</u>:–

जिला यमुनानगर में स्टोन क्रेशरों द्वारा लाईसेन्स लिया जाना व स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा MDL लिया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त जो भी खनिज का भण्डारण करेगा उसको भी MDL लाईसेन्स लिया जाना आवश्यक है। लेकिन इन लाईसेन्सों की आड़ में लगातार धोखाधड़ी कर लोग फर्जी तरीके से पोर्टल पर खरीद ई रवन्ने के माध्यम से दर्ज कर रहे है जिसके आधार पर आगे माल का अवैध खनन कर माल बेच रहे है जिसकी एक जॉच किसी भी केन्द्रीय एजेन्सी से कराया जाना आवश्यक है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कमर्शीयल फ्राड बन चुका है इसके पर्याप्त प्रमाणित साक्ष्य स्वंय खनिज विभाग की पोर्टल पर व पत्रावलियों पर मौजूद है लेकिन उनको विभाग द्वारा इस्तेमाल नही किया जा रहा है और कुछ चुनीदा खनन माफियाओं को व उनके संरक्षकों को फायदा पहुॅचाने के लिए राजस्व की हानि करा रहे है जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर खराब हो रहे पर्यावरण का बड़ा असर हो रहा है। इस अवैध खनन की और MDL लाईसेन्सों की जॉच किसी केन्द्रीय एजेन्सी के द्वारा की जाएगी तो बड़े तथ्य सामने आएंगे। जिसमें कुछ तथ्य निम्न प्रकार है–

जिला यमुनानगर में समय पर फर्जी रवन्ने दूसरे राज्यों से आयात के मामले सामने आते रहे है माननीय न्यायालयों द्वारा मुख्य सचिव स्तर तक को अवैध खनन रूकवाने के इन्तजाम करने के निर्देश दिये गये है लेकिन अभी तक यह अवैध खनन व फर्जी ई–रवन्ने जारी होना बन्द नही हुआ।

जिन लोगों के खिलाफ स्वंय खनन विभाग अवैध खनन करने की एफ0आई0आर0 दर्ज कराता है उन्ही के भण्डारण लाईसेन्स व खनन ठेके चालू करके रखता है जिससे स्पष्ट है कि मिलिभगत है। उदाहरण के लिए संदीप ढवास के खिलाफ साईबर थाने में एफ0आई0आर0 उसके बाद बिलासपुर थाने में एफ0आई0आर0 लेकिन उसका बन्द खनन पटटा चालू कराया गया।

इसी प्रकार बन्द स्क्रीनिंग प्लान्टों व जो पहले ही डिस्मेन्टल हो चुके है भण्डारण की जगह खेती हो रही है उनके पोर्टल को चालू रखते है और उनकी खरीद का कोई सत्यापन नही किया जा रहा है जिसके चलते लोग पोर्टल पर अपने गैर कानूनी तरीके से फर्जी खरीद दर्ज कर बेच रहे है।

अभी निम्न 4 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है एफ0आई0आर0 संख्या 200/2022 थाना प्रताप नगर दिनांक 12.09.2022, एफ0आई0आर0 संख्या 203/2022 थाना प्रताप नगर दिनांक 14.09.2022 व एफ0आई0आर0 संख्या 204/2022 थाना प्रताप नगर दिनांक 14.09.2022 जिनके MDL की अवधियॉ भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन वह पोर्टल लगातार चलते रहे है। दूसरा जो लोग उनसे माल खरीद रहे थे उनको भी पता था की यह फर्जी है क्योंकि माल तो वह उनको दे नही रहा था वह अवैध खनन कर ला रहे थे। इसलिए जिन लोगों द्वारा यह फर्जी रवन्ने जारी किये गये है उनके विरूध व जिन लोगों ने इनकी आड़ में अवैध खनन किया गया है उनके विरूध व सरकारी अधिकारी जिनके पोर्टल पर यह सब हुआ उनके विरूध सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

1. वर्धमान स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा 1 मिनट में कई कई ई रवन्ने बनाये गये।
2. रवन्ने बनाकर स्टॉक में जोड़ा गया।
3. लोगों द्वारा यह फर्जी यह खरीद लेकर माल अवैध खनन कर बेचा गया। जिससे भारी राजस्व क्षति हुई है व पर्यावरण को क्षति पहुॅची है।

जिला यमुनानगर के अवैध खनन में सरकारी लोग बड़े खनन माफिया व उनको राजनैतिक संरक्षण के कारण चल रहा है इसलिए इसकी जॉच राज्य स्तर की एजेन्सी निष्पक्ष जॉच नही कर पा रही है इसके लिए जॉच किसी केन्द्रीय एजेन्सी से कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त MDL का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसमें रेते की खरीद दिखाकर पत्थर बेचा जाता है जबकि वास्तव में कोई खरीद बिक्री नही होती सिर्फ कागज ट्रांस्फर किये गये है वास्तव में माल दूसरी जगह से अवैध खनन किया गया है।

खनिज विभाग यमुनानगर द्वारा थाना प्रतापनगर में दिनांक 14.09.2022 को एक एफ0आई0आर0 नं0 203 व 204 दर्ज करायी गई है जिसमें पाया गया है कि स्क्रीनिंग प्लान्ट जिनके द्वारा एक एक दिन में लगभग 400 ट्रक माल बेचा हुआ दिखाया गया है व वह स्क्रीनिंग प्लान्ट मौके पर नही है वह लगभग 8 माह पूर्व वहॉ से उखड चुके है लेकिन उनके द्वारा पोर्टल पर सॉफ्टवेयर वालों से मिलिभगत कर कई लाख टन स्टॉक पोर्टल पर दर्ज कर विभिन्न स्टोन क्रेशरों को बेचा गया जबकि कोई माल का आदान प्रदान नही हुआ सारा का सारा माल अवैध खनन कर स्टोन क्रेशर मालिको द्वारा बेचा गया जिससे भारी राजस्व की क्षति हुई क्योंकि उनके द्वारा कई रवन्ने लाखों टन के माईन्स (–) माल की बिक्री दिखायी गई जो पोर्टल पर प्लस (+) हो गया आम पोर्टल पर मात्रा की जगह माईन्स नही लगता लेकिन किस तरकीब से सॉफ्टवेयर वालों से मिलकर माईन्स लगाकर माल पोर्टल पर स्टॉक पर प्लस कर दिया गया है सभी स्टोन क्रेशर वालों को पता है कि यह हम कागज खरीद रहे है वह माल अवैध खनन कर लायें है जितना दोशी अवैध ई रवन्ने बेचने वाला है उससे ज्यादा दोषी उस माल को खरीद अवैध माल को आगे बेचा गया है। **उदाहरण को लिए दो माईन्स के रवन्ने साथ में संलग्नक नं0 40 पेज नं0 389 से 390 तक है।**

इसके अतिरिक्त यह एक बड़ा कॉमर्शियल फ्राड है। इसमें सिंडीकेट सदस्य भी स्टोन क्रेशरों को संचालित कर रहे है उनके द्वारा भी यह फर्जी रवन्ने खरीद कर भारी मात्रा में अवैध खनन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से बक्शीश सिंह मल्ली द्वारा मल्ली स्टोन क्रेशर के नाम लगभग 6000 टन

माल खरीद किया गया है व सन्धू स्टोन क्रेशर, बेलगढ़ द्वारा भी लगभग 20000 टन माल वर्धमान स्क्रीनिंग प्लान्ट से फर्जी तरीके से खरीद दिखा कर अवैध खनन कर बेचा गया है इसी प्रकार अन्य स्टोन क्रेशरों द्वारा भी किया गया है जिसकी एफ0आई0आर0 खनिज विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2022 को दर्ज करायी गई है मल्ली स्टोन क्रेशर के मालिक जिनके द्वारा यह फर्जी खरीद की गई है उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या **CWP** 1[illegible]/2022 विभिन्न स्क्रीनिंग प्लान्टों के विरूध दायर की गई है कि वह सब फर्जी प्रचेज खरीद कर अवैध खनन कर माल बेच रहे है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2022 को सुनवायी कर अगली तारीख दिनांक 16.02. 2023 लगायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि बक्शीश सिंह मल्ली खुद फर्जी ई रवन्ने के काम में शामिल है और खुद ही वह उच्च न्यायालय को धोखा देकर दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे है इन सभी तथ्यों की जॉच किसी केन्द्रीय एजेन्सी से कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त ई रवन्ने के धोखाधड़ी के मामले राज्य सरकारों के संज्ञान में पहले से ही है लेकिन दबाव के चलते इन मामलों पर कोई कार्यवाही नही हो रही है।

F- नदी तल के बाहर कृषि भूमि में मिले खनन ठेकों की आड़ में यमुना नदी से अवैध खनन :—

जिला यमुनानगर में नदी में कृषि भूमि पर बालू, बजरी, पत्थर के खनन के ठेके दिये गये है वहॉ पर खनन करने के लिए ठेकेदार को कृषि भूमि के किसानों को कम्पनसेशन देना होता है और वहॉ पर वॉटर लेविल से 2 मीटर ऊपर खनन रोकना होता है ठेकेदार को किसान अपनी भूमि नही देते है और वहॉ पर वॉटर लेविल भी 2 से 6 मीटर पर आ जाता है इसलिए वह उन भूमियों में खनन न कर ई रवन्ने वहॉ के जारी करते है और उसके बदले माल का अवैध खनन यमुना से किया जाता है। ग्राउण्ड वॉटर की रिपोर्ट जयधर में विभागों द्वारा समय समय पर ठेकेदारों की मांग के अनुसार फर्जी प्रस्तुत की जा रही है। मौके पर देखा जाएगा तो वहॉ खेती हो रही है और खनन रिकॉर्ड के अनुसार 6 से 8 मीटर गहरा खनन हो चुका है जॉच में तथ्य सामने आएंगे। इन कृषि भूमि में जितना खनन दिखाया गया है वह मौके पर नही हुआ है इसके बदले यमुना नदी में खनन हुआ है।

G- जिला सहारनपुर में अवैध खनन लगातार चलने के निम्न कारण है—

1. जिला यमुनानगर/जिला सहारनपुर की ग्रेवेल बोल्डर की खनन उत्पादन क्षमता कम है। जबकि वहॉ पर स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों की उत्पादन क्षमता कई गुना अधिक है। जिस कारण असमानता होने के कारण लोग अपनी उत्पादन पूर्ण करने के लिए अवैध खनन कर पूर्ण कर रहे है।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों की उत्पादन क्षमता उपलब्ध वैद्य खनिज मात्रा से काफी अधिक है जिसके कारण उनके द्वारा कागजी खरीद/ई रवन्ना फर्जी तरीके से दूसरे राज्यों से या दूसरे जिलों से दिखायी जा रही है जबकि वास्तविकता में वहॉ से माल लाया जाना व्यापारिक दृष्टि से व्यावहरिक नही है लेकिन पोर्टल पर खाना पूर्ति करने के लिए सब कुछ फर्जी जानते हुए भी लगातार फर्जी खरीद का खेल चल रहा है जो खनिज विभाग सरकार व स्टोन क्रेशरों की जानकारी में भली प्रकार से है जिससे राज्यों को भारी क्षति पहुॅच रही है उसकी आड़ में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा आस पास के क्षेत्रों से लगातार अवैध खनन कर राजस्व एंव पर्यावरण को क्षति पहुॅचायी जा रही है जो इस माल की खरीद फरोख्त की जा रही है वह बिल्कुल अव्यवहारिक है क्योंकि कोई माल रू0 50/— प्रति टन खरीदता है तो कोई रू0 1200/— प्रति टन खरीदता है।
3. राज्य सरकार द्वारा यमुना नगर में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी प्रक्रिया को अपनाये हुए डिप्टी कमीशनर, यमुनानगर द्वारा खनन माफियाओं के दबाव में जोकि सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में है उनको लाभ पहुॅचाने के लिए चैक पोस्टों का संचालन शुरू कराया गया

है जो एक अवैध खनन को रोकने का अच्छा कदम है लेकिन इन चैक पोस्टों पर सरकारी लोग नाम मात्र के लिए है उन पर खनन माफियाओं के लोग बैठकर वसूली कर रहे है। जिससे लगातार अवैध खनन हो रहा है।

4. जिला यमुनानगर में जो खनन क्षेत्र नदी के बाहर कृषि भूमि में खनन के लिए निलाम किये गये है वह गलत जगह पर निलाम है वहॉ पर खनन किया जाना सम्भव नही है क्योंकि वहॉ पर किसान खेती करते है और वॉटर लेविल बहुत ऊपर है इसलिए वहॉ खनन नही किया जा सकता है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा सरकार की धनराशि जमा करनी है इसलिए वहॉ खनन न कराकर दूसरी जगह पर खनन अवैध रूप से करा रहे है और खनन क्षेत्रों के नाम पर ई रवन्ना जारी कर रहे है इस तथ्य की जानकारी सरकारी लोगों को भी है स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मालिको को भी है और खनन ठेकेदारों को भी है तब भी यह अवैध खनन चल रहा है।
5. जिला यमुनानगर/जिला सहारनपुर में नदी तल में दिये गये खनन ठेकों में भी इसी प्रकार असमानता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में बोल्डर ग्रेवेल के ठेके दिये गये है उनकी उत्पादन क्षमता मांग से कम है। जिस कारण भी लोग नदी में आस पास से लगातार अवैध खनन कर रहे है।
6. जिला यमुनानगर/जिला सहारनपुर में नदी तल में यमुना नदी में बालू, बजरी, बोल्डर केवल हथनीकुण्ड बैराज से नुनियारी के क्षेत्र तक पाया जाता है उससे आगे यानि नुनियारी से मण्डौली कनालसी के तरफ केवल रेत पाया जाता है क्योंकि वहॉ तक ग्रेवेल व पत्थर ढलान कम होने की वजह से नही जाता लेकिन राज्य सरकार व खनन माफियाओं द्वारा मिलकर उस रेते को पत्थर व ग्रेवेल बताकर खनन कराया जा रहा है जबकि वास्तव में वहॉ पत्थर नही है। उसी की आड़ में स्टोन क्रेशर लगातार दूसरे स्थानों से भारी मात्रा में अवैध खनन कर रहे है।
7. जिन खनन पटटा धारकों के पास बालू के ठेके थे उनके द्वारा भण्डारण लाईसेन्स लिये गये है जिसमें मुख्य रूप से राजीव ट्रेडर्स, दीपन तनेजा, पी0 एस0 बिल्डटेक द्वारा भण्डारण लाईसेन्स लिये गये है जहॉ पर कोई भण्डारण नही किया जाता उनके द्वारा बालू के 90–95 प्रतिशत रवन्ने पोर्टल पर एन्ट्री किये जाते है 10–20 प्रतिशत बालू, ग्रेवेल बोल्डर के रवन्ने पोर्टल पर एन्ट्री किये जाते है 100 का 100 प्रतिशत माल ग्रेवेल बोल्डर क्रेशरों को फर्जी तरीके से बेचा दिखाया जाता है जिसकी आड़ में सारा अवैध खनन कर क्रेशरों द्वारा माल बेचा जाता है। एक–एक माह में 12 लाख टन माल की फर्जी बिलिंग की गई है एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गई है।
8. मुख्य अवैध खनन का कारण लगातार स्क्रीनिंग प्लान्ट व स्टोन क्रेशरों के गंगा बेसन की यमुना नदी के अन्दर व उसके फ्लड प्लेन पर गलत तरीके से स्थापित किया जाना है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्रतिबन्ध यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर नही लगाया गया है इसी का फायदा उठाते हुए लगातार अवैध तरीके से नदी के मध्य व फ्लट प्लेन एरिया में बेलगढ़, कनालसी, टापू में स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित किये गये है जो लगातार उसी जगह से आस पास से दिन रात अवैध खनन कर करे है और माल बेच रहे है जिनको कोई नही रोक पा रहा है। जबकि वह स्टोन क्रेशर नदी तल के ऊपर लगे हुए है। जिनको वहॉ से तत्काल हटाकर ही उस क्षेत्र के अवैध खनन को रोका जा सकता है।
9. अवैध खनन रोकने के लिए जिम्मेदार सरकारी मशीनरी का खनन माफियाओं व उच्च स्तर के दबाव में कार्यवाही न करना।

H- <u>राजीव ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर भारी मात्रा में अवैध खनन</u>:–

राजीव ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर जनवरी 2023 में लगभग 9 लाख टन रेते की खरीद दिखायी गई है व 3 लाख टन बालू, बजरी, बोल्डर की मिक्स खरीद दिखायी गई है और उसके द्वारा 12 लाख टन बालू बजरी बोल्डर बेचा गया है और 9 लाख टन रेत को पत्थर बनाकर बेच दिया गया है जिसकी कोई मशीन नही है जहॉ पर भण्डारण दिखाया गया है वहॉ पर न तो माल आता है और

न जाता है जहॉ से माल आया हुआ दिखाया गया है वहॉ से खनन नही हो रहा है सारा खनन यमुनानगर से हो रहा है जिससे भारी मात्रा मे मनीलॉन्ड्रिग हो रही है। इस सम्बन्ध में एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है।

यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि एक एक मिनट में कई कई रवन्ने जारी किये जाते है और खनिज विभाग के पोर्टल पर आईपी एडरेस दर्ज होता है उसकी जॉच की जाएगी तो पता लगेगा कि सभी रवन्ने यमुनानगर शहर में एक जगह बैठकर बनाये जाते है। इसके अतिरिक्त जो माल खान से भण्डारण पर आता है और भण्डारण से क्रेशर पर जाता है जो माल ट्रको से दिखाया जाता है उन कोई भी भाड़ा न तो लीज होल्डर अपने यहॉ दिखाता है और न ही भण्डारण लाईसेन्स वाला अपने यहॉ दिखाता है और नही स्टोन क्रेशर वाला दिखाता है जिससे अपने आप में यह साबित होता है कि सब फर्जी खरीद फरोख्त चल रही है और यमुनानगर में अवैध खनन हो रहा है।

I- <u>उपरोक्त अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास एंव विफलता निम्न प्रकार है</u>–

1. टास्कफोर्स का गठन।
2. ई–रवन्ना ऑनलाईन।
3. पोर्टल पर वाहनो का पंजीकरण।
4. सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना।
5. Haryana Space Applications Centre (HARSAC) से प्रति माह सैटेलाईट के माध्यम से यमुनानगर के माईनिंग क्षेत्रों की इमेज मंगवाना।
6. समय–समय पर अवैध खनन वाले वाहनों को बन्द करना व जुर्माना आरोपित करना।
7. अवैध खनन रोकने पर असफल अधिकारियों का ट्रांस्फर करना।
8. कुछ विशेष लोगों के विरूध फर्जी ई रवन्ना जारी करने के लिए व अवैध खनन करने के लिए एफ0आई0आर0 दर्ज कराना।
9. अन्य राज्यो से लाये गये मालों के सत्यापन के सम्बन्ध में आदेश जारी करना जो आज तक सत्यापन प्रक्रिया नही की गई है।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं की गई है लेकिन कोई भी प्रभावी तरीके से लागू न होने के कारण लगातार अवैध खनन हो रहा है।

12. प्रश्नगत क्षेत्र गंगा नदी (यमुना नदी) को अवैध खनन से बचाने के लिए सुझावः–

1. इस क्षेत्र की यमुना नदी (गंगा) के दोनों तरफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अर्न्तगत 5 किमी0 तक को अति संवेदनशील घोषित किया जाए।
2. भविष्य में भी खनन में मशीने बन्द की जाएं।
3. तत्काल प्रभाव से पर्यावरण क्षति के कारण एंव एमएमआरडी एक्ट की धारा 4ए के अर्न्तगत सभी खनन पटटे निरस्त किये जाए।
4. इस क्षेत्र में खनन के पटटे व स्टोन क्रेशरों पर कम से कम पॉच वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किये जाएं।
5. भविष्य में 1 मीटर से ज्यादा खनन की अनुमति न दी जाए।
6. अति संवेदनशील खनन क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी पीटीजेड कैमरो से व ड्रोनो से की जाए।
7. डी0एस0आर0 दोनों राज्यों की सहमति से नियमानुसार गाईडलाईन्स 2016 व 2020 का पालन कर बनाने के बाद ही भविष्य में निलामी की जाए और जो पूर्व में की गई है उनको निरस्त किया जाए।
8. फ्लड प्लेन सीमा का निर्धारण इसरो (ISRO) की मदद से इस क्षेत्र के लिए अलग से कराया जाए।
9. जो भी स्टोन क्रेशर फ्लड प्लेन पर स्थापित है व गाईडलाईन्स के अनुसार व प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थापित है उनको तत्काल डिस्मेन्टल कराया जाए व जिन अधिकारियों ने उनको स्थापित करने की गलत तथ्य प्रस्तुत कर अनुमति दी है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
10. इस क्षेत्र की रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी प्राईवेट कन्सलटेन्ट से न कराकर केन्द्रीय एजेन्सी जैसे सेन्ट्रल वॉटर कमीशन से करायी जाए ताकि सच्चाई का पता लग सकें और यह भविष्य में भी कम से कम तीन वर्ष में एक बार सेन्ट्रल एजेन्सी द्वारा ही किया जाना चाहिए।
11. भविष्य में स्टोन क्रेशरों की स्थापना उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उपलब्ध खनिज मात्रा के अनुसार ही अनुमति दी जाए।
12. स्टोन क्रेशरों की उत्पादन जॉचने के लिए हिमाचल प्रदेश व पंजाब की तरह बिजली की रिडिंग को भी आधार बनाया जाए।
13. अवैध खनन पाये जाने में उस क्षेत्र के जिम्मेदार सरकारी विभाग के लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए।
14. इस संवेदनशील क्षेत्र की प्रत्येक माह मॉनिटिरिंग सैटेलाईट के माध्यम से इसरो (ISRO) से करायी जाए।
15. अवैध खनन की शिकायत के लिए एक पोर्टल सेन्ट्रल लेविल पर बनना चाहिए जिसकी जॉच भी राज्य स्तर के अधिकारियों बिना शामिल किये हुए अलग केन्द्रीय टास्क फोर्स द्वारा जॉच कर कार्यवाही होनी चाहिए और इस सिस्टम के उपर भी इन्टेलिजेन्स ब्यूरों की नजर होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व पॉवरफुल लोगों के दबाव को समाप्त किया जा सके।
16. खनिज विभाग के पत्रावलियों का रिकॉर्ड ऑनलाईन होना चाहिए। ताकि कोई भी गैर कानूनी कार्य किये जाने पर आम लोगों को पता लग सकें।
17. आर0टी0आई0 आनलाईन 48 घन्टे के अन्दर खनन एंव अवैध खनन के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी जाए।

18. यमुना नदी के 5 किमी0 तक किसी भी तरह के खनन समतलीकरण निजि भूमि डि–सिल्टिंग की कोई भी अनुमति बिना भारत सरकार की अनुमति के न दी जाए।
19. जो व्यक्ति अवैध खनन की शिकायत मय साक्ष्यों के करते है उनका नाम पता गोपनीय रखना चाहिए क्योंकि उनके विरूध बाद में झूठे मुकदमें दर्ज किये जाते है यदि शिकायतकर्ता के विरूध कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जॉच किसी दूसरे जिले की पुलिस से कराया जाना चाहिए।

13. स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लान्टों व भण्डारण लाईसेन्सों के सम्बन्ध में सुझावः–

1. स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लान्टो की उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन मात्रा वाले खनन पटटे स्वीकृत करना। यदि यह सम्भव नही है तो उपलब्ध खनन पटटों की उत्पादन मात्रा से अधिक वाले स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लान्टों को अन्यत्र स्थापित कराना।
2. यमुना नदी के फ्लड प्लेन से 500 मीटर की दूरी तक स्थापित सभी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों को डिस्मेन्टल कराया जाए या वहॉ से स्थानान्त्रित कराया जाए।
3. CTE व CTO के अनुसार निर्धारित उत्पादन क्षमता से अधिक खनिज पोर्टल पर उत्पादन पर रोक लगायी जाए।
4. MDL/स्टोन क्रेशर में दी गई अधिकतम भण्डारण क्षमता से अधिक पोर्टल में माह में खरीद बिक्री पर रोक लगाया जाना व उत्पादन क्षमता को बिजल की रिडिंग से जोड़ देना।
5. अवैध खनन रोकने के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों के अधिकारियों पर जुर्माने का कुछ प्रतिशत व्यक्तिगत रूप में आरोपित किया जाए।
6. ट्रकों में ई आई ए नोटिफिकेशन के अनुसार जी0पी0एस0 ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया जाए।
7. यदि कोई माल राज्य के बाहर से लाया जा रहा है तो पोर्टल स्तर से उसका वैरिफिकेशन पोर्टल में होनी चाहिए।
8. स्टोन क्रेशरों के सत्यापन के लिए दूरियॉ नापने के लिए लोंगीटयूट व लैटीटयूट का इस्तेमाल होना चाहिए न कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की रिपोर्ट पर स्थापना की जाए।
9. सभी खनिज खरीद/बिक्री का विवरण ई रवन्ना पोर्टल पर मय ई रवन्ने की प्रति के पब्लिक डोमेन पर पूर्ण विवरण के साथ होना चाहिए।
10. सैटेलाईट से Haryana Space Applications Centre (HARSAC) द्वारा ली गई हर माह की खनन क्षेत्रों की फोटो व खनन क्षेत्र पब्लिक डोमेन में होने चाहिए ताकि तत्काल जानकारी सभी को हो और उसकी रोकथाम के लिए समय से शिकायत की जा सके।
11. खनिज विभाग द्वारा संचालित ई रवन्ना सॉफ्टवेयर में आवश्यक संसोधन करते हुए टेक्निकल टीम से डाटा का लगातार परिक्षण किया जाना चाहिए किसी भी ई रवन्ने में की गई गड़बडी के लिए तत्काल कार्यवाही किया जाना चाहिए।
12. एक लाईसेन्स पोर्टल पर एक ही मिनट में लोग कई कई ई रवन्ना जनरेट कर रहे है जिस पर रोक लगनी चाहिए और एक निर्धारित समय के अन्दर ही ई रवन्ना जनरेट होना चाहिए।
13. प्रत्येंक स्टोन क्रेशर को उसकी उत्पादन क्षमता का खनन क्षेत्र उपलब्ध होना अनिवार्य किया जाना व उसके पक्ष में खनन पटटा स्वीकृत किया जाना चाहिए जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू है।

14. अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए जिसका विवरण पोर्टल पर उपलब्ध हो:–

1. जो लोग फर्जी रवन्ना लेते हुए पकड़े जाएं या जारी करते हुए पकड़े जाएं या अवैध खनन करते हुए पकड़े जाएं उनसे खनिज की कीमत रायल्टी से कम से कम 5 गुना व अधिक से अधिक 10 गुना निर्धारित करते हुए खान खनिज अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कीमत वसूल की जानी चाहिए।
2. जो अवैध खनन किया जाए उस पर उपरोक्त कीमत के अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित ओ0ए0 नं0 360/2015 में दिये गये फार्मूले से आंकलन कर वसूल की जानी चाहिए।
3. जो अवैध खनन एंव अभिवहन में पकड़े गये वाहनों से माननीय एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए।
4. अवैध खनन जिस क्षेत्र में होना पाया जाता है उसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी की होनी चाहिए।
5. जो लोग अवैध खनन में पकड़े जाएं उन वाहनों को काली सूची में डालते हुए एक निर्धारित समय के लिए इस व्यापार से प्रतिबन्धित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी या तीसरी बार पकड़ें जाने पर उनका लाईसेन्स निरस्त करते हुए हमेशा के लिए प्रतिबन्धि तर देना चाहिए।
6. इसी प्रकार जिस स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को अवैध खनन या अवैध ई रवन्ने में पकड़ा जाए उसको कम से कम 6 माह के लिए लाईसेन्स सस्पेंड कर देना चाहिए व बिजली का कनैक्शन काट देना चाहिए। दूसरी व तीसरी बार पकड़े जाने पर स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट का लाईसेन्स निरस्त करते हुए डिस्मेन्टल कर देना चाहिए।

15. अवैध खनन निर्धारण के लिए साक्ष्य के लिए निम्न व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए:–

1. जी0पी0एस0 खनिज अभिवहन करने वाले ट्रकों पर लगाया जाना ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन के अनुसार अनिवार्य है यदि यह व्यवस्था सभी वाहनों पर होगी तो फर्जी बिल/ई रवन्ना जनरेट नही होगा यदि होगा तो वाहन के जी0पी0एस0 डाटा से पता लगाया जा सकता है कि यह खनिज को कहॉ से कहॉ लेकर गया है अथवा नही।
2. सैटेलाईट डाटा यमुना नगर में 2016 से खनन शुरू हुआ अब 2022 तक जो भी सैटेलाईट से फोटो लिए गये उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से किन किन स्थानों पर कितनी मात्रा में अवैध खनन हुआ है पता लगाया जा सकता है किन किन स्टोन क्रेशरों से रास्ते जुड़ रहे है यह पता लगाया जा सकता है कि अवैध खनन किन किन स्टोन क्रेशरों के द्वारा किया गया है क्योंकि HARSAC के पास हर माह के सैटेलाईट फोटो मौजूद है और सॉफ्टवेयर की मदद से पता लगाया जा सकता है कि अवैध खनन कहॉ कहॉ पर हुआ है और गूगल अर्थ की मदद से भी पता लगाया जा सकता है कि अवैध खनन कहॉ पर हुआ है।
3. टास्कफोर्स
4. चैक पोस्ट पर उपलब्ध रिकॉर्ड व उन पर डिजिटल डाटा व कॉटे लगाये जाएं तो उन पर पूरा साक्ष्य मिल सकेगा कि किस समय कौन सा ट्रक कितना वजन ले कर घुस रहा है।
5. प्रत्येक स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के खरीद/बिक्री का ऑनलाईन सत्यापन से।
6. जिले में कुल रॉ मैटिरियल के उत्पादन व आयात व बिक्री के डाटा के सत्यापन से।
7. उपरोक्त सुझाव यदि व्यवहारिक व उचित है तो उनको केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को लागू किया जाना चाहिए।

सेवा में,

श्रीमान सचिव
(चेयरमैन कमेटी आदेश दिनांक 25.01.2023)
जल शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार
6वॉ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली–110001

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश– हरियाणा की सीमाओं में यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक शिकायत यमुना नदी की जल धारा में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में की थी जिस पर माननीय एन0जी0टी0 द्वारा संज्ञान लिया गया और ओ0ए0 नं0 268/2021 पंजीकृत किया गया जिसमें आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा दोनों राज्यों की सीमाओं में हो रहे अवैध खनन की जॉच करने के आदेश दिये गये। लेकिन उत्तर प्रदेश के खनन संचालक मै0 स्टार माईन्स व उसके पार्टनरों द्वारा यमुना नदी का बहाव बदला गया और लगातार खनन क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया गया है जबकि मेरे द्वारा समय समय पर ड्रोन से फोटो, विडियो के साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जल धारा में भारी मशीनों से हरियाणा सीमा में जल धारा को परिवर्तित किया जा रहा है जिससे भारी पर्यावरण व राजस्व की क्षति हुई है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी सभी प्रमाणित साक्ष्य सहित शिकायतें सभी सम्बन्धित विभागों एंव अधिकारियो को मय फोटो के दी गई लेकिन उनके द्वारा उन पर कोई संज्ञान जानबूझकर नही लिया गया। **भेजे गये फोटो की प्रति संलग्न है**।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जॉच में उपरोक्त फोटो को संज्ञान में लेने का कष्ट करें।

धन्यवाद

दिनांकः– 24.02.2023
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान चेयरमैन महोदय
   मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
   फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
   नई दिल्ली–110003
2. श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय
   मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
   फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
   नई दिल्ली–110003
3. श्रीमान सचिव, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन
   मन्त्रालय, भारत सरकार, जोर बाग रोड़,
   नई दिल्ली–110003
4. श्रीमान निदेशक
   प्रवर्तन निदेशालय, 6 तल, लोकनायक भवन

प्रार्थी

जहॉगीर पुत्र दीन मोहम्मद
मकान नं0 656, ओल्ड हमीदा
यमुनानगर, हरियाणा

खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

5. श्रीमान निदेशक, सी0बी0आई0 प्लॉट नं0 5 बी
   सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली
6. श्रीमान अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग,
   सर्तकता भवन, ब्लॉक ए, जीपीओ काम्पलैक्स,
   नई दिल्ली–110023
7. श्रीमान मुख्य सचिव
   उत्तर प्रदेश सरकार, 101 बी ब्लॉक
   लोक भवन, सचिवालय, लखनऊ–226001
8. श्रीमान मुख्य सचिव,
   हरियाणा राज्य सरकार, 4 फ्लोर, सैक्टर 1,
   हरियाणा सिविल सैकेट्रीएट, चण्डीगढ़,
   हरियाणा–160019
9. श्रीमान चेयरमैन, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण
   बोर्ड, बिल्डिंग नं0 टी0सी0–12 वी, विभूति
   खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226001
10. श्रीमान चेयरमैन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
    सेक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
11. श्रीमान चेयरमैन,
    राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण,
    हरियाणा राज्य, बे नं0 55–58, प्रयत्न भवन,
    सैक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा
12. श्रीमान चेयरमैन,
    स्टेट लेवल इन्वार्यमेन्ट इम्पैक्ट एस्सेमेन्ट एथॉरिटी,
    उत्तर प्रदेश सरकार, विनित खण्ड–1, गोमती नगर
    लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

481

DATE - 24-03-2022
TIME - 12:37:47 PM

latitude 30;14;15.37669999999
longitude 77;31;9.149700000009
Atitude 382.512

DATE - 24-03-2022
TIME - 12:37:37 PM
latitude 30;14;16.94879999999
longitude 77;31;8.753800000005
Atitude 382.512

DATE - 24-03-2022
TIME - 12:37:47 PM
Latitude 30;14;15.37669999999
Longitude 77;31;9.149700000009
Altitude 382.512

DATE - 24-03-2022
TIME - 12:38:42 PM
Latitude 30;14;15.60499999999
Longitude 77;31;9.069200000002
Altitude 383.212

DATE 11-05-2022
TIME 12:33
LATITUDE 30;14;18.5149999999994
LONGITUDE 77;31;16.19490000000021
ALTITUDE 403.584

DATE 11-05-2022
TIME 12:37
LATITUDE 30;14;21.11440000000058
LONGITUDE 77;31;29.344299999970
ALTITUDE 404.184

DATE 11-05-2022
TIME 12:37
LATITUDE 30;14;24.00909999999956
LONGITUDE 77;31;28.73590000000288
ALTITUDE 403.184

DATE 11-05-2022
TIME 12:37
LATITUDE 30;14;22.5016000000032
LONGITUDE 77;31;28.9004999999888
ALTITUDE 403.784

DATE 11-05-2022
TIME 12:36
LATITUDE 30;14;41.150299999939
LONGITUDE 77;31;34.5066000000225
ALTITUDE 403.284

DATE 11-05-2022
TIME 12:24
LATITUDE 30;14;28.49940000000006
LONGITUDE 77;31;;27.7900999999837

DATE 11-05-2022
TIME 12:35
LATITUDE 30;14;37.90720000000014
LONGITUDE 77;31;32.92820000000240
ALTITUDE 403.684

DATE 11-05-2022
TIME 12:35
LATITUDE 30;14;39.9125000000058
LONGITUDE 77;31;35.457700000000280
ALTITUDE 404.184

PHOTO DATED 12-05-2022

PHOTO DATED 12-05-2022

PHOTO DATED 12-05-2022

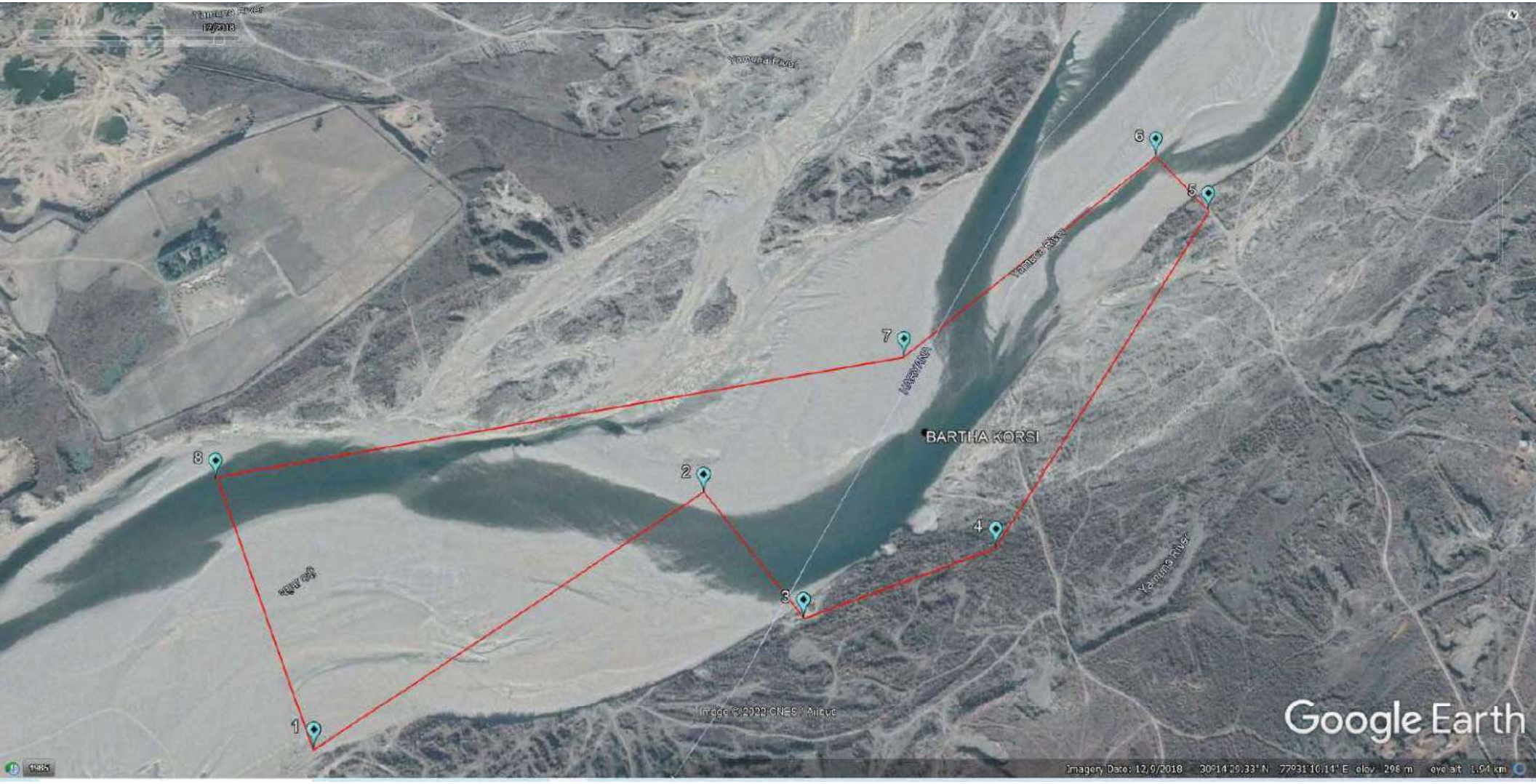

Yamuna River
Yamuna River
6
5
Yamuna River
7
HARYANA
BARTHA KORSI
8
2
4
3
Yamuna River
1
Google Earth
Imagery Date: 12/9/2018 30°14'29.33" N 77°31'10.14" E elev 298 m eye alt 1.94 km

6
5
7
8
2
4
3
1
BARTHA KORSI
Google Earth

Yamuna River
11/2021
Yamuna River
Yamuna River
HARYANA
BARTHA KORSI
Yamuna River
1
2
3
4
5
6
7
8
Image © 2022 Maxar Technologies
Google Earth

2/15/2022 5 am
8
7
6
5
4
3
2
1
BARTHA KORSI
Yamuna River
Image © 2022 Maxar Technologies
Google Earth
1985
30°14'23.61" N 77°31'16.32" E elev 298 m eye alt 1.36 km

सेवा में,

श्रीमान निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय, 6 तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ0ए0 नम्बर 268/2021 जहॉगीर बनाम हरियाणा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश– हरियाणा की सीमाओं में यमु ना नदी में हो रहे अवैध खनन की जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश व जिला यमुनानगर हरियाणा के मध्य यमुना नदी बहती है जो The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 की परिभाषा के अनुसार गंगा नदी है और आदेश 2016 के प्रावधान व प्रतिबन्ध लागू है। जिसका लगभग आधा भाग हरियाणा राज्य में पड़ता है और आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहॉ लगातार अवैध खनन खनन माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में भारी मशीनों से जल धारा के अन्दर कर जल धारा को मोड़ दिया गया है व पर्यावरण को भारी क्षति पहुॅचायी गई है।

जिला सहारनपुर में यमुना नदी में मौ0 इकबाल व उसके परिवार के पास पहले से खनन पटटे थे जिनकी आड़ में उसके द्वारा भारी अवैध खनन बालू के ठेकों की आड़ मे भारी मनीलॉन्ड्रिंग की गई। जिससे लगातार व जारी है अभी भी सहारनपुर में उनके बैनामी खनन पटटे यमुना नदी में चल रहे है जैसे की प्राईम विजन प्रा0 लि0 के डायरेक्टर निर्मल कवच है और मौ0 इकबाल की 111 मुखौटा कम्पनीयों में भी वह निदेशक है यमुना नगर में उसकी 111 मुखौटा कम्पनीयों में से ही सहारनपुर माईन्स मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0 लि0 व अपार माईन्स मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0 लि0 के नाम खनन के ठेके लिए गये है जिनकी आड़ में बैनामी सिंडिकेट बनाकर बड़ा अवैध खनन चलाया जा रहा है और कालाधन इक्कठा हो रहा है जिसकी जॉच के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका नं0 818/2015 में दिये गये थे। अब पुनः दिनांक 21.11.2022 को अवैध खनन पटटो को लेकर नोटिस जारी किये गये है आदेश दिनांक 21.11.2022 की प्रति संलग्न है। यमुना नदी में अवैध खनन की जॉच के लिए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.01.2023 को निम्न आदेश किये गये है–

"The Issue

1. Grievance in this application is against unscientific and illegal mining by M/s Star Mines, Saharanpur, obstructing the flow of Yamuna River in Village Belgarh, U.P (it is now stated by the parties that the said village falls on the side of Haryana on the bank of Yamuna river). It is stated that fifteen Pokland machines are working day and night causing damage to the environment, including air pollution. Though lease for mining is for the area in Saharanpur District in UP, the lessee is undertaking illegal mining in Village Belgarh in Haryana also.

Finding and Directions

16. There is nothing to show that the above procedure has been followed though there is report of Haryana State that illegal mining on the border is taking place which could not be ascertained due to flow in the river. Thus, the Tribunal has to go into the matter further. To ascertain factual position, we constitute a ten-member joint Committee to be headed by an Officer of the rank of Joint Secretary, nominated by Secretary, Ministry of Jal Shakti, GoI, with four nominees each of Haryana and UP Governments - representing Irrigation Departments, Revenue Departments nominated by the District Magistrates Saharanpur and Yamunanagar, Member Secretaries of HSPCB and UPPCB and SEIAAs of two States and one nominee of IIT, Roorkee. District Magistrates Saharanpur and Yamunanagar will also join the Committee. The nodal agency jointly will be District Magistrates of Saharanpur and Yamunanagar and HSPCB and UPPCB respectively. The Committee may meet within two weeks of receipt of this order and undertake visit to the site, get the area demarcated to ascertain the area where mining is allowed and where it is actually taking place and give a report within one month. Demarcation may specify the inter-state Borders. The Committee may also give its opinion whether and to what extent mining in the

area is desirable without damage to the environment and if so, subject to what conditions. In this connection, the Committee may also consider Section 32 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. It may also be examined whether drone mapping and CCTV cameras can be helpful tools for monitoring and whether there should be State level Surveillance/monitoring team in view of difficulties faced by local level teams in such matters. The Committee will be at liberty to take assistance from any other Expert/Institution/Department/individual and interact with stakeholders in the area. It will be free to conduct proceedings online or offline except for site visit. Report of the committee may be useful for dealing with issue of illegal mining on inter-state borders of rivers. The report may be furnished by 28.02.2023. Any expenses for proceedings of the Committee will be borne by District Magistrates equally, subject to further orders. If security is sought, the SSP, Saharanpur, may provide.

List for further consideration on 20.03.2023.

A copy of this order be forwarded to Secretary, Ministry of Jal Shakti, GoI, Chief Secretaries Haryana and UP Governments, Member Secretaries of HSPCB and UPPCB, SEIAAs of Haryana and UP, IIT, Roorkee and District Magistrates and SSPs, Saharanpur and Yamunanagar by e-mail for compliance."

आदेश दिनांक 25.01.2023 की प्रति साथ में संलग्नक नं0 01 पेज नं0 45 से 57 है।

जिला सहारनपुर व जिला यमुनानगर में यमुना नदी से बालू, बजरी पत्थर का भारी अवैध खनन खनन माफिया सिडिंकेटों द्वारा विभिन्न हथकन्डे लगाकर किया जा रहा है जो सरकारी मिलिभगत से हो रहा है जिससे भारी मनीलॉन्ड्रिग हो रही है व कालाधन उत्पन्न हो रहा है 1 साल में हजारों करोड़ की राजस्व क्षति इन लोगों के द्वारा की जा रही है व पर्यावरण क्षति हो रही है। उपरोक्त विषय में प्रार्थी जॉच में आवश्यक तथ्यों एंव साक्ष्यों को विस्तार से साथ में संलग्न कर रहा है। जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये जा रहे है उनका सत्यापन रिकॉर्ड से किया जा सकता है व जो सुझाव दियें जा रहे है वह सब अधिनियमों, नियमों व अधिसूचनाओं के अनुसार है और पर्यावरण हित में, जनहित में व राजस्व हित में प्रस्तुत किये जा रहे है। **यमुना नदी में हो रहे भारी अवैध खनन का रोकने के लिए प्रतिबन्धित यमुना नदी फ्लड प्लेन में लगे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों तत्काल डिस्मेन्टल किया जाना आवश्यक है। यमुना नदी में हो रहे भारी अवैध खनन की जॉच के लिए व सत्यतता जानने के लिए कमेटी को कम से कम 1 सप्ताह लगातार प्रतिदिन 12 घंटे फील्ड में वास्तविक क्षेत्र का निरिक्षण कर तकनीशियनों की सहायता लेकर निष्पक्ष जॉच किया जाना सम्भव है।** अवैध खनन करने वाले अपराधिक प्राकृति के खनन माफिया व स्टोन क्रेशर संचालक है व उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है और साथ ही सरकारी मशीनरी पूर्ण रूप से मिलि हुई है इसलिए प्रार्थी को इनसे जान का खतरा है व झूठे मामलों में फसाये जाने का डर है इसलिए उक्त सूचना को गोपनीय रखा जाए।

आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन से हो रही राजस्व क्षति व काले धन की मनीलॉन्ड्रिंग के मामला है और भ्रष्टाचार का मामला है पर्यावरण को भारी क्षति पहुॅची है। उक्त मामले में दोषी लोगों के विरूध कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण जॉच में सहयोग करने के लिए भेज रहा है कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करें।

धन्यवाद

दिनांकः– 09.02.2023
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान चेयरमैन महोदय
   मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
   फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
   नई दिल्ली–110003
2. श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय

प्रार्थी

जहॉगीर पुत्र दीन मोहम्मद
मकान नं0 656, ओल्ड हमीदा
यमुनानगर, हरियाणा

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग
नई दिल्ली–110003

3. श्रीमान सचिव, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन
मन्त्रालय, भारत सरकार, जोर बाग रोड़,
नई दिल्ली–110003
4. श्रीमान सचिव
(चेयरमैन कमेटी आदेश दिनांक 25.01.2023)
जल शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार
6वॉ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली–110001
5. श्रीमान निदेशक, सी0बी0आई0 प्लॉट नं0 5 बी
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली
6. श्रीमान अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग,
सर्तकता भवन, ब्लॉक ए, जीपीओ काम्पलैक्स,
नई दिल्ली–110023
7. श्रीमान मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार, 101 बी ब्लॉक
लोक भवन, सचिवालय, लखनऊ–226001
8. श्रीमान मुख्य सचिव,
हरियाणा राज्य सरकार, 4 फ्लोर, सैक्टर 1,
हरियाणा सिविल सैकेट्रीएट, चण्डीगढ़,
हरियाणा–160019
9. श्रीमान चेयरमैन, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण
बोर्ड, बिल्डिंग नं0 टी0सी0–12 वी, विभूति
खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226001
10. श्रीमान चेयरमैन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
सेक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
11. श्रीमान चेयरमैन,
राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण,
हरियाणा राज्य, बे नं0 55–58, प्रयत्न भवन,
सैक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा
12. श्रीमान चेयरमैन,
स्टेट लेवल इन्वार्यमेन्ट इम्पैक्ट एस्सेमेन्ट एथॉरिटी,
उत्तर प्रदेश सरकार, विनित खण्ड–1, गोमती नगर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

Tribune NewsHub

Jaspur: The price (& size) of these hearing aids might surprise you
Hear.com | Sponsored

Read Next Story ›

Advertisement

500

Jal Board blames 'illegal' mining in Haryana for dip in Yamuna's water level

Sand mafia has dug up pits in Yamunanagar, says vice-chairman

SHARE ARTICLE Listen A - A +

Updated At: Mar 08, 2023 10:13 AM (IST)

1081

Listen to this article
Powered by **Vuukle**
00:00 02:00

Advertisement

Tribune News Service

New Delhi, March 7

Delhi Jal Board Vice-Chairman Saurabh Bhardwaj today blamed “illegal” mining along the Yamuna in Haryana for water crises in the Capital.

He made the comments while carrying out an inspection at the Wazirabad Water Treatment Plant (WTP). Bhardwaj said the water level in the Yamuna had declined substantially. Such decline was usually witnessed in April and May, he added.

Powered By VDO.AI

“The key factor for the decrease in water level is not rising temperatures, but rampant illegal sand mining along the Yamuna in Haryana. Large pits dug up by sand mafia has slowed down the flow of water in Yamuna. Illegal mining is rampant in Yamuna Nagar district of Haryana,” Bhardwaj said.

He added that the water level of Yamuna near Wazirabad Barrage had suddenly gone down to 671.7 feet in February. “The normal level of Yamuna River at Wazirabad Barrage should be 674.5 feet during this period. The depth of Yamuna should be 3.5 feet but presently it is even less than 1 foot,” he said.

Bhardwaj also blamed Haryana for polluting the river. “The water in the Yamuna reaching Delhi gets polluted by two drains coming from Haryana,” he said.

Water treatment plants of Wazirabad and Chandrawal have been affected due to the decrease in water level in the Yamuna. “The Wazirabad plant produces 131 millions of gallon per day (MGD) of water. But the production has decreased to 82.69 MGD. Similarly, the Chandrawal plant, which has a capacit said Bhardwaj.

Tribune NewsHub

Jaspur: The price (& size) of these hearing aids might surprise you
Hear.com | Sponsored

Read Next Story ›

My Husband Abandoned Me In Fear Of Affording My Treatment.
Ketto | Sponsored
Learn More

हरियाणा सरकार

Subject: Verification of dara of M/s Rajeev Trading co. for misuse of e-rayaana.

In compliance of direction given by the W/DGMG, e-rayaana records of M/s Rajeev trading Co. MDL NO. 1111, Bibipur(Yamunanagar) is scrutinized. After scrutiny the records it is revealed that the MDL Holder is purchasing boulder gravel sand/sand from contractor firms operating in the district and then selling the same either as sand or as mix of boulder gravel sand and sand calling it as GSB to few screening plants in the district however he can only sale sand purchased from the contractor from in the open market only and can only sell boulder gravel sand to any screening plant or in open market to any end user but he is not doing the same. The details of purchase of sand and boulder gravel sand from mining contractors in the month of February and March is as under:-

MDL Name	MDL No.	Received From	Qty (In MT)	Month	Year	Mineral Name
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	M/s Saharanpur Mines Management Services Private Limited.	6426	February	2022	Boulder-Gravel-Sand
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	Paramjeet Singh So Sh. Hardeep Singh	252	February	2022	Boulder-Gravel-Sand
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	M/s Saharanpur Mines Management Services Private Limited.	13842	March	2022	Boulder-Gravel-Sand

MDL Name	MDL No.	Received From	Qty (In MT)	Month	Year	Mineral name
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	JSM Food Pvt. Ltd West	13032	February	2022	Sand
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	Routes and Journeys	22500	February	2022	Sand
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	JSM Food Pvt. Ltd East	19124	March	2022	Sand
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	JSM Food Pvt. Ltd West	35082	March	2022	Sand
Rajiv Trading Co.	MDL-1111	Routes and Journeys	17500	March	2022	Sand

In light of above, the MDL Holder purchased 107238 MT of sand and 20520 MT of boulder gravel and sand from above stated contractor firms. The detail of screening plants to whom they have sold sand and GSB is as under:-

MDL Name	Quantity (In MT)	Month (2022)	Buyer name	Location	Mineral Name
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3500	February	BAJRANG BALI SCREENING PLANT	BELGARH	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3000	February	DIPEN TANEJA	MANDOLI	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	1500	February	GAYATRI SCREENING PLANT	DEVDHAR	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	1518	February	GOODWILL SCREENING PLANT	BELGARH	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2518	February	GURU NANAK MINERALS	BELGARH	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3494	February	HINDUSATN SCREENING PLANT	BELGARH	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	10	February	HINDUSTAN SCREENING PLANT	BELGARH	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	150	February	JAI SHREE BALA JI SCREENING PLANT	MANDOLI	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	550	February	RADHEY KRISHNA SCREENING PLANT	GHORO PIPLI	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	106	February	RADHEY KRISHNA SCREENING PLANT	MANDOLI	Sand

हरियाणा सरकार

Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	300	February	SAT GURU SCREENING PLANT	GHORO PIPLI	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3505	February	SHRI RAM SCREENING PLANT	DOIWALA	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3504	February	VAISHNAV SCREENING PLANT	DOIWALA	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3504	February	YAMUNA WASHING PALNT	BELGARH	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	1698	March	BHAICHARA SCREENING PLANT	BIBIPUR	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	90	March	BHARAT SCREENING PLANT	BIBIPUR	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	90	March	GUJJAR SCREENING PLANT	BIBIPUR	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	500	March	POSWAL BROTHERS SCREENING PLANT	BIBIPUR	Sand
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	150	March	POSWAL ENTERPRISES SCREENING PLANT	BIBIPUR	Sand

MDL Name	Qty Total (In MT)	Buyer name (MDL/Lic No.)	Location	Mineral Name
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	13200	VAISHANAVI SCREENING PLANT (1249)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	9650	CHOUHARY SCREENING PLANT (1046)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	7000	JAI MAA VAISHNO ENTERPRIPRISES (L168)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	6018	KASHMIR STONE CRUSHER (L114)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	5500	VAISHNAV SCREENING PLANT (314)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	4904	BAJRANG BALI SCREENING PLANT (1338)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	4504	YAMUNA WASHING PLANT(443)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	4500	HINDUSATN SCREENING PLANT(1331)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	4298	RAMA STONE CRUSHER (L116)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3800	BRAHMANAND STONE (L43)	Doiwala	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3600	MAHA LUXMI STONE WASHING PLANT (321)	DEVDHAR	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3198	HIRA STONE CRUSHER (L01)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3452	NEW SURYA STONE INDUSTRIES (L113)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3000	MAHA BALI STONE CRUSHER (L71)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	3298	MOHINDRA SCREENING PLANT (362)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2500	ROOP RAM AND SONS (L06)	BALLEWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2700	SNEH STONES (L75)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2298	YAMUNA SCREGNING PALNT (344)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2206	PANWAR SCREENING PLANT (1016)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2198	FRIENDS SCREENING PLANT (1123)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	2198	SHYAM STONE CRUSHER (L14)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	1198	CHOUDHARY BROTHERS STONE CRUSHER (L15)	BALLAWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	698	JAI MAA VAISHNO ENTERPRIPRISES SCREENING PLANT (422)	BELGARH	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	600	SWAMI SCREENING PLANT (335)	DOIWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	500	SOHI STONECRUSHING COMPANY (L120)	BALLEWALA	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	400	LUXMI SCREENING PLANT (1354)	BEGAMPUR	GSB
Rajiv Trading Co.(MDL 1111)	200	SHAKUMBHARI SCREENING PLANT(1229)	MANDOLI	GSB

हरियाणा सरकार

From above it is evident that the MDL Holder could have only sold 20520 MT of boulder gravel sand however he never sell any boulder gravel sand but sold 97618 MT of GSB which MAY includes 20520 MT of boulder gravel and sand and rest 77000 MT of mineral sold by the MDL Holder is either the sand or any disclosed mineral procured illegal. In light of above the MDL Holder and the above screening plants needs to be given an opportunity to explain their position that how they can sell or purchase GSB or sand as raw material for screening plants within 7 days failing which their e-ravaana may be suspended and MDL may be cancelled.

2. Further as advised the screening plant having mineral purchased with raw material which otherwise is not practically feasible to be consumed by the Stone crushers as raw material (i.e stone dust or bajri) was also scrutinized from the portal. Following Screening Plants have added their E Ravana Purchase illegally with raw material as Stone Dust/GSB/Bajri, Gatka etc. these all are finished products of Stone crushers and cannot act as Raw material for screening plants.

MDL Name	MDL No	Total Qty(MT)
GAYATRI SCREENING PLANT	MDL-1062	136983
Guru Nanak Minerals	MDL-1284	2504
Hindustan Screening Plant	MDL-1331	5894
BAJRANG BALI SCREEN PLANT	MDL-1338	12034
M/S SWAMI SCREENING PLANT	MDL-335	1875
M/S YAMUNA SCREENING PLANT	MDL-344	11605
JAI MAA VAISHNO ENTERPRIES (SCREENING PLANT)	MDL-422	41638
New Shree Guru Nanak Stone Crusher (Screening Plant)	MDL-435	2252
Yamuna Washing Plant	MDL-443	3282
MAHADEV SCREENING PLANT	MDL-488	5037

Total quantity = 213102 MT

These screening plants have added their E purchase from Stone crushers which is not legitimate and not possible. Ironically, Screening plants provides Gatka (raw material) to Stone crushers. But in these cases, Stone crushers have provided the E stock purchase of Stone Dust/GSB/Bajri, Gatka and Screening plants have intentionally added stone crushers E-stock purchase as **Raw material purchase**. And they have further issued the E-ravana sale Bills out of this illegitimate purchase because Stone Dust/GSB/Bajri, Gatka cannot be processed by screening plants as raw material.

In light of above they may also be served with a show cause notice for purchasing unauthorized raw mineral for their plant within 7 days failing which their e-ravaana may be suspended and MDL may be cancelled.

Submitted please.

15.3.2022
Deepak Kumar
State Geologist

State Geologist

हरियाणा सरकार

The Hon'ble Minister for Mines and Geology had given an unsigned complaint about Rajiv Trading Company, MDL- 1111 in which it was alleged that they are involved in illegal practices in trading of Stone and Gravel in District Yamunanagar. The matter was referred to State Geologist who has prepared a detailed report which is self-explanatory. In view of the report, it is directed that action be taken against the firms which are buying and selling material from M/s Rajiv Trading Company in District Yamunanagar. The State Geologist has attached a list of the firms which are involved in such illegal activities, illegitimate purchases and false conversion of material from one form to another. It is the responsibility of Mr. Gurjeet Singh, Mining Officer, Yamunanagar to put up an action taken report on the finding of State Geologist. If Mr. Gurjeet Singh fails to take action against the defaulters it will be assumed that he is in hand in glove with the defaulting firms. In another file it has been already observed by W/PSMG that the Mr. Gurjeet Singh, Mining Officer, Yamunanagar has failed to check illegal mining going on in Galuari. The whole process be monitored by the SME.

M. Shayin, IAS
DGMG
15.03.2022

SME

For urgent action and report within 2 days by MO. YNR.

MEG(Ext)

MO (Yamunanagar)

15/3/2022

15.03.22

Signature of undersigned Attested
15/3/20

प्रेषक,

खनन अधिकारी
खान एंव भू–विज्ञान विभाग,
यमुनानगर।

सेवा में,

महानिदेशक,
खान एंव भू–विज्ञान विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

क्रमांक/खनन/यमुनानगर/ 1086 दिनांक:– 12.04.2022

विषय : **राजीव ट्रैडिंग कम्पनी (MDL-1111) गांव मुकारमपुर की जांच बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे आपको सूचित किया जाता है कि महानिदेशक, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा राजीव ट्रैडिंग कम्पनी (MDL-1111) गांव मुकारमपुर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर को 12.05.2020 से 12.05.2025 तक के लिए एम0डी0एल0 (बोल्डर, ग्रेवल और सैंड) दिया हुआ है। राज्य भू–विज्ञेता हरियाणा द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद उक्त एम0डी0एल0 की जांच फरवरी 2022 से मार्च 2022 तक की गई। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त फर्म के पास 22 फरवरी तक 5049 टन closing स्टॉक था।

उपरोक्त फर्म द्वारा 31 मार्च 2022 तक विभिन्न फर्मों से निम्नानुसार खनिज की खरीद की गई है:

MATERIAL RECEIVED FROM	QTY (IN MT)		MINERAL NAME
	FEB, 2022	MARCH, 2022	
M/s. Saharanpur Mines Management Services Pvt. Ltd.	6426	19602	Boulder-Gravel-Sand
M/s. Paramjeet Singh S/o Sh. Hardeep Singh	252	3510	Boulder-Gravel-Sand
M/s. JSM Food Pvt. Ltd. East	0	14752	Boulder-Gravel-Sand
M/s. JSM Food Pvt. Ltd. West	0	35154	Boulder-Gravel-Sand
M/s. JSM Food Pvt. Ltd. East	0	10096	Sand
M/s. JSM Food Pvt. Ltd. West	13032	20514	Sand
M/s. Routes and Journeys	22500	47698	Sand

उपरोक्त फर्म द्वारा 05 फरवरी से 31 मार्च तक निम्न फर्मों को खनिज की बेच की गई है:

MINERAL NAME	BUYER NAME (MDL/LICENSE NO.)	QTY. TOTAL (in MT)	LOCATION
GSB	M/S. VAISHNAVI SCREENING PLANT (MDL-1249)	16254	BELGARH
GSB	M/S. CHOUDHARY SCREENING PLANT (MDL-1046)	7000	BELGARH
GSB	M/S. JAI MAA VAISHNO ENTERPRISES (L-168)	5766	BELGARH
GSB	M/S. KASHMIR STONE CRUSHER (L-114)	6018	DOIWALA
GSB	M/S. VAISHNAV SCREENING PLANT (MDL-314)	8004	DOIWALA
GSB	M/S. BAJRANG BALI SCREENING PLANT (MDL-[illegible])	9914	BELGARH
GSB	M/S. YAMUNA WASHING PLANT (MDL-443)	7308	BELGARH
GSB	M/S. HINDUSTAN SCREENING PLANT (MDL-[illegible])	11008	BELGARH
GSB	M/S. RAMA STONE CRUSHER (L-116)	4098	[illegible]
GSB	M/S. BRAHMANAND STONE CRUSHER (L-43)	1506	[illegible]
GSB	M/S. MAHA LUXMI STONE WASHING PLANT (MDL-321)	[illegible]	[illegible]
GSB	M/S. HIRA STONE CRUSHER (L-01)	[illegible]	[illegible]

GSB	M/S. NEW SURYA STONE INDUSTRIES (L-113)	3162	DOIWALA
GSB	M/S. MAHA BALI STONE CRUSHER (L-71)	3000	DOIWALA
GSB	M/S. MOHINDRA SCREENING PLANT (MDL-362)	7996	DOIWALA
GSB	M/S. ROOP RAM AND SONS (L-06)	2500	BALLEWALA
GSB	M/S. SNEH STONES (L-75)	2700	DOIWALA
GSB	M/S. PANWAR SCREENING PLANT (MDL-1016)	7832	BELGARH
GSB	M/S. FRIENDS SCREENING PLANT (MDL-1123)	3558	BELGARH
GSB	M/S. SHYAM STONE CRUSHER (L-14)	2198	DOIWALA
GSB	M/S. CHOUDHARY BROTHERS STONE CRUSHER (L-15)	1198	BALLEWALA
GSB	M/S. JAI MAA VAISHNO ENTERPRISES PLANT (MDL-422)	5842	BELGARH
GSB	M/S. SWAMI SCREENING PLANT (MDL-335)	600	DOIWALA
GSB	M/S. SOHI STONE CRUSHING COMPANY (L-128)	500	BALLEWALA
GSB	M/S. LUXMI SCREENING PLANT (MDL-1354)	400	BEGAMPUR
GSB	M/S. GARG WASHING PLANT (MDL-1062)	500	DOIWALA
GSB	M/S. FRIENDS SCREENING PLANT (MDL-1123)	3558	BELGARH
GSB	M/S. BHAICHARA SCREENING PLANT (MDL-1108)	1198	BELGARH
GSB	M/S. GAYATRI SCREENING PLANT (MDL-1062)	1000	DEODHAR
GSB	M/S. GOODWILL SCREENING PLANT (MDL-1367)	1018	BELGARH
GSB	M/S. GURU NANAK MINERALS (MDL-1284)	2000	BELGARH
GSB	M/S. JAI BADRI VISHAL SCREENING PLANT (MDL-1149)	500	MANDOLI
GSB	M/S. JAI SHREE BALA JI SCREENING PLANT (MDL-1075)	650	MANDOLI
GSB	M/S. MAHA LUXMI STONE WASHING PLANT (MDL-321)	1800	DEVDHAR
GSB	M/S. MAHADEV MINERALS SCREENING PLANT (MDL-1416)	1588	GHORON PIPLI
GSB	M/S. NEW SURYA STONE ENTERPRISES (L-113)	3762	DOIWALA
GSB	M/S. PANWAR SCREENING PLANT (MDL-1016)	8102	BELGARH
GSB	M/S. RADHEY KRISHNA SCREENING PLANT (MDL-1246)	600	MANDOLI
GSB	M/S. SHAKUMBHARI SCREENING PLANT (MDL-1228)	614	MANDOLI
GSB	M/S. SHRI RAM SCREENING PLANT (MDL-1127)	6801	DOIWALA
GSB	M/S. YAMUNA SCREENING PLANT (MDL-344)	2298	BELGARH
GSB	M/S. SHIV SHAKTI SCREENING PLANT (MDL-1247)	500	MANDOLI
GSB	M/S. KAMAL SCREENING PLANT (MDL-1306)	1848	MANDOLI

MINERAL NAME	BUYER NAME (MDL/LICENSE NO.)	QTY. TOTAL (in MT)	LOCATION
Sand	M/S. DIPEN TANEJA (MDL-1375)	3000	MANDOLI
Sand	M/S. BAJRANG BALI SCREENING PLANT (MDL-1338)	1200	BELGARH
Sand	M/S. BHAICHARA SCREENING PLANT (MDL-1108)	500	BELGARH
Sand	M/S. BHARAT SCREENING PLANT (MDL-1333)	90	BIBIPUR
Sand	M/S. CHOUDHARY SCREENING PLANT (MDL-478)	150	BIBIPUR
Sand	M/S. GAYATRI SCREENING PLANT (MDL-1062)	500	DEODHAR
Sand	M/S. GOODWILL SCREENING PLANT (MDL-1367)	500	BELGARH
Sand	M/S. GUJJAR SCREENING PLANT (MDL-373)	90	BELGARH
Sand	M/S. GURU NANAK MINERALS (MDL-1284)	518	BELGARH
Sand	M/S. HINDUSTAN SCREENING PLANT (MDL-1331)	1000	BELGARH
Sand	M/S. JAI MAA VAISHNO ENTERPRIPRISES (MDL-422)	234	BELGARH
Sand	M/S. JAI SHREE BALA JI SCREENING (MDL-1075)	450	MANDOLI
Sand	M/S. KAMAL SCREENING PLANT (MDL-1306)	300	MANDOLI
Sand	M/S. NEW SURYA STONE INDUSTRES (L-113)	90	DOIWALA
Sand	M/S. POSWAL BROTHERS SCREENING PLANT (MDL-1124)	500	BIBIPUR
Sand	M/S. POSWAL ENTERPRISES SCREENING PLANT (MDL-1314)	150	BIBIPUR
Sand	M/S. RADHAY KRISHNA SCREENING PLANT (MDL-1376)	500	GHORO PIPLI
Sand	M/S. RADHEY KRISHNA SCREENING PLANT (MDL-1246)	106	MANDOLI
Sand	M/S. RAMA STONE CRUSHER (L-116)	500	DOIWALA
Sand	M/S. SAT GURU SCREENING PLANT (MDL-1392)	300	GHORO PIPLI
Sand	M/S. SHRI RAM SCREENING PLANT (MDL-1127)	1000	DOIWALA
Sand	M/S. VAISHNAV SCREENING PLANT (MDL-314)	1000	DOIWALA
Sand	M/S. YAMUNA WASHING PLANT (MDL-443)	1000	BELGARH

Sand	M/S. VAISHNAVI SCREENING PLANT (MDL-1249)	10	BELGARH

उक्त फर्म की खनिज की खरीद व बेच का मूल्यांकन करने के बाद पाया गया कि जितना खनिज खरीदा गया है उतनी मात्रा के अनुसार ही खनिज की बेच की गई है और बचा हुआ खनिज स्टॉक में पडा हुआ है। जांच के दौरान पाया गया है कि फर्म द्वारा दो स्टोन केशरों मै0 रामा स्टोन केशर गांव डोईवाला (L-116) को 500 एमटी व मै0 न्यू सूर्या स्टोन इंडस्ट्रीज गांव डोईवाला (L-113) को 90 एमटी केवल रेत ही बेचा गया है, जबकि स्टोन केशरो द्वारा रेत खरीदने का कोई मतलब नही बनता। उक्त एम0डी0एल0 की साईट पर सीसी टीवी कैमरा नही लगा हुआ है और न ही धर्म कांटा लगा हुआ है, धर्म कांटा की नीव तैयार हो रही है। उक्त फर्म द्वारा बताया गया है कि उनके स्टाक से लगभग 50 मीटर दूर एक धर्म कांटा लगा हुआ है, जिसका खनिज के वजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त फर्म द्वारा एम0डी0एल0 की शर्तो के अनुसार धर्म कांटा व सीसी टीवी कैमरे नही लगे हुए है और इसके द्वारा स्टोन केशरो को रेत बेचा गया है। यह आपको आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

खनन अधिकारी,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
यमुनानगर।

Mines & Geology Deptt.

Dashboard

SERVICE

MDL

Stone Crusher Grinding Unit

Longitude	Latitude
77.380830	30.121076

Details of the area from where mineral shall be procured.

Legal Mining contractor of Yamuna Nagar i.e. Routes and Journeys village Pabuja

Route/roads of mineral transportation from the source of mineral

Binsphi to Mukarampur via Bhogpur through village link road

Any other details

Trader

Applicant Signature:

Pay Fee 200000

Objection On

consentEstablishProofMDL,mineralStockedInYear,locationMapDetails,proofOwnership,extraAttachmentProofMDL,affidavitMineralSourceProofMDL,mineralProcuredArea,consentOperateProofMDL,mineralTransportRoute

Attached Documents

Location map or survey sketch showing the exact location of stockyard (survey number and other details of the area proposed to be used as stockyard where the applicant intends to store and conduct the sale of minerals or its products shall be delineated on the map)

Site Plan.pdf [Download]

Proof of the ownership or lease agreement and possession of the property or land proposed to be used as stockyard by the applicant.

Lease Deed.pdf [Download]

Consent to Operate from Haryana State Pollution Board for the Prevention and Control of Water Pollution regarding the site of mineral extract specifying pollution control devices installed or to be installed by the mineral dealer licence's owner.

Mines & Geology Deptt.

Dashboard

Service

MDL

Stone Crusher Screening Unit

No Objection Certificate/ Consent to Establishment from Haryana State Pollution Board for the Prevention and Control of Water Pollution regarding the site of mineral extraction specifying pollution control devices installed or to be installed by the mineral dealer licence's owner.

Jamabandi.pdf Download

An affidavit showing the details of legal source from which mineral would be processed along with distance of proposed site of MDL from the legal source of mineral. The GPS coordinates of the area is also required to be submitted in the affidavit.

Affidavit for purchase of raw material.pdf Download

Any Other Documents

affidavit for non illegal mining.pdf Download

PAN Details

BTAPK2100P Download

Back

M/s Rajiv Trading Co.

Village Mukarampur, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar (Haryana)

SITE PLAN

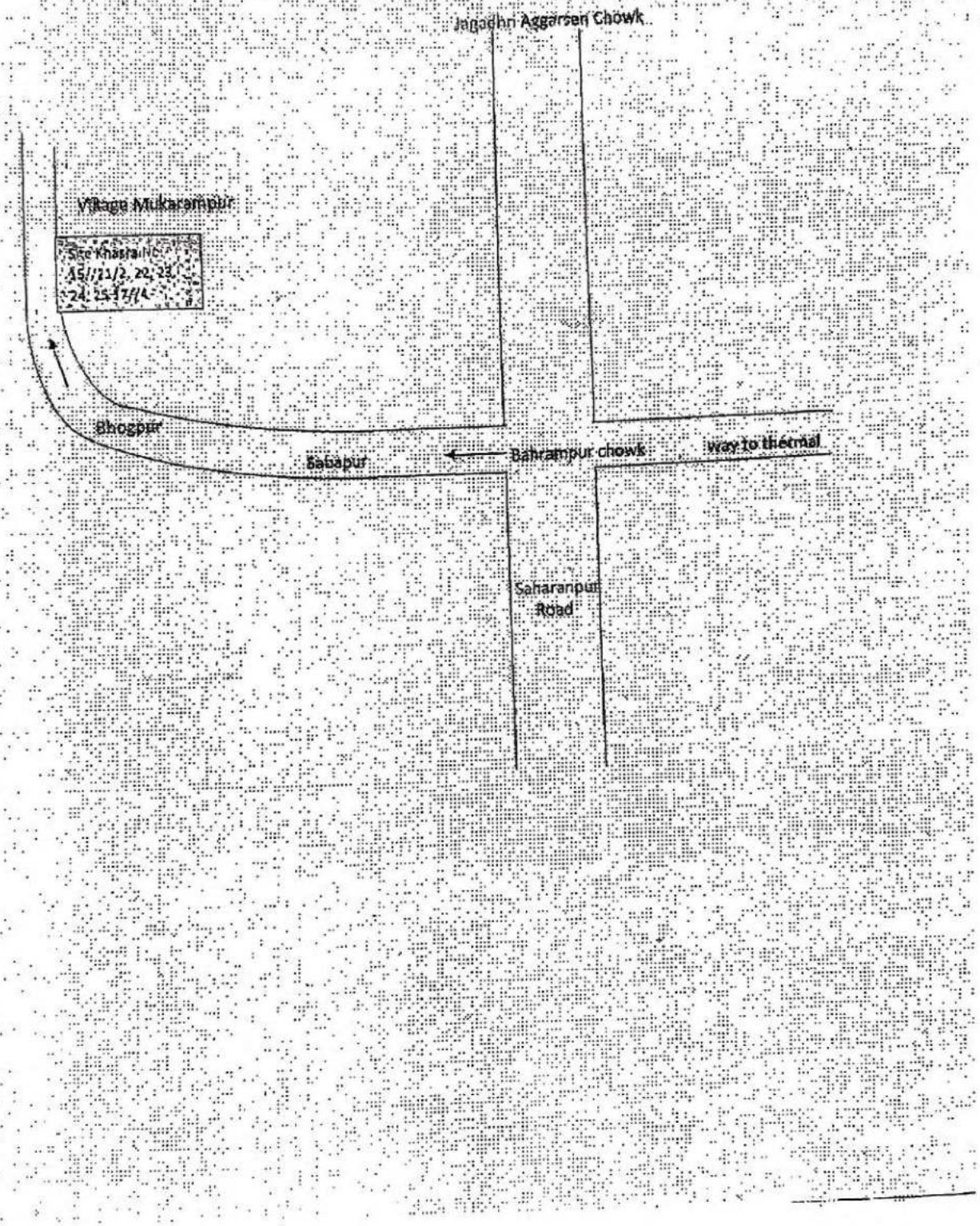

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 30/12/2018

Certificate No. I0302019L430

GRN No. 61302983

Stamp Duty Paid : ₹ 101

Penalty : ₹ 0

Deponent

Name : Rajiv Kumar
H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 Landmark : 0
City/Village : Fatehpur District : Yamuna nagar State : Haryana
Phone : 78*****92

Purpose : for agreement to be submitted at Self

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

इकरारनामा / वकोलतनामा । आष्टाम मुबलिग 101/– रुपये

1. शकील अहमद पुत्र मनसब अली पुत्र श्री कमरूद्दीन निवासी ग्राम मुकारमपुर, तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर

—— फरीक अव्वल

2. श्री राजीव/कुमार पुत्र रिषिपाल फतेहपुर(230), फतेहपुर, यमुनानगर, हरियाणा पिन कोड 135101

—— फरीक दोयम

हम फरीकैन बाला निम्नलिखित शरायत वा इकरार करते है कि——

1 :-- यह कि जो कि अराजी मुन्दर्जा खेवट वा खतौनी नम्बर 13/25 खसरा नम्बरान 15//21/2(7–4), 22 (8–0), 23(8–0), 24(8–0), 25(8–0), 17//3/2 (2–4) वा 3/3(4–8), 4(9–16) वा 7(5–4) वा 8 (8–0) वा 9 (8–0) वा 10/2 (7–4) कुल अराजी 82 कनाल 0 मरले का 80/1640 हिस्सा बकदर 4 कनाल वाका मौजा मुकारमपुर हदबस्त न0 119 तहसील जगाधरी बरूये फर्द जमाबन्दी 2015–2016 शामिल लेख मलकियत वा मकबूजा मुझ फरीक अव्वल है । और अराजी बाला मय दीगर खाता मिन जानिब फरीक अव्वल पास एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक सढ़ौरा वा पंजाब नेशनल बैंक भगवानगढ़ आडरहन है । और उपरोक्त

फरीक अव्वल शेष पेज नम्बर 02 पर फरीक दोयम

अराजी बाला पहले किसी के पास रहन यकाकगा या बैय या हिबा वगैरा ना है। और अराजी बाला को चकोता पर देने के मुझ फरीक अवल को पूर्ण अधिकार हासिल है।

2- यह कि अब फरीक अवल ने अपनी उपरोक्त अराजी रकबा 40 कनाल, वाहिनाय मुबलिग 4,50,000/- रूपये (चार लाख पचास हजार रूपये) प्रति सालाना बराये अरसा 05 साल अज तिथि 13-01-2020 ता तिथि 12-01-2025 फरीक दोयम को चकोता पर दी है। और फरीक दोयम ने भी उपरोक्त अराजी बाला उपरोक्त विवाद से उपरोक्त समय के लिये अजा फरीक अवल चकोता पर ली है।

3- यह कि फरीक अवल रकम चकोता साल दर साल बाअखज रसीद अजा फरीक दोयम वसुल करेगा, बिना रसीद कोई अदायगी रकम चकोता मुजराई ना होगी।

4- यह कि मुझ फरीक अवल ने कब्जा उपरोक्त अराजी बाला अज खसरा नम्बरान 15// 21/2 (7-4) वा 22 (8-0) वा 23 (8-0) वा 24 (8-0) वा 25 (6-0) वा 17//4 रकबा 09 कनाल 16 मरले में से रकबा 02 कनाल 16 मरले जानिबे उत्तर कुल अराजी 40 कनाल मजकूर मकबुजा खुद का आज से मौका पर हवाला फरीक दोयम कर दिया है। और मुझ फरीक दोयम ने भी कबजा उपरोक्त अराजी बाला का आज से मौका पर अजा फरीक अवल बाहैसियत चकोतेदार प्राप्त कर लिया है।

5- यह कि अब फरीक दोयम को अख्तयार होगा कि वह भूमि पर किसी भी प्रकार का रेत, बजरी, पत्थर वगैरा स्टॉक करे, वा दफ्तर बनाने के लिये प्रयोग करे, फरीक अवल का कोई एतराज किसी किसम का ना होगा। और फरीक दोयम निर्धारित समय पर रकबा बाला को खाली नहीं करता तो फरीक अवल का जो भी हरजा खरचा होगा तो वह फरीक दोयम अदा करने का जिम्मेवार वा पाबन्द होगा।

6- यह कि फरीक दोयम द्वारा चकोते पर ली गई उपरोक्त भूमि जिस हालत में प्राप्त की है फरीक दोयम उसी हालत में फरीक अवल को ठेका अवधि समाप्त होने के समय वापस करने का पाबन्द वा जिम्मेवार होगा। नुकसान मलकियत वा बार वीगरे का हर प्रकार से जिम्मेवार फरीक अवल होगा।

फरीकैन वा वारसान फरीकैन शरायत ईकरारनामा हजा के पाबन्द रहेंगे। यदि कोई फरीक खिलाफवर्जी शरायत ईकरारनामा हजा करेगा तो फरीक सानी के हर प्रकार के हरजे खरचे वा नुकसान का देनदार वा जिम्मेवार होगा और फरीक सानी बजरिया तकमील ईकरारनामा

NOTARY

DISTRICT

फरीक अवल

शेष पेज नम्बर 03 पर

फरीक दोयम

...कोतानामा हुआ करा सकेगा। लिहाजा ईकरारनामा हुआ बाजारमन्दी फरीकेन बाला रूबरू गवाहान हाशिया लिख दिया है कि सनद रहे। मजमून ईकरारनामा हुआ सुन वा समझ लिया है जो दरूस्त तसलीम है तिथि:— 13—01—2020

गवाहशुद्ध — अलबद्ध

इमरान खान पुत्र श्री पीरू निवासी ग्राम बीबीपुर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर

वकील अहमद फरीक अव्वल सकोता हिन्द।

गवाहशुद्ध — अलबद्ध

राजीव कुमार, फरीक दोयम, सकोता हिन्द।

ATTESTED

SHAMSHER SINGH KAMBO,

JAGADHRI

YAMUNA NAGAR

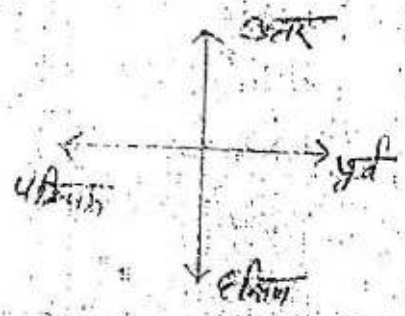

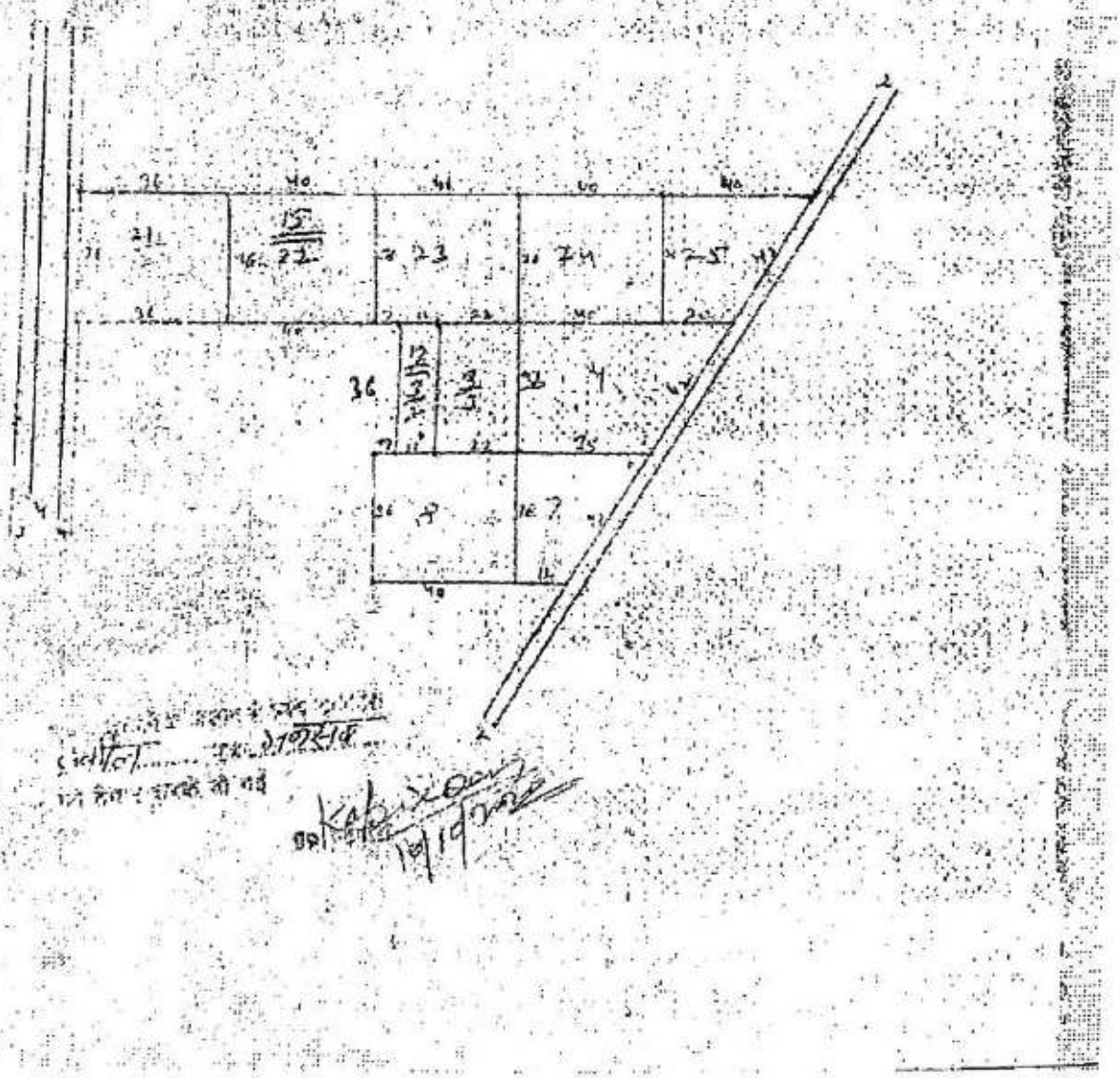

उत्तर
पूर्व
पश्चिम
दक्षिण
21
15/22
23
24
25
36
8
7

नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गांव : मुकारनपुर   हदबस्त न. : 139   जिला : यमुनानगर   तहसील : जगाधरी   साल : 2015-2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेवट या जमाबंदी नं.	खतौनी नं.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और लगान के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या हकीयत का पैमाना और मालिक का ब्यौरा	लगान और सबकी के ब्यौरे सहित मांग	कैफियत
13 // 12	25	अल्ला बख्श	वकील अहमद वकील अहमद पुत्र मनसार अली पुत्र कमरुद्दीन हर दो समभाग वासीदेह	खुदकाश्त	टयूबैल	15// 21/2	7-4 चाही				रपट नं.656/22.6.93 के. ब. 16/22-23 तादादी 16-0 का 1/2 भाग बकदर 8-0 वकील अहमद बरक AKG Bank जगाधरी के पास बदले रू. 25000/- के आड़ रहन है रपट नं.657/22.6.93 के.ब. 13/22-23 तादादी 16-0 का 1/2 भाग बकदर 8-0 बदले रू. 250006 के मिन जानिब वकील अहमद बहक AKG Bank जगाधरी आड़ रहन है रपट नं 326/24.3.01 के.ब. 17/8-9-12-19 तादादी 32-0 का 1/2 भाग बकदर 16-0 बदले रू. 60000/- के मिन जानिब वकील अहमद बनाम AKG Bank जगाधरी के पास आड़ रहन है; बमूजब रपट न. 3103 तिथि 16-7-2010 के अनुसार मिन जानिब वकील अहमद पुत्र मनसार अली खेवट न. 7 खसरा न. 15//32-23
					टयूबैल	22	8-0 चाही				
					टयूबैल	23	8-0 चाही				
					टयूबैल	24	8-0 चाही				
					टयूबैल	25	8-0 चाही				
					टयूबैल	17// 3/2	2-4 चाही				
					टयूबैल	3/3	4-8 चाही				
					टयूबैल	4	9-16 चाही				
					टयूबैल	7	5-4 चाही				
					टयूबैल	8	8-0 चाही				
					टयूबैल	9	8-0 चाही				
					टयूबैल	10/2	7-4 चाही				
					टयूबैल	11/2	7-4 चाही				
					टयूबैल	12	8-0 कुल 7-18 चाही 0-2 गै.मु.				
					टयूबैल	13	7-14 बाग चाही				
					टयूबैल	14	0-18 बाग चाही				
					टयूबैल	19	8-0 चाही				
						40	1-4 गै.मु. आबादी				
						किते 18	115-0				

Generated Via Entry/Record No. 10830200000531 ; Dated 10-01-2020 00:00:00 Issued to : Kim

Generated by : pooja1234 , from Web Portal

Report Generation Date : 10/01/2020 03:09 PM

Nakal Pope : Total Charges 45 Rupees Only (Fee: 10 + Computer Service Charges 35)

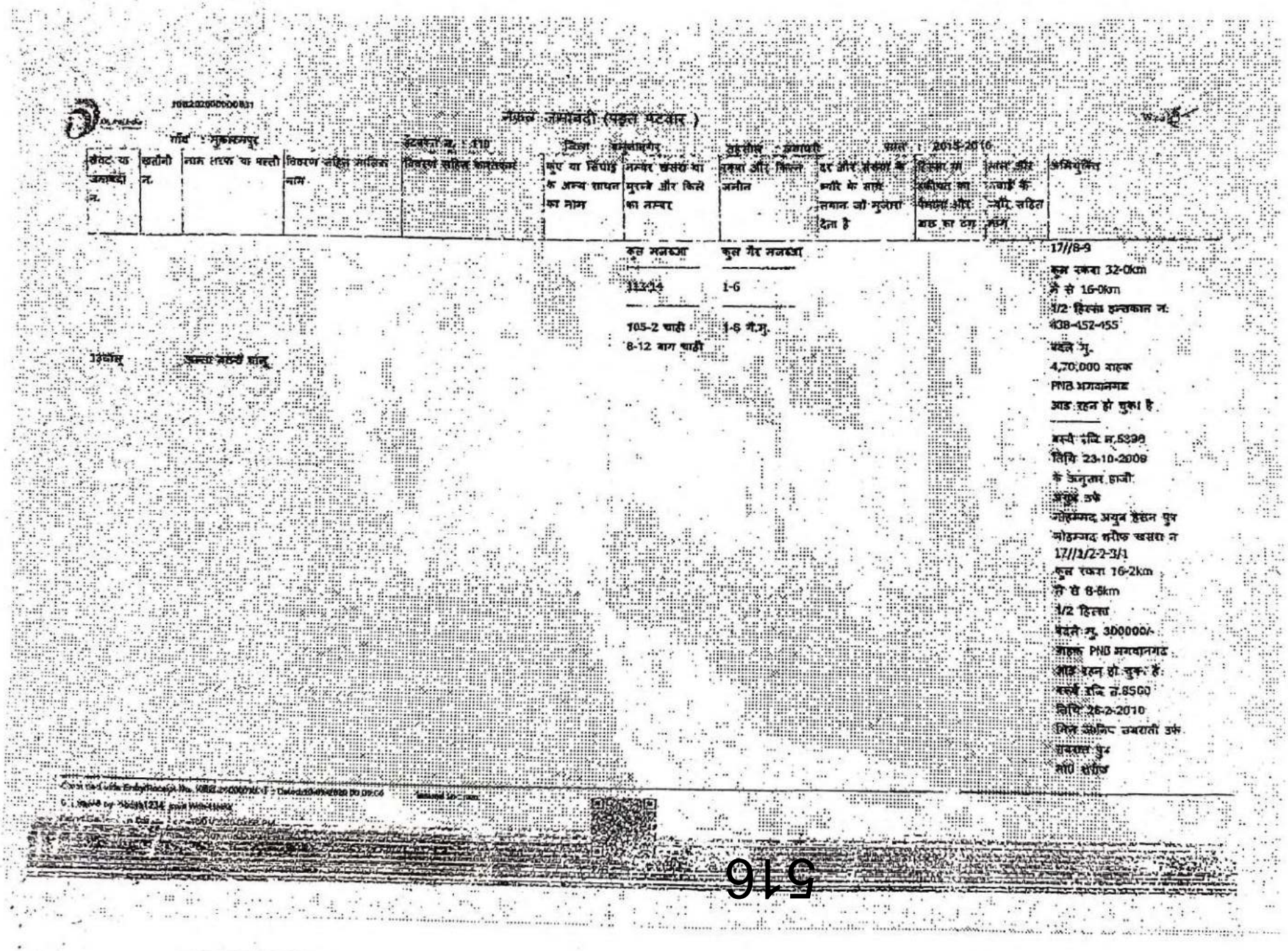

10082020000031

नकल जमाबंदी (पहल पटवार)

गाँव : मुकसमपुर | हदबस्त न. : 110 | जिला : [illegible] | तहसील : [illegible] | साल : 2015-2016

खेवट या जमाबंदी न.	खतौनी न.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और रकबा के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या खेवट का पैमाना और बाछ का ढंग	लगान और लगाई के ब्यौरे सहित मांग	अभियुक्ति
						कुल मलरुआ	कुल गैर मलरुआ				17//8-9 कुल रकबा 32-0km मैं से 16-0km 1/2 हिस्सा इन्तकाल न: 438-452-455 बदले मु. 4,70,000 राहक PNB भगवानगढ आड रहन हो चुका है. ——— वसी इंद्रि न.5399 तिथि 23-10-2008 के अनुसार हाजी अयूब उर्फ मोहम्मद अयुब हैसन पुत्र मोहम्मद शरीफ खसरा न 17//1/2-2-3/1 कुल रकबा 16-2km मैं से 8-6km 1/2 हिस्सा बदले मु. 300000/- राहक PNB भगवानगढ आड रहन हो चुका है: वसी इंद्रि न.8560 तिथि 26-2-2010 मिल [illegible] उमराती उर्फ [illegible] पुत्र [illegible]
						112-14	1-6				
						105-2 चाही 8-12 बाग चाही	1-6 गै.मु.				
33वांसू		[illegible] सांदू									

516

नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

ग्राम : नूरदसपुर   हदबस्त न. : 119   जिला : यमुनानगर   तहसील : जगाधरी   साल : 2015-2016

खेवट या जमाबंदी नं.	खतौनी नं.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुएं या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और तादाद के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या तकसीम का पैमाना और बाछ का ढंग	माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग	अभ्युक्ति
13दातू		अस्ता बक्श वाल्द									खसरा न. 17//12-22/1 रकबा कुल रकबा 16-12Kanal में से 8-0Km 1/2 हिस्सा बदले मु. 300000/- बहक PNB जगाधरी रहन हो चुका है ——— बमुजब इंत. न. 12716 तिथि 2-9-2015 के अनुसार मिस मालिक अतिक अहमद पुत्र मजहर अली खेवट न. 12 कुल रकबा 99-16Km में से 24-0Km 480/1876 हिस्सा बदले मु. 840000/- बहक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक भगवानपुर आड़ रहन हो चुका है ——— माल आरम्भ——— बहक आजीवन बैंक आदेश बैंक मैनेजर पत्रांक तिथि 9-2-17 के अनुसार मिस मालिक सतीश अहमद पुत्र

Generated from SehajRecord, File: 10620200000631, Dated 10-01-2020 00:00:00   Issued to c-nee
Compiled by: 200ys1234 from Web-Halris
Report Generated Date: 10/01/2020 02:38 PM
Nakal Fees: Total Charged: 45 Rupees Only (Fee: 10 + Computer Service Charges 35)
3/5

108202009000831

नकल जमाबंदी (पड़ताल पटवार)

गाँव : मुकारमपुर | हदबस्त नं. : 119 | जिला : समालखा[illegible] | तहसील : [illegible] | साल : 2018-2019

खेवट या जमाबंदी नं.	खतौनी नं.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और जोकरा के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या हकीयत का पैमाना और खाता का ढंग	माल और चराई के भारि सहित मांग	अभियुक्ति
[illegible]		अन्य रकबा यातू									मलकम अली i) खेवट नं.57 खतौनी नं. 78 का खसरा नं. 3//2 रकबा 4K-0m का 1/2 भाग बकदर रकबा 2k-0m ii) खेवट नं.13 खतौनी नं. 25 का खसरा नं.15//21/2-22-23-24-25-17//3/2-3/3 4-7-8-9-10/2-11/2-12-13 214-19-40 रकबा 115k-0m का 660/2300 भाग बकदर रकबा 33k-0m iii) खेवट नं.14 खतौनी नं. 26 का खसरा नं.18//25/2-13//5 रकबा 11k-11m का 1/2 भाग बकदर रकबा 5k-17m कुल रकबा 40k-17m बदले मु.400000/-रुपये मे बाहक कोरपोरेशन बैंक मुकारमपुर के पास गाह रहन हो चुका है — लाल समाप्त — — लाल आरम्भ — आस अहमद पीन आदेश बैंक

[illegible] Receipt No [illegible] . Dated 10-01-2020 [illegible] Issued to : [illegible]
[illegible]
[illegible] 2019 [illegible] PM
[illegible] (Fee 10 + Computer Service Charge 15)

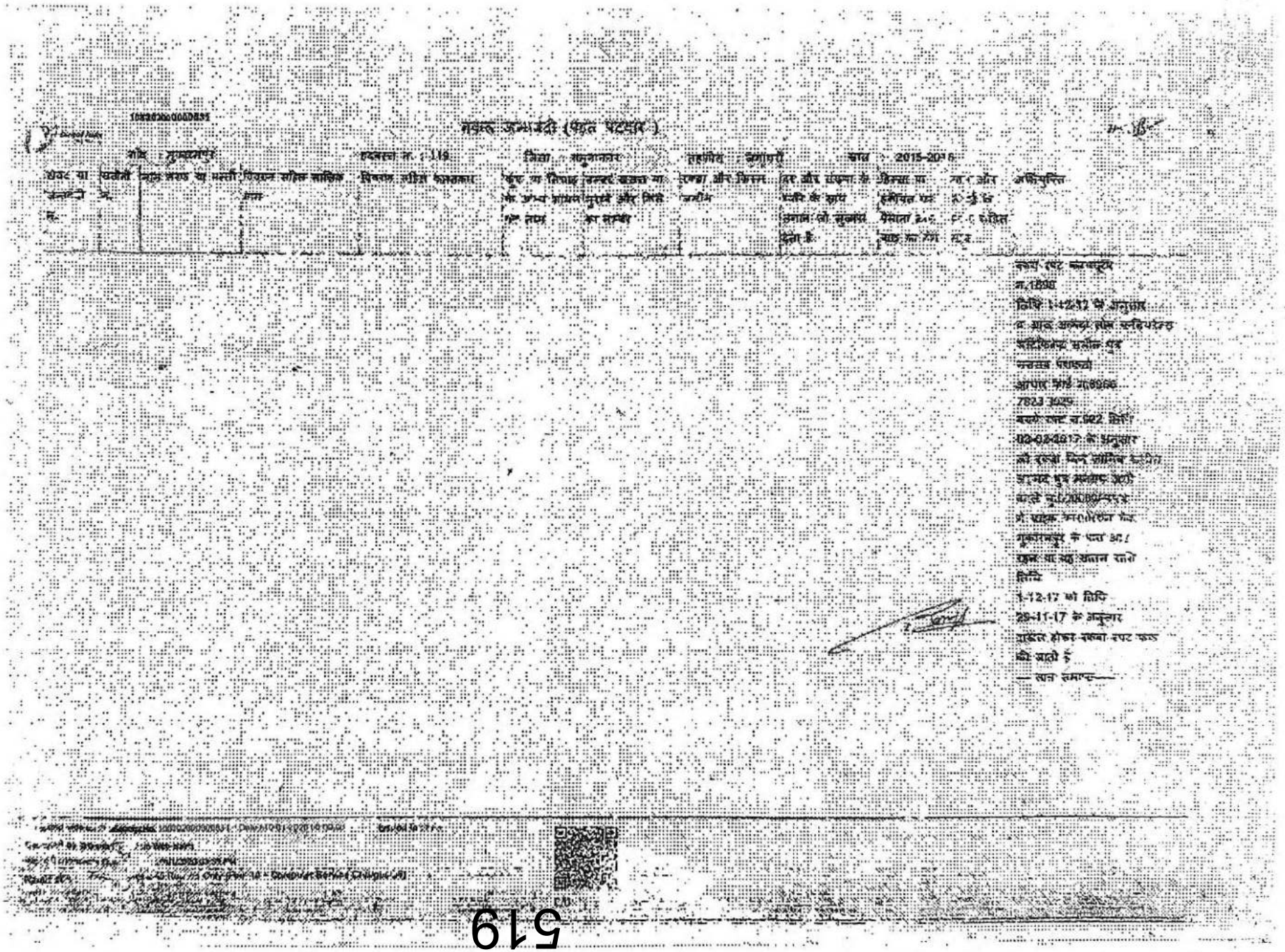

10826260000831

नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गाँव : [illegible] | हदबस्त नं. : 119 | जिला : [illegible] | तहसील : [illegible] | साल : 2015-2016

खेवट या जमाबन्दी नं.	खतौनी नं.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन नाम तथा	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और तादाद के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या हकीयत का पैमाना [illegible]	[illegible]	अभियुक्ति
											[illegible] न. 1898 तिथि 1-12-17 के अनुसार [illegible] 7823 3925 [illegible] न. 922 तिथि 03-03-2017 के अनुसार [illegible] के नाम [illegible] तिथि 1-12-17 को तिथि 29-11-17 के अनुसार [illegible] की जाती है — सत्र समाप्त —

नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

ग्राम : मुबारकपुर | हदबस्त नं. : 119 | जिला : यमुनानगर | तहसील : जगाधरी | साल : 2015-2016

खेवट या जमाबंदी नं.	खतौनी नं.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या परिमाण या पैमाना और वाछ या ढंग	माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग	अभियुक्ति
13वां		अल्ला बख्श वालू									मंजूर 930/TRA तिथि 17-3-2017 के अनुसार मिस आनिब आरिफ हसन पुत्र अब्बास हसन पुत्र अब्दुल हसन I) खेवट न.57 खतौनी 76 का खसरा न. 3//2 रकबा 4k-0m का 1/2 भाग बकदर रकबा 2k-0m II) खेवट न.13 खतौनी न.25 तालम रकबा 115k-0m का 650/2300 भाग बकदर रकबा 33k-0m III) खेवट न.14 खतौनी न. 26 का खसरा न. 12//25/2-13//5 रकबा 11k-11m का 1/2 भाग बकदर रकबा 5k-17m कुल रकबा 40k-17m बदले मु.450000/-रुपये में सहक कोरपोरेशन बैंक मुबारकपुर के पास आड रहन हो चुका है — साल समाप्त — — साल आरम्भ —

Converted vide Entry/Mutation No. 10820200000021 Dated 21/01/2020 00:00:00 Issued to : xxx
Generated by : pulgid1234 (Web Hrms)
Report Generation Date : 10/01/2020 (01:28 PM)
Nakal Fees : Total Charges: 45 Rupees (Only Fees 10 + Computer Service Charges 35)

नोट

AFFIDAVIT

I, Rajiv Kumar S/o S. Rishi Pal, Resident of Village Fatehpur, Tehsil Jagadhri, Distt Yamuna Nagar do here by solemnly affirm an affidavit as stated herein under.

1. That I am permanent resident of above said address.
2. That I am the Properitor of M/s Rajiv Trading Co., situated at Village M. karampur, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamunanagar (Haryana).
3. That I declare our unit is not registered any type mining litigation or criminal case registered on our company.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified that what is state above is true and correct to my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

DEPONENT

Place:
Dated:

INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA

Letter of Intent (LOI)

Reference to application dated Jan 28, 2020 received vide 2163931093 through HEPC.

2. Whereas Rajiv Trading Co. has applied for grant of Mineral Dealer Licence for stocking of 350000 Metric Ton mineral in area of village Mukarampur of Tehsil Jagadhri and District Yamuna Nagar.

3. Whereas in the light of your application, the department in principal agrees to grant the "Mineral Dealer Licence" for stocking 350000 mineral for the period of 05 years as per details given below:

Village	Mukarampur
District	Yamuna Nagar
Khewat/Khatoni/Killa/Khasra No.	15//21/2, 22, 23, 24, 25, 17//4
Extent of area	40 Kanal 00 Marla

4. Accordingly, you are hereby directed to deposit license fee amounting to Rs. 200000 within a period of 30 days as per the provisions of rule 85(5) of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 so that further action to grant of "Mineral Dealer License" could be initiated. In case, you fail to comply with above, your application shall be rejected under Rule 85(6) of State Rules, 2012.

Department of Mines and Geology
Haryana, Chandigarh

*This is system generated and need not any signature.

FORM MD-4

[See rule 85(5)]

Model Form for grant of Mineral Dealer's Licence

Government of Haryana

Department of Mines and Geology

A Dealers licence to stock, sell and exhibit for sale of mineral under Rule 9 of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012. State Minerals (Prevention of Illegal Mining, Storage and Transportation) Rules, 2012.

No. DMG/HY/MDL-T111 **Dated: 12-05-2020**

Mineral Dealer's Licence is hereby granted under "The Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012" in favour of **Rajiv Trading Co. (Haryana)** to sell, stock and exhibit for sale the under mention following Mineral(s) product(s) at the stockyard indicated below for the period commencing from **12-05-2020 to 12-05-2025**

Mineral(s) /Product(s)

1. Minor Mineral i.e. Boulder, Gravel and Sand

Location of Stockyard

District	Yamuna Nagar
Tehsil	Jagadhri
Village	Mukarampur
Extent to Area	40 Kanal 00 Marla
Detail of area (Khasra Numbers)	15//21/2, 22, 23, 24, 25, 17//4
Max. Quantity allowed to be stocked at any given point of time during the year(in MT)	350000
Period of Licence granted. **12-05-2020 to 12-05-2025**	

The Licence shall expire on: **12-05-2025**

CONDITIONS OF THE LICENCE

(i) The Licensee shall keep accurate and faithful accounts showing the quantity and other particulars containing the particulars of the source and quantity of each the mineral/minerals and/or its products purchased/received and sold/dispatched from the stockyard in the register prescribed for the purpose in form MD-6 and stock register in form MD-7.

(ii) The licensee shall submit monthly returns to the Mining Officer/Assistant Mining Engineer in charge of the district – Yamuna Nagar and the Director or officer authorised by him form MD-8 by 10th of the following month.

(iii) The licensee shall issue Mineral Transit Pass through e-Rawaana portal of the Department for every carrier transporting the mineral or its products for every trip from the stockyard.

(iv) The Licensee shall allow any authorized person to:

(a) Enter and inspect the stockyard including mineral processing unit, if any, building, office or any relevant premises.

(b) Survey, weigh, measure or take measurements of the stocks of mineral/minerals and/or its products lying at the stockyards;

(c) Examine any documents, books, registers or relevant record in the possession of the licensee or any other person having the control thereof or connected therewith and take extracts from or make copies of such Documents, books, registers or record.

(d) Examine the Licensee or any person having the control thereof, connected there with;

(e) Collect any other relevant information;

(f) Collect samples of any mineral/minerals and /or its products.

(v) The Licensee shall display the licence prominently at the stockyard or at his/her normal place of business. If at any time the Licence granted under these rules is lost or destroyed, the Licensee shall forthwith report the fact to the Licensing Authority.

(vi) The licensee shall bounden the stock yard with boundary wall or fence the same and shall maintain one entry point and one exit point.

(vii) The Licensee shall comply with the provisions of the Mines and Minerals(Development and Regulation) Act 1957 and the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking & Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 and all orders issued by the State Government from time to time.

(viii) In case of non compliance/default/breach of any of the conditions of the grant or any provisions, the Director or an officer authorize by him may suspend or seize or cancel the licence in accordance with the provisions of the Chapter 14 of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking & Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012.

Amrtalik Singh Dhillon, IPS
Director General
Mines and Geology Department
Haryana

This is system generated and need not any signature.
Address: Room No. 79, 1st Floor, 30 Bays Building, Sector-17-C, Chandigarh- 160017

Inspected the site
Full fill all conditions for issuance
of Stock in favour of M/s Rajiv Trading Co
Vill - Mukarampur Yamunabagar

SignedBy: Birender null(Department of Mines and Geology Haryana, Clerk) | Date: 2020-02-13 12:13

SignedBy: Ashok Kumar(Department of Mines and Geology, Mining Officer) | Date: 2020-02-13 12:15

Subject: Application for Grant of Mineral Dealer Licence received online through HEPC

As per Haryana Minor Mineral Concession, Stocking and Transportation of Mineral and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012, M/s Rajiv Trading Co. has applied for grant of Mineral Dealer Licence. The application received online through HEPC.

Case of Fresh Mineral Dealer Licence

The status of application and requisite documents is as under:

S. No.	Titles	observation	Remarks
1	An application for grant or renewal of Mineral Dealer Licence on Form MD I	Yes	
2	Application fee of Rs. 1,000/-	Yes	
3	Proof of Ownership of land or a copy of the lease deed entered into with the owner of land, leasing the land to the crusher owner	Yes, attached	
4	No objection Certificate/CTE of the HSPCB in case of fresh Licence	-	Not Required
5	Latest consent to operate from HSPCB in case of Renewal	-	Not Required
6	Partnership deed/power of attorney in case of partnership firm and an affidavit in case of Sole Prop.	Yes Attached An affidavit of Sole Prop	
7	A copy of Site Plan in case of fresh grant	Yes, attached	

Recommendations/ Submissions

Documents have been scrutinized and found to be in order. The LoI may be granted.

SignedBy: Mukesh Chand(Department of Mines and Geology, Assistant) | Date: 2020-03-02 07:16

SignedBy: Ramesh Kumar Sharma(Mining, Mining Engineer) | Date: 2020-03-02 11:44

SignedBy: Pravesh Kumar Sharma(Department of Mines and Geology Haryana, State Mining Engneer) | Date: 2020-03-03 10:53

SignedBy: Amitabh Singh Dhillon(Department of Mines and Geology Haryana, Director General) | Date: 2020-03-04 09:24

SignedBy: Pravesh Kumar Sharma(Department of Mines and Geology Haryana, State Mining Engneer) | Date: 2020-03-04 09:52

SignedBy: Ramesh Kumar Sharma(Mining, Mining Engineer) | Date: 2020-03-06 12:48

SignedBy: Mukesh Chand(Department of Mines and Geology, Assistant) | Date: 2020-03-06 14:48

सुपुर्दगी नामा

आज दिनांक 05-03-2023 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा खनिज परिवहन की चैकिंग करते हुए एक ओवर लोड गाड़ी जिसका नं० HR45C5000 पकड़ी गयी। जिसका वजन खनन धर्म कांटा गंडेवड़ पर कराया गया. जो 76040 kg पाया गया. जो 21040 kg अधिक पाया गया है। कांटा की पर्ची संलग्न है। गाड़ी मय चाबी व मय खनिज सहित थाना कोतवाली मेरठ को सुपुर्द कर दी गई है।

सुपुर्दगी देने वाले के ह०　　　　सुपुर्द लेने वाले के ह० 05/3/23

पंकज शर्मा (लेखपाल)

मो० नं० -8218421060

सेवा में

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय
थाना-मिर्जापुर तह०-बेहट।

महोदय,

अवगत कराना है कि गंडेवड़ चैक पोस्ट पर श्रीमान् तहसीलदार साहब के साथ चैकिंग के दौरान वाहन संख्या HR-37, E-9612 को जाँच के लिये रोका गया जिसमें कोरसेंट भरा हुआ था। वाहन चालक द्वारा गाडी नही रोकी गयी तथा गाडी को विकास नगर रोड पर, थाना मिर्जापुर की ओर भगाकर ले जाने लगा जिसका तहसीलदार महोदय की गाडी द्वारा पीछा किया गया किन्तु इसी दौरान स्वीफ्ट गाडी जिसका न० UK07AQ2438 था। तहसीलदार महोदय की गाडी को टक्कर मारते हुए, आगे निकलकर खनिज गाडी एवं तहसीलदार साहब की गाडी के बीच लगा दिया गया। इसके उपरान्त तहसीलदार साहब की गाडी को पास नही दिया गया जिसका फायदा उठाकर खनिज से लदे हुए डंपर द्वारा बीच सड़क मे ही खनिज को पलट दिया गया और तेजी से गाडी भगा ले गये। जिसकी सूचना दूरभाष पर थाने को दी गई थी।

अत: अनुरोध है कि स्वीफ्ट गाडी जिसका न० UK07AQ2438 है के विरुद्ध, सरकारी गाडी मे टक्कर मारने, तथा सरकारी कार्य मे बाधा डालने तथा डंपर गाडी संख्या HR-37, E-9612 के द्वारा अवैध खनिज का परिवहन, तथा बीच सड़क पर माल पलटने जिससे दुर्घटना हो सकती थी तथा सरकारी कार्य मे बाधा डालने के संबंध मे प्राथमिकि दर्ज करने का कष्ट करें।

[signature]

पंकज शर्मा S/o श्री शिवनारायण शर्मा
पद - लेखपाल तह०-बेहट
दिनांक - 05-03-2023

[signature]
05/03/23

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.237692°
Long 77.520612°
10/03/23 01:13 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.23536°
Long 77.516478°
10/03/23 01:44 PM GMT +05:30
Google

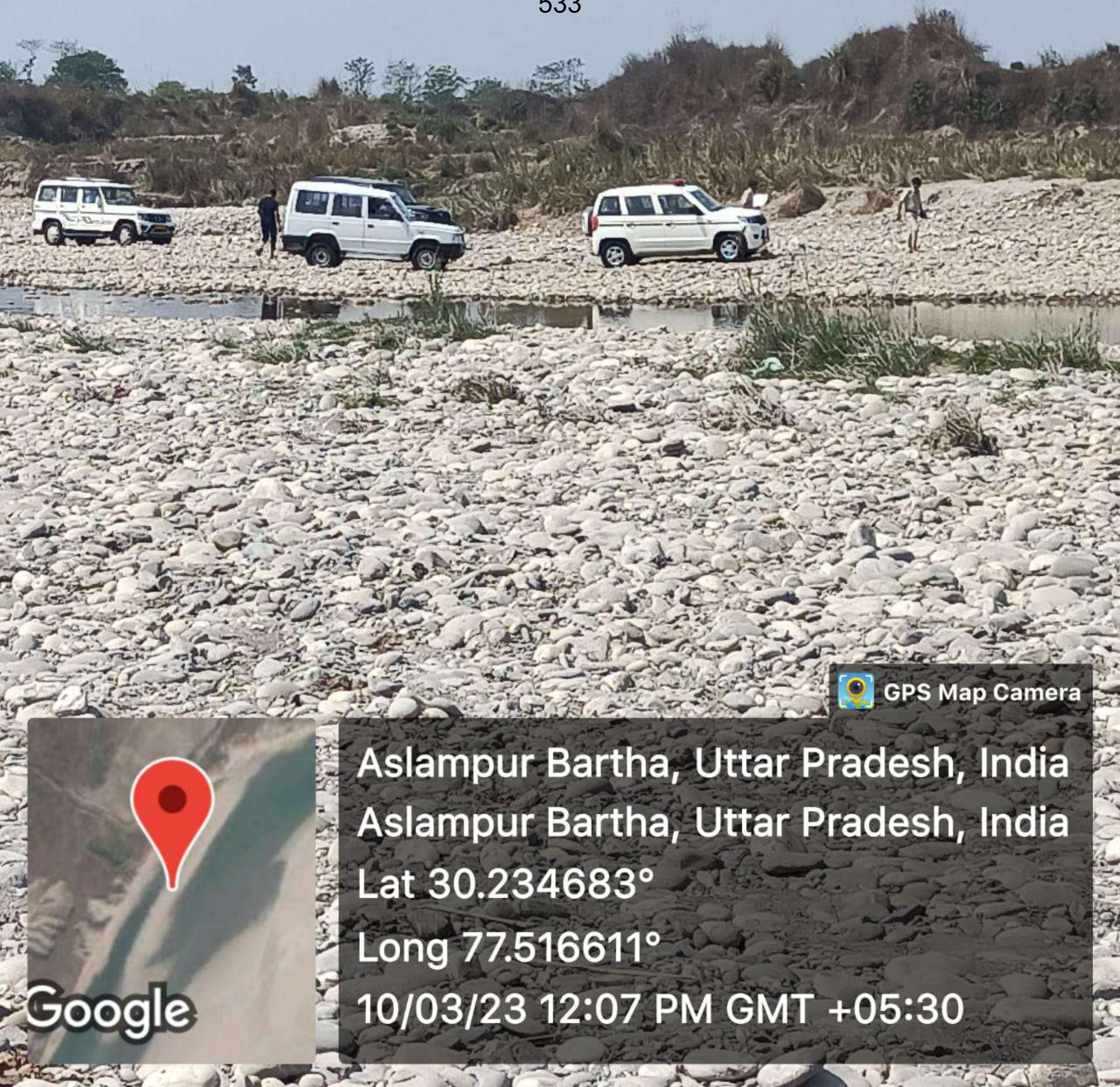
GPS Map Camera
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.234683°
Long 77.516611°
10/03/23 12:07 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera

Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.235384°
Long 77.516488°
10/03/23 01:59 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.237622°
Long 77.520582°
10/03/23 01:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.23764°
Long 77.520568°
10/03/23 01:12 PM GMT +05:30
Google

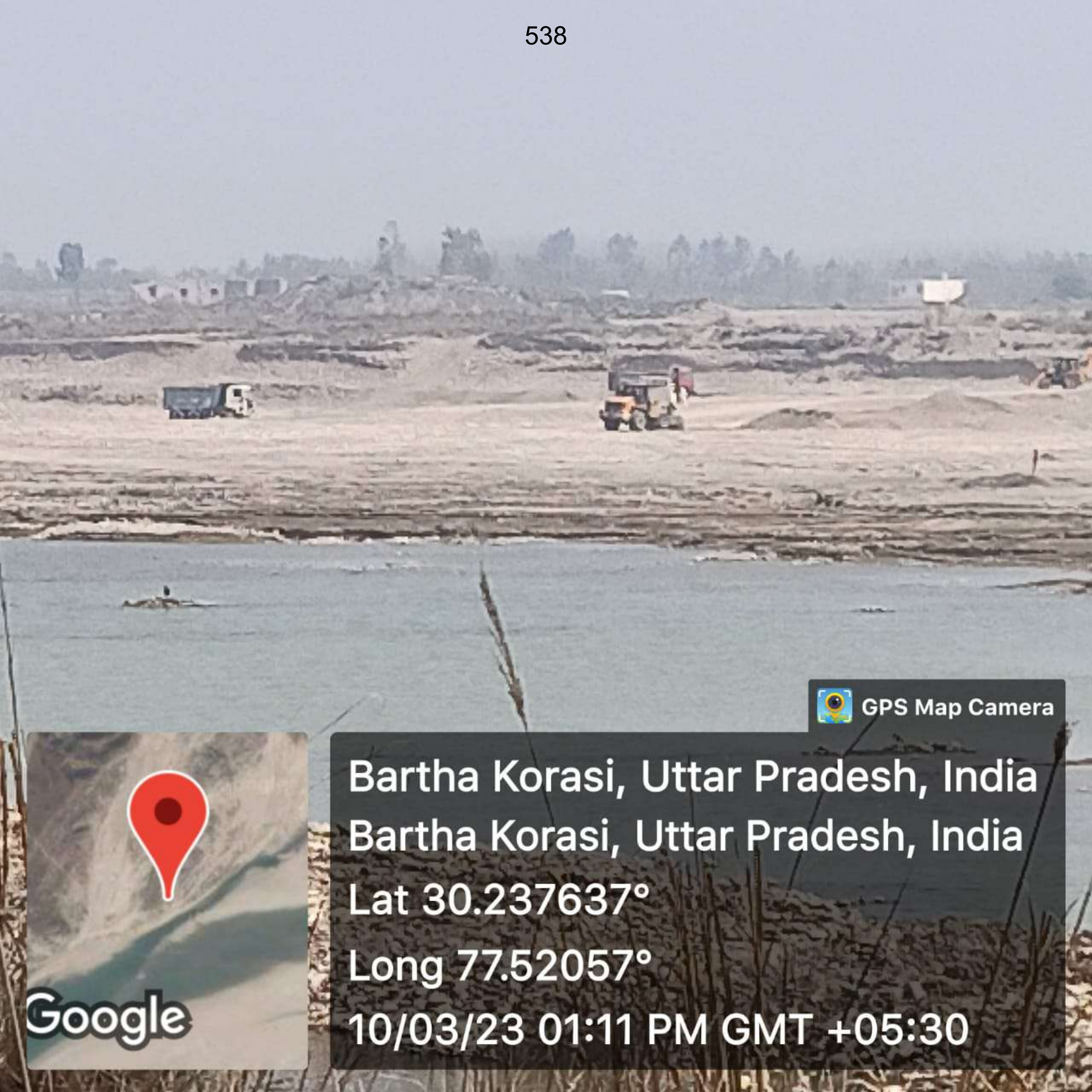
GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.237637°
Long 77.52057°
10/03/23 01:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
6GPH+983, Bartha Korasi, Uttar Pradesh
247121, India
Lat 30.23609°
Long 77.528496°
10/03/23 01:38 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.236053°
Long 77.517145°
10/03/23 12:51 PM GMT +05:30
Google

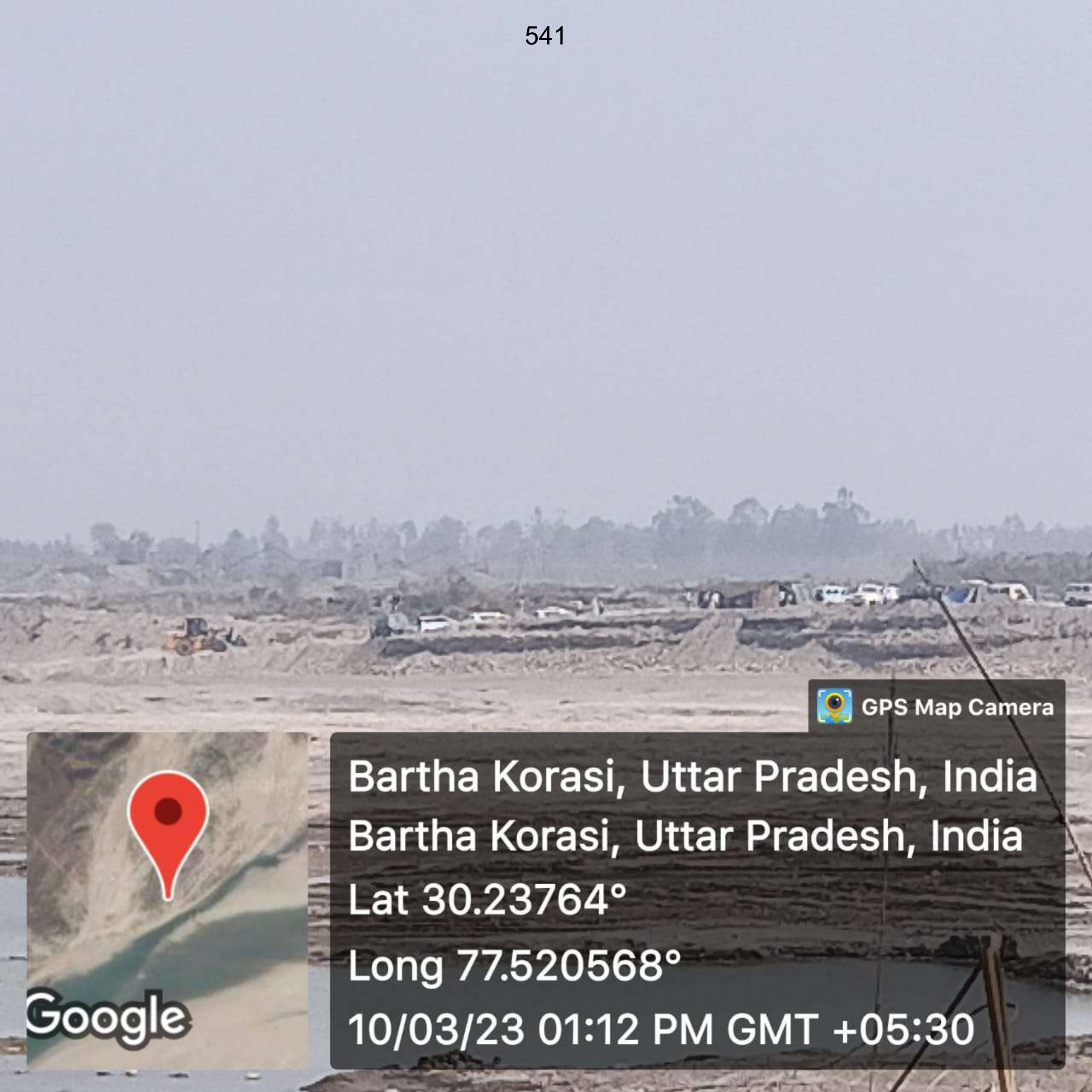
GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.23764°
Long 77.520568°
10/03/23 01:12 PM GMT +05:30
Google

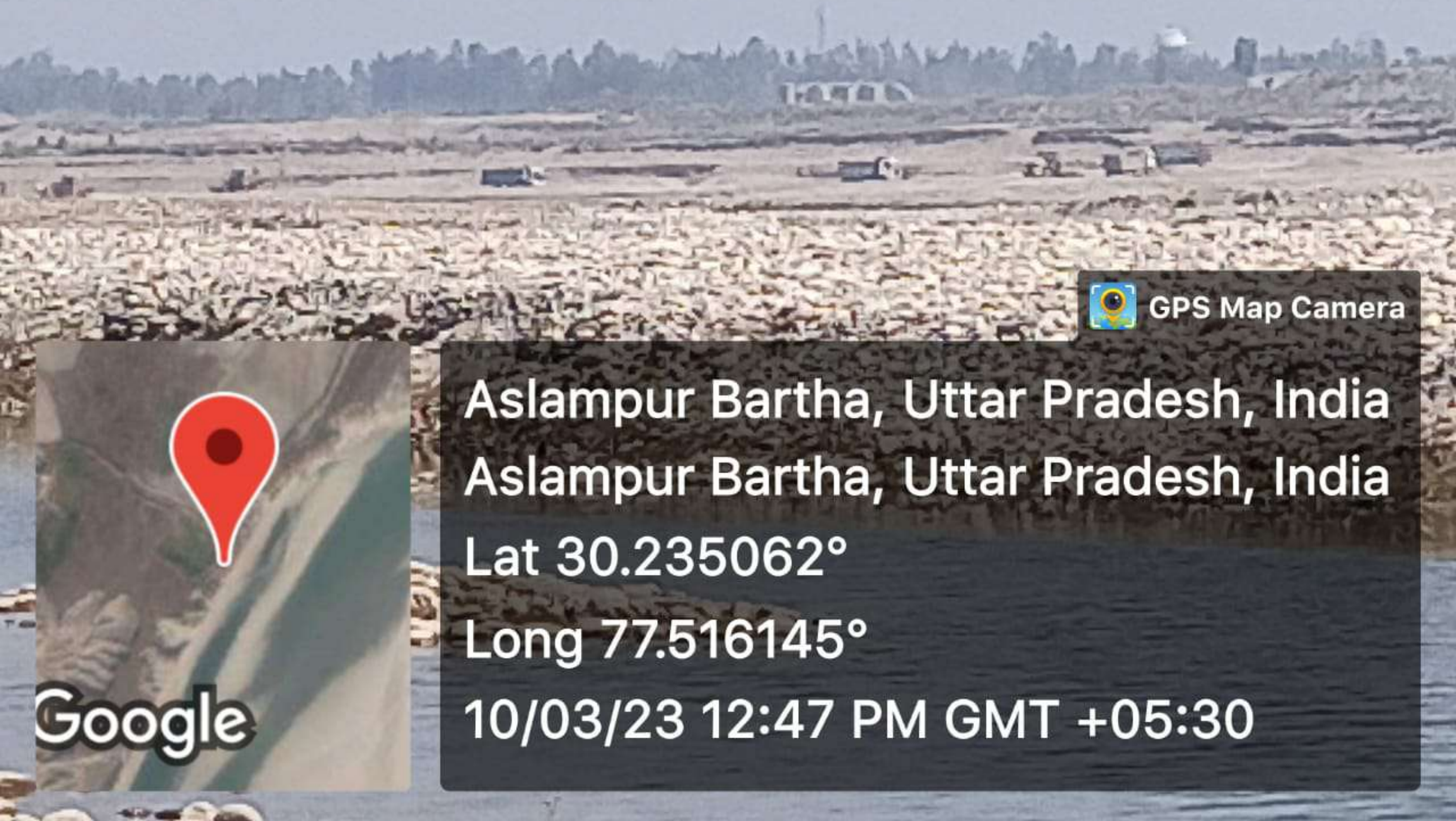
GPS Map Camera
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.235062°
Long 77.516145°
10/03/23 12:47 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.236069°
Long 77.517154°
10/03/23 12:51 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.236204°
Long 77.517282°
10/03/23 12:53 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Bartha Korasi, Uttar Pradesh, India
Lat 30.236118°
Long 77.517104°
10/03/23 12:51 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.234683°
Long 77.516611°
10/03/23 12:07 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera

Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.235256°
Long 77.516002°
10/03/23 01:36 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Aslampur Bartha, Uttar Pradesh, India
Lat 30.235072°
Long 77.51624°
10/03/23 12:43 PM GMT +05:30
Google

बेलगढ़ खनन जोन में एनजीटी की रेड, प्रशासनिक अमले के साथ जांचे गए अवैध खनन के निशान

जहांगीर नाम के व्यक्ति ने दी एनजीटी को अवैध खनन की शिकायत तो शुरू की कार्रवाई

संवाद सहयोगी, छछरौली : बेलगढ़ जोन में अवैध खनन की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की टीम जांच करने पहुंची। जांच के दौरान यमुनानगर व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का प्रशासन भी साथ रहा। टीम के यहां पहुंचने की सूचना से ही जोन में सन्नाटा पसरा रहा। यहां पर खनन में लगे वाहन भी नहीं मिले। जबकि आमतौर पर दिन रात यहां खनन चलता रहता है। वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम के साथ एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह, तहसीलदार प्रतापनगर आनंद कुमार व थाना प्रभारी और सहारनपुर की ओर से डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बेहट बेलगढ़ जोन में पहुंचे। यह जांच शिकायतकर्ता जहांगीर की शिकायत पर हो रही है। उन्होंने अधिकारियों के सामने कहा कि अवैध खनन कर यमुना की धारा मोड़ी जा रही है। इससे पर्यावरण को खतरा है। अधिकारियों ने उसके साथ खनन जोन का दौरा किया। इस दौरान टीम को उन्होंने अवैध खनन के निशान दिखाए। हालांकि टीम व उनके साथ मौजूद प्रशासनिक अमले

बेलगढ़ जोन मे गाड़ियों से जाते एनजीटी व प्रशासनिक अधिकारी। ● जागरण

में इस बारे में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। एसडीएम जसपाल सिंह ने कहा कि यह गुप्त रूप से की जांच की गई है। इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

बंद ब्लाक के बावजूद चल रहा खनन : बेलगढ़ जोन में खनन ब्लाक काफी समय से बंद पड़े हैं। इसके बावजूद यहां पर खनन हो रहा है। माफिया अवैध खनन कर रहा है। यमुना के अंदर और बाहर से दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं नदी के साथ लगती जमीनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। नदी के किनारे के साथ लगती सैकड़ों एकड़ जमीन पर यह अवैध खनन चल रहा है। हालांकि यहां पर अवैध खनन रोकने के लिए बेलगढ़ में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है। इसके बावजूद यहां पर अवैध खनन हो रहा है। इसके चलते ही एनजीटी को शिकायत दी गई थी।

दो प्रदेशों के अधिकारियों की मौजूदगी में बेलगढ खनन जोन में पहुंची एनजीटी की टीम

कमियां उजागर ना हो इसलिए अधिकारियों ने मीडिया से बनाई दूरी

देव केसरी/नवाब खान /यमुनानगर। शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली से एनजीटी की टीम हरियाणा व यूपी प्रशासन के साथ बेलगढ़ खनन क्षेत्र में पहुंची। एनजीटी की टीम को दोनों प्रदेशों के जिला के अधिकारी अपनी मनमर्जी से बेलगढ़ की पटरी व यमुना के आसपास ही घूमाते रहे। एनजीटी की टीम से मीडिया की दूरी रखी ताकि अधिकारियों के सामने एनजीटी की टीम से कोई सवाल जवाब न किया जा सके। बताया जा रहा है कि एनजीटी की टीम से कोई भी व्यक्ति मौका पर सवाल-जवाब कर सकता है ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है लेकिन उसके बाद भी आम आदमी तो दूर मीडिया तक को एनजीटी की टीम से दूर रखा गया। ऐसे में जिले के अधिकारी अवैध खनन के मामले को दबाना चाहते हैं या फिर अधिकारियों की मंशा कुछ और है यह तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता जहांगीर ने दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के सामने एनजीटी की टीम के सामने खनन तस्करों पर अवैध खनन कर यमुना की धारा मोड़ने का

आरोप लगाया। जिस पर एनजीटी की टीम व अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को साथ लेकर खनन क्षेत्र का दौरा किया।

मौके पर पहुंचे दोनों प्रदेशों के अधिकारी

यमुनानगर के बेलगढ़ खनन क्षेत्र में एनजीटी हरियाणा और यूपी प्रशासन की टीम में पहुंचने से सन्नाटा पसरा रहा। टीम में हरियाणा की ओर से एसडीएम जसपाल सिंह गिल नैब तहसीलदार प्रताप नगर आनंद कुमार थाना प्रभारी प्रताप नगर सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश की ओर से डीएम सहारनपुर, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बेहट प्रशासनिक अमला हरियाणा के बेलगढ खनन क्षेत्र में पहुंचा।

बता दें कि बेलगढ़ खनन ब्लॉक काफी समय से बंद पड़े हैं?। फिर भी यमुना व आसपास दिन-रात अवैध खनन किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता जहांगीर ने अवैध खनन कर्ताओं द्वारा यमुना की धारा को मोड़ने का आरोप लगाया वहीं यमुना नदी के साथ लगती जमीनों पर हो रहे अवैध खनन को लेकर भी चिंता जताई। यमुना नदी के किनारे के साथ लगती सैकड़ों एकड़ जमीन पर अभी भी दिन-रात अवैध खनन जारी है हालांकि प्रशासन

ने अवैध खनन रोकने के लिए बेलगढ़ में अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की हुई है फिर भी अवैध खनन करने वाले प्रशासन के गिरफ्त से बाहर हैं।

एनजीटी की टीम व अधिकारियों को नजर नहीं आए बेलगढ के गड्ढे

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि एनजीटी की टीम शिकायतकर्ता को साथ लेकर यमुना व आसपास घूमती रही जबकि बेलगढ़ में खनन माफिया द्वारा 50-50 फुट तक यमुना की पटरी के किनारे व अन्य जगह को खोद दिया गया लेकिन एनजीटी की टीम ने एक बार भी बेलगढ़ जोन में हुई अवैध खुदाई की तरफ देखा तक नहीं। ऐसे में एनजीटी की टीम व अधिकारियों का दौरा आम आदमी की समझ से परे दिखा।

दिल्ली से आई एनजीटी की टीम ने किया दौरा... एसडीएम

इस बारे में एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल का कहना है कि शिकायतकर्ता जहांगीर नामक व्यक्ति की शिकायत पर एनजीटी की टीम दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की मौजूदगी में बेलगढ पहुंची थी यहां पर उन्होंने यमुना का बहाव देखा और अवैध खनन एरिया भी जांचा। उन्होंने बताया कि यह टीम का निजी दौरा था।

बेलगढ़ में एनजीटी की टीम ने किया दौरा

एनजीटी की टीम बेलगढ़ क्षेत्र में दौरा करते। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

प्रतापनगर। उच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा व यूपी प्रशासन के साथ बेलगढ़ खनन क्षेत्र में एनजीटी की टीम पहुंची। इस दौरान टीमों ने यहां के चप्पे-चप्पे का दौरा किया।

वहीं टीम के पहुंचने की भनक लगते ही खनन क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। टीम में हरियाणा की ओर से एसडीएम जसपाल सिंह गिल, नैब तहसीलदार प्रतापनगर आनंद कुमार, थाना प्रभारी प्रतापनगर सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश की ओर से डीएम सहारनपुर, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बेहट प्रशासनिक अमला हरियाणा के बेलगढ़ खनन क्षेत्र में पहुंचा।

शिकायतकर्ता जहांगीर ने दोनों प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एनजीटी के शीर्ष अधिकारियों को खनन तस्करों द्वारा अवैध खनन कर यमुना की धारा मोड़ने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को साथ लेकर खनन क्षेत्र का दौरा किया। शिकायतकर्ता जहांगीर ने आरोप लगाया कि यमुना नदी के किनारे के साथ लगती सैकड़ों एकड़ जमीन पर अभी भी दिन-रात अवैध खनन जारी है।

हालांकि प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए बेलगढ़ में अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की हुई है फिर भी अवैध खनन करने वाले प्रशासन के गिरफ्त से बाहर हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Complaint Number: 7290/2023/5410672
Date: 01-03-2023

To,

JAHANGIR
S/O SHRI DEEN MOHAMMAD, HOUSE NO.656, OLD HAMIDA,
YAMUNANAGAR
HARYANA
Pin - 135001

Sir/Madam,

Subject: Your Complaint 7290/2023 dated 07-02-2023 registered in the Commission-reg.

Kindly refer to the above.

2. *Your Complaint has been duly examined in the Commission in terms of its Complaint Handling Policy and having regards to the nature of the issues raised therein, the same has been filed.*

3. *Please keep the complaint number confidential and do not disclose it to any other person.*

Yours sincerely,

Umesh Verma
Section Officer
Central Vigilance Commission

Minutes of Meeting held on March 02nd , 2023 from 3:00 PM onwards through Video Conferencing regarding Hon'ble NGT OA No 268/2021 Jahangir Vs State of Haryana.

Hon'ble NGT has passed order dated 25.01.2022 in the matter of OA No 268/2021(Jahangir Vs State of Haryana). The relevant para is quoted as below :-

".....16. There is nothing to show that the above procedure has been followed though there is report of Haryana State that illegal mining on the border is taking place which could not be ascertained due to flow in the river. Thus, the Tribunal has to go into the matter further. To ascertain factual position, we constitute a ten member joint Committee to be headed by an Officer of the rank of Joint Secretary, nominated by Secretary, Ministry of Jal Shakti, GoI, with four nominees each of Haryana and UP Governments - representing Irrigation Departments, Revenue Departments nominated by the District Magistrates Saharanpur and Yamuna nagar, Member Secretaries of HSPCB and UPPCB and SEIAAs of two States and one nominee of IIT, Roorkee. District Magistrates Saharanpur and Yamuna nagar will also join the Committee. The nodal agency jointly will be District Magistrates of Saharanpur and Yamuna nagar and HSPCB and UPPCB respectively. The Committee may meet within two weeks of receipt of this order and undertake visit to the site, get the area demarcated to ascertain the area where mining is allowed and where it is actually taking place and give a report within one month. Demarcation may specify the inter-state Borders. The Committee may also give its opinion whether and to what extent mining in the area is desirable without damage to the environment and if so, subject to what conditions. In this connection, the Committee may also consider Section 32 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. It may also be examined whether drone mapping and CCTV cameras can be helpful tools for monitoring and whether there should be State level Surveillance/monitoring team in view of difficulties faced by local level teams in such matters. The Committee will be at liberty to take assistance from any other Expert/Institution/Department/individual and interact with stakeholders in the area. It will be free to conduct proceedings online or offline except for site visit. Report of the committee may be useful for dealing with issue of illegal mining on inter-state borders of rivers. The report may be furnished by 28.02.2023. Any expenses for proceedings of the Committee will be borne by District Magistrates equally, subject to further orders. If security is sought, the SSP, Saharanpur, may provide".

A Preparatory meeting of the members of Joint Committee was held on March 02nd , 2023 through video conferencing. The meeting was chaired

by Joint Secretary (NRCD), Ministry of Jal Shakti, New Delhi. The meeting is attended by following officers:-

1. Shri Rahul Hooda, Deputy Commissioner, Yamuna Nagar.
2. Shri Pradeep Kumar, Member Secretary , Haryana State Pollution Control Board/SEIAA, Panchkula, Haryana.
3. Shri Rajneesh Mishra, ADM (F/R), Saharanpur, Uttar Pradesh.
4. Shri N.K. Goel, Hydrologist, IITR, Roorkee.
5. Shri N.K. Das, Joint Director, Mining Department, Saharanpur, Uttar Pradesh.
6. Shri O.P. Verma, S.E. Sinchai Karya Mandal, Saharanpur, Uttar Pradesh.
7. Dr. B.B. Awasthi, Member, SEIAA, Uttar Pradesh.
8. Shri Rajesh Sangwan, Mining Officer, Yamuna Nagar.
9. Dr. D.C. Pandey, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Saharanpur.
10. Shri Nitin Mehta, Regional Officer, Yamuna Nagar, HSPCB.
11. Shri Deepak Kumar, SDM, Behat, Saharanpur.
12. Shri Vinod Kumar, Executive Engineer, Water Services Divison , Dadupur, Yamuna Nagar.

Following is the record of discussion:

The Chairman of Committee Joint Secretary, Jal Shakti welcomed the participants and invited the views of the committee members regarding the order of Hon'ble NGT OA No 268/2021 (Jahangir Vs State of Haryana).

1. Shri Rahul Hooda Deputy Commissioner, Yamuna Nagar mentioned that the complainant allegation is that illegal mining is being done at Belgarh. Illegal mining area is situated near interstate boundary and is not clearly demarcated whether it is in the territory of Uttar Pradesh or Haryana as the water table of the river is high during the monsoon season. It is also submitted that the mining unit mention in the complaint is situated in Uttar Pradesh and not in Haryana and no such illegal mining was reported in Haryana.
2. Shri Rajneesh Mishra, ADM (F/R), Saharanpur informed that as per direction of Hon'ble NGT vide order dated 27.10.2022 in the same matter he had visited the site along with joint committee on 10.01.2022. At the time of inspection, the area of complaint and interstate boundary was not demarcated. So, Joint Committee of revenue and mining department constituted by respective District Magistrate of Yamuna Nagar and Saharanpur and after the report the committee has revisited the site in question on dated

12.05.2022. M/s Star Mines, Gata No -01, Village Bartha Korsi, Tehsil- Behat, District Saharanpur allotted 36 Hectare area that is clearly demarcated situated in Village Bartha Korsi.

3. Shri N.K. Das, Joint Director Mining Department, Saharanpur informed that mining in question M/s Star Mines, Gata No -01, Village Bartha Korsi, Tehsil- Behat, District Saharanpur was permitted 36 hectare mining lease area for the period of five years and granted Environment Clearance (EC) from SEIAA and permission from the Mining Department. The unit has permission of Forest Department, Irrigation Department, Saharanpur, UP Pollution Control Board and UP Ground Water Board, Saharanpur. Geofencing of the mining area was marked by pillars and CCTV Zoom Camera installed for monitoring of the area. Replenishment study of the area is also conducted. The mining unit is complying all the clauses of EC and submit quarterly compliance report to Mining Department. District Administration and Mining Department regularly verified the compliances. It is also to be noted that the Belgarh is approximate one kilometer away from the mining area of Star Mines.
4. Shri N.K. Goel, Hydrologist IITR, Roorkee informed that the interstate boundary can be decided through 1900 Survey of India, Khasra Map. The river course and the mining area coordinates was decided through 50 years, 25 years and 5 years flood lines of the river. The timelines for mining is also fixed from sunrise to sunset and mining is not allowed during monsoon season (15 June-15 October). The change of river course is a natural process and also may be due to mining operations. The dispute of changing river course may be resolved by deciding the rights of river. It is requested to allow two expert persons from IITR to accompany during the site visit.
5. Shri Pradeep Kumar, Member Secretary, HSPCB was of opinion that latitude and longitude of the area in question will be quite helpful in identification of mining area during the site visit.
6. Shri Vijay Gupta, Member SEIAA, Haryana was also of opinion that Geo Coordinates is quite helpful for deciding actual mining area and the Star Mines should have geofencing of the permitted mining area.

The chairman of Committee has instructed that the concerned departments shall have all relevant documents, maps and equipments during the site visit. March 10th, 2023 has been decided for the site visit in consensus of all the Committee Members.

Meeting ended with vote of thanks to and from Chair.

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 15.02.2022 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथा कोसली खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

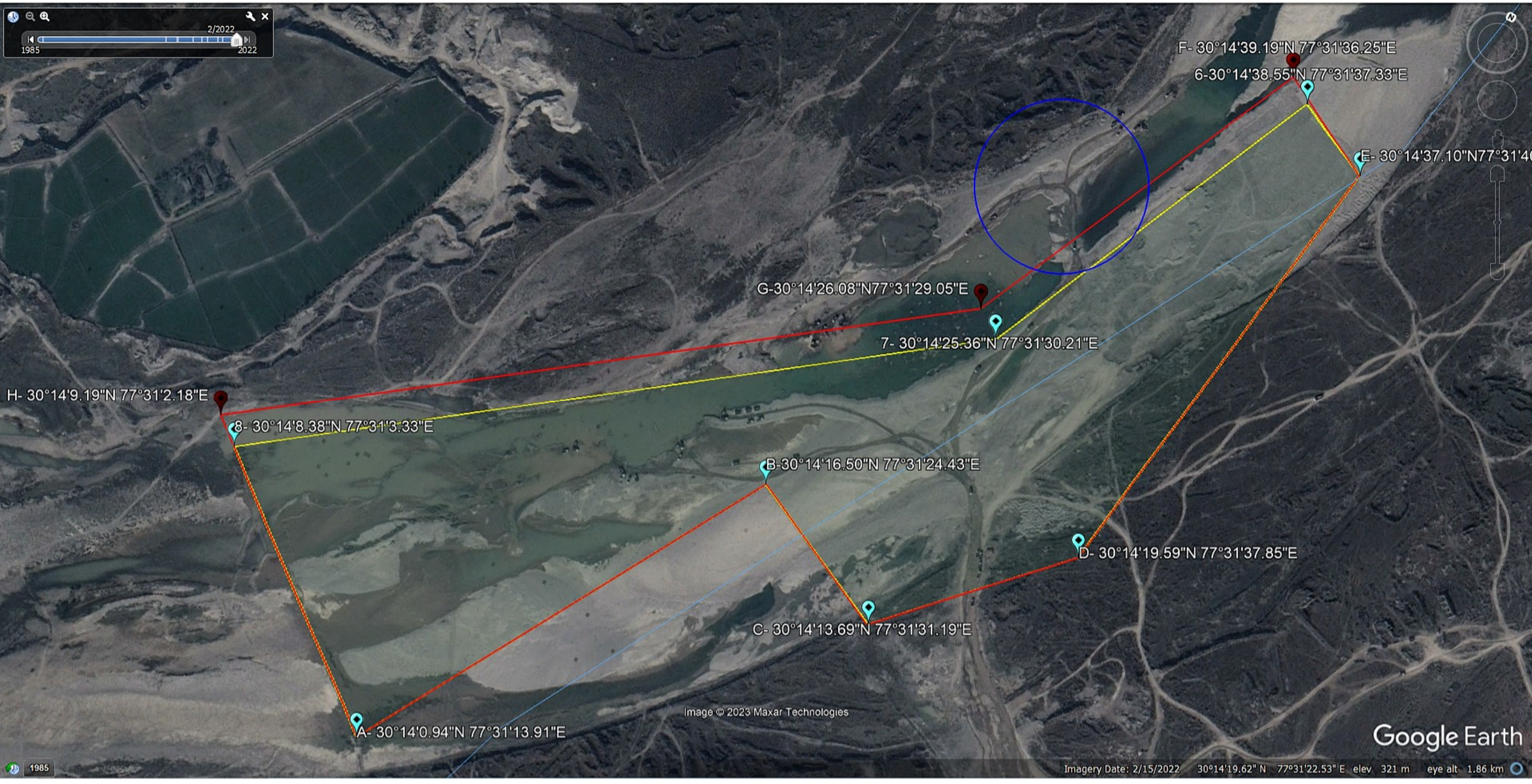

खनन क्षेत्र से बाहर हरियाणा साईड में मशीन से खनन होना दिख रहा है व नीले रंग के गोले में यमुना नदी की धारा को बन्द कर रास्ता बनाया गया है ट्रक नजर आ रहे है।

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 15.02.2022 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथा कोरली खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

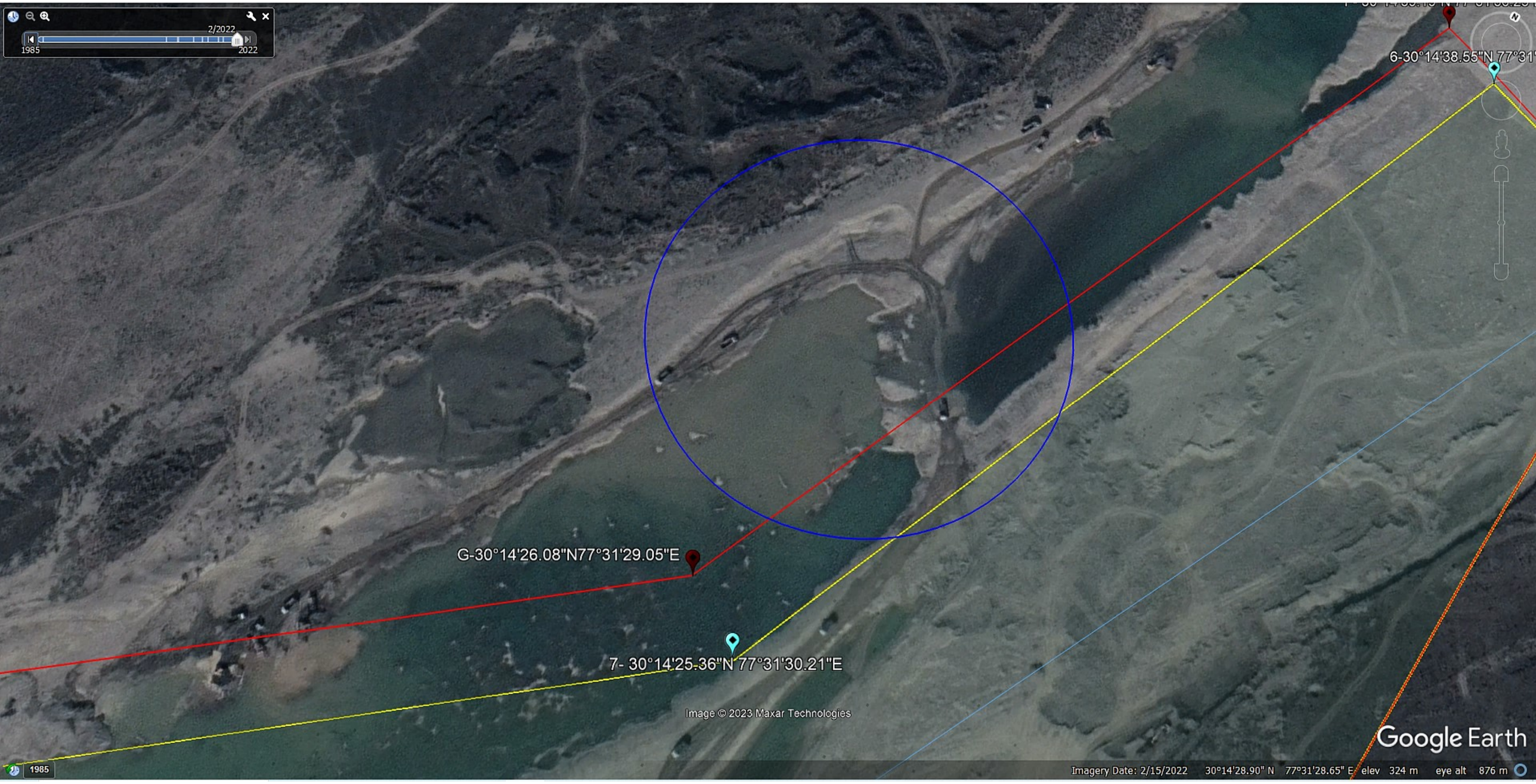

खनन क्षेत्र से बाहर हरियाणा साईड में मशीन से खनन होना दिख रहा है व नीले रंग के गोले में यमुना नदी की धारा को बन्द कर रास्ता बनाया गया है ट्रक नजर आ रहे है।

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 25.11.2021 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथ की खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

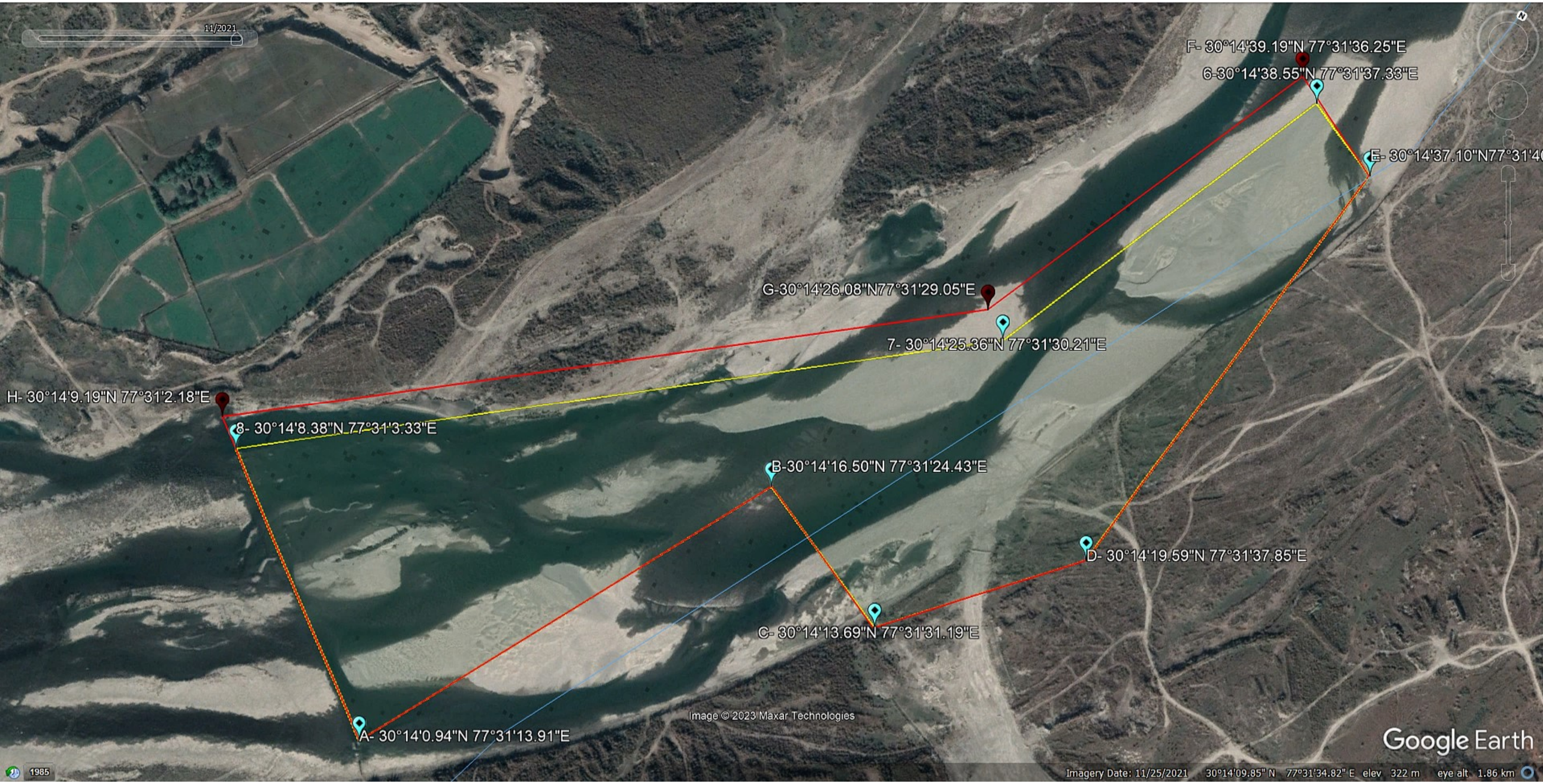

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 04.12.2019 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथली खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 30.11.2018 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथा कोरसी खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

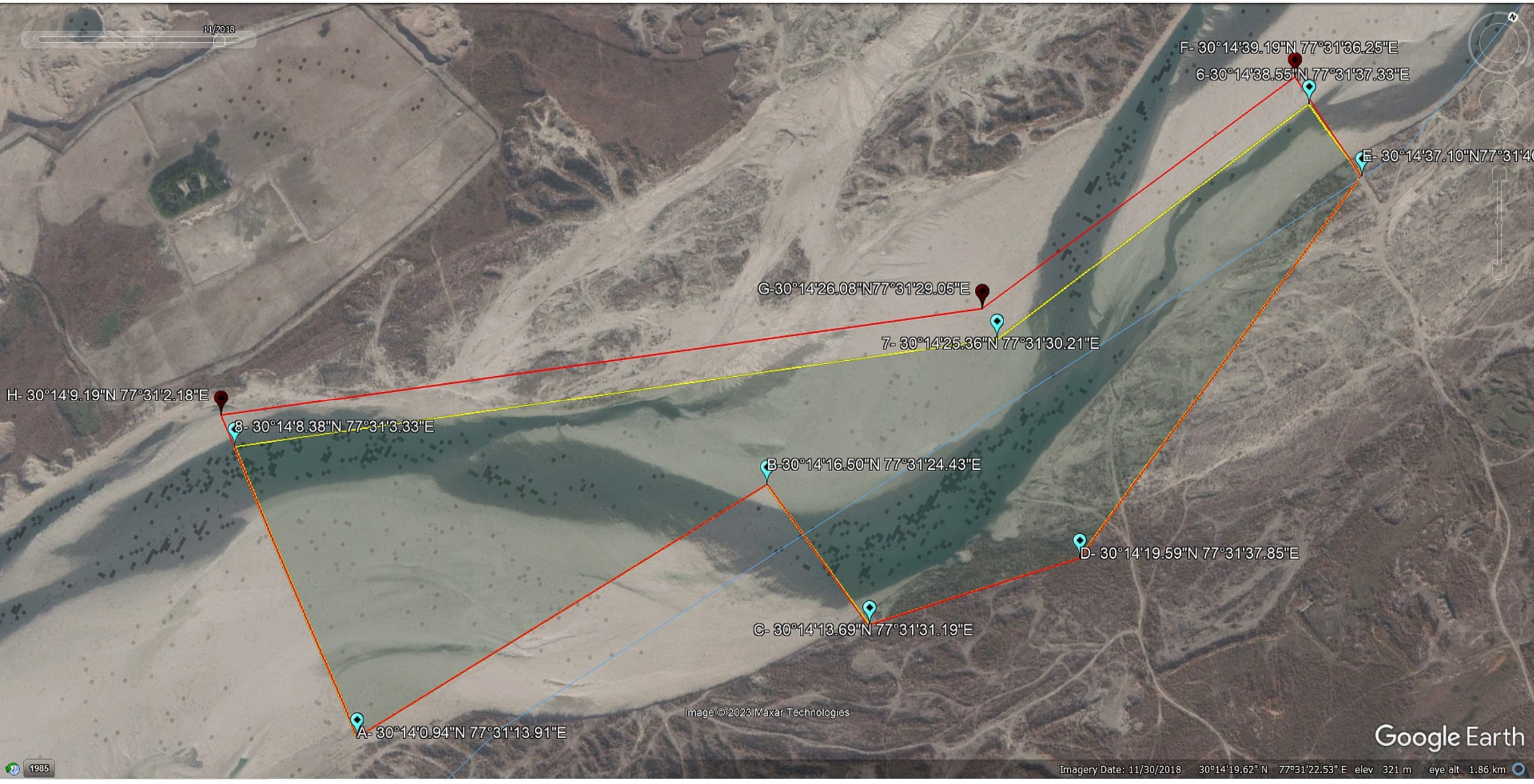

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 09.12.2018 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथी कोरसी खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

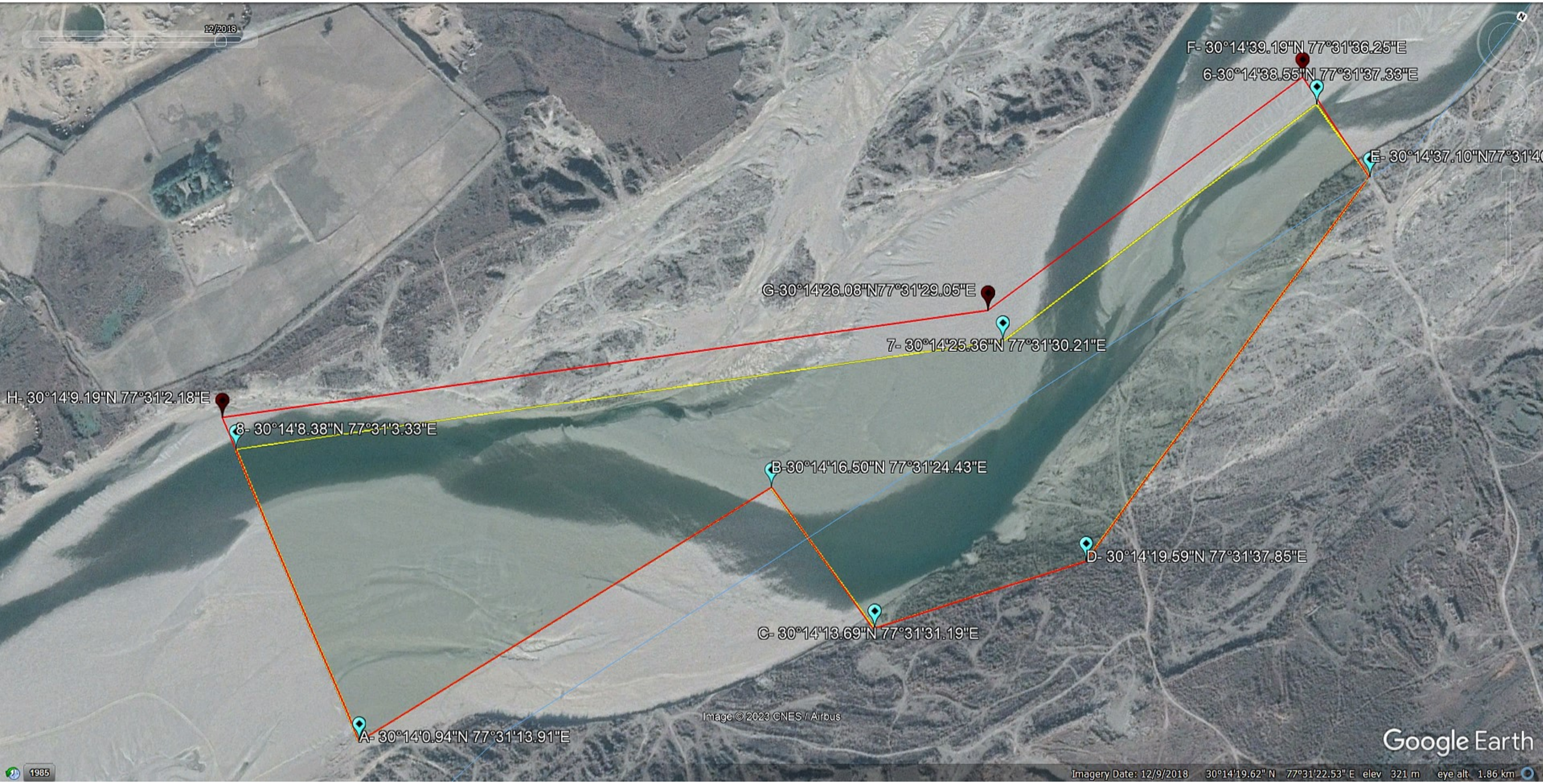

गूगल अर्थ नक्शा दिनांक 23.12.2016 मै0 स्टार माईन्स ग्राम बरथा का खनन क्षेत्र नीलाम नोटिस के अनुसार पीले रंग से व ई0सी0 व खनन पटटे के अनुसार लाल रंग से दिखाया गया है। पूर्ण खनन क्षेत्र में लगातार जल धारा बहती है और जल धारा में खनन प्रतिबन्धित है।

Item Nos. 06 & 07 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 692/2022
(I.A. No. 228/2022)

Junaid Ayubi Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondent(s)

WITH

Original Application No. 442/2022

Junaid Ayubi Applicant

Versus

State of Uttarakhand Respondent(s)

Date of hearing: 30.01.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Ajit Sharma, Advocate

Respondents: Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & Garhwal Mandal Vikas Nigam
Mr. Mukesh Verma, Advocate for UKPCB

ORDER

1. This order will deal with the above two applications which have been filed in respect of similar violations of norms in river bed mining of sand, bajri and boulder at two different locations at Vikasnagar, District Dehradun, Uttarakhand. In both matters, mining leases are in favour of Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN) but mining rights further transferred to two different private contractors – Vinod Negi and Manoj Joshi, though EC remains in the name of GMVN which is one of main

illegalities, apart from mining being in the riverbed, which is not permissible. There is also issue of compliance of directions of the Hon'ble Supreme Court in *Rural Litigation & Entitlement Kendra v. State of U.P & Ors.,* (1989 Supp 1 SCC 504 whereby mining was prohibited in doon valley area.

The issue – applicant's case

2. In O.A. No. 442/2022, the matter relates to lot no. 21/3 (10.350 hectares) for which LOI was issued to GMVN by the State Government on 23.01.2013. O.A. No. 692/2022 relates to lot no. 21/1 (123 hectares) at villages Dakpathar, Nawabgarh, Mandi Gangbhewa & Bhimawala, Tehsil Vikasnagar, District Dehradun located on the river bed of River Yamuna. It appears that there are 83 lots in Dehradun District where mining has been permitted.

Orders of Tribunal dated 19.7.2022 and 27.9.2022

3. O.A. No. 442/2022 was first considered by the Tribunal on 19.07.2022. A joint Committee comprising Regional Office, MoEF & CC at Dehradun, SEIAA, Uttrakhand, Director, Department of Geology and Mines, Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Dehradun was constituted to give factual and action taken report in the matter. The Committee was to verify facts by undertaking site visit. The grievance of the applicant was summed up as follows:-

> *"2. The applicant has submitted that mining rights for mining in Revenue areas of Garhwal were exclusive given to Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN). State Government issued LOI dated 23.01.2013 to GMVN for getting Environmental Impact Assessment of 83 lots, including lot no. 21/3 (10.350 Hectares) falling in Yamuna River, in District Dehradun conducted. Subsequently, lot no. 21/3 was modified on 10.04.2016 as per survey dated 14.09.2012 which was found fit for mining. Thereafter, in the Year 2013 application for environmental clearance was submitted. On 03.03.2015 mining plan of lot no. 21/3 comprising khasra no. 1, 2 K and 618 in Village Dhakrani and kasra no. 1 in village Mandi Gangbhewa measuring 68.364 hectares was approved. The same was consented to by MoEF*

& CC on 07.09.2016. ***When longitudes and latitudes mentioned in the consent were marked on google earth one point was falling in khasra no. 971 of village Dhakrani in Uttarakhand and other point was falling in village Manpur Dewra in Himachal Pradesh with 20 percent area falling in Uttarakhand and 80 percent area falling in Himachal Pradesh. On 03.01.2017 mining lease was granted to GMVN for above said lot no 21/3 which was after tender process allotted to Vinod Negi on 24.08.2020. After commencement of the mining operations, GMVN and the contractors have raised the question of border dispute to avoid payment of installments to the State of Uttarakhand while mining is being done continuously. There is no environmental clearance for the mining site which has been leased out as the place for which environmental clearance was given falls at the distance of 2 kilometers in the State of Himachal Pradesh. Illegal mining is being done in collusion with the concerned officials which is causing environmental degradation and loss of revenue to the State Exchequer.*** *The Project Proponent is liable to pay environmental compensation on the grounds that there is no environmental clearance for the mining site which has been leased out; no CTE/CTO has been obtained from the Uttarakhand Pollution Control Board; consent for drawing ground water has not been obtained; EC conditions have been violated as no trees have been planted and boundary pillars and CCTV cameras have not been installed; mining is being done beyond permitted depth of 1.5 meters and also in the river stream resulting in diversion of river course and mined sand is being transported in over loaded trucks without actual transported quantity being recorded in 'rawana parchi' (transportation passes)."*

4. Thereafter O.A. No. 692/2022 was taken up on 27.09.2022. Response was sought from the PP, Geology & Mining Department, Uttarakhand as well as Garhwal Mandal Vikas Nigam and the matter was directed to be put up along with O.A. No. 442/2022. The applicant was required to serve the PP and file affidavit of service. Accordingly, the applicant filed affidavit of service. The grievance of the applicant was summed up as follows:-

"2. According to the applicant, ***EC has been transferred by Garwahl Mandal Vikas Nigam without following the laid down procedure. MoU dated 01.02.2021 has been executed in favor of the PP without change of name of PP on the EC. Part of the mining area is in Himachal Pradesh where Uttarakhand Authority cannot grant permission for mining. Since mining is involved in a cluster, procedure for cluster EC is required to be followed which has not been done. EC dated 17.08.2016 has expired as more than five years have passed. Single EC has been granted for two mines which is not permissible. No joint***

DSR has been prepared for mining near inter-state boundary, as required."

Factual report dated 31.10.2022 by joint Committee

5. Report of the joint Committee was filed in O.A. No. 442/2022 on 31.10.2022. It mentions that lease was granted in favour of GMVN, Dehradun on 03.01.2017 for mining for five years and EC was granted on 07.12.2016. National Board for Wildlife (NBWL) also granted permission on 30.11.2018. State PCB granted consent to operate on 07.04.2022 for one year. Mining Department approved mining upto 600000 tonnes. In pursuance of order of the High Court at Nainital dated 20.09.2021 in arbitration proceedings between GMVN and its sub lessee in A.0. No. 179/2021, quantity proposed to be excavated as per MoU entered into with the sub lessee, Mr. Mukesh Joshi, which was higher than the quantity permitted in the EC granted by the Central Government, was agreed to be reduced. GMVN has entered into another MoU with Vinod Negi of Village Mayali, District Rudraprayag, in respect of lot no. 21/3. The mining sites are in the river bed. Tehsildar has recovered compensation of about Rs. 1 crore for extra illegal mining.

Stand of GMVN, the project proponent

6. GMVN has filed reply in O.A. No. 442/2022 to the effect that mining is in the river bed of Yamuna for lot no. 21/3 which was allotted by Uttarakhand Government for which EC has been granted by MoEF&CC in favour of GMVN. GMVN has given permission for extracting minerals to Mukesh Joshi on the basis of the tender under a MoU which includes a condition of compliance of EC conditions. With regard to lot no. 21/1 (which is subject matter of OA 692/22) also EC has been granted. Common DSR has been prepared by the District Administration in respect of both the leases, as per requirement of Notification dated 15.01.2016.

7. **No reply has been filed by contractors Vinod Negi and Manoj Joshi nor they have entered appearance.** The joint Committee has visited the site and both the PPs are thus fully aware of the proceedings. Further, as per affidavit of service filed in OA No. 692/2022, the PPs have been duly served and affidavit of service filed by the applicant on 14.10.2022. Thus, principles of natural justice have been duly complied with.

Objections of the Applicant to the report of the joint Committee

8. The applicant has filed objections to the report of the joint Committee on 11.01.2023 to the effect that EC conditions are not being followed. EC is for State of Himachal Pradesh on the basis of which illegal mining is being done in Uttarakhand as confirmed by Google Image. This fact has not been mentioned by the joint Committee. Mining is also being done in lot no. 21/2 without EC. The applicant has annexed copy of the letter of MoEF&CC dated 28.02.2022 addressed to GMVN with regard to consideration of compliance of EC conditions, submitted by GMVN, in respect of lot no. 21/3. The letter mentions serious violation of EC condition by way of undertaking mining in excess of permitted quantity. The MoEF&CC has also sought copy of Wildlife Clearance, CTE/CTO, replenishment study, report of internal monitoring, report of health survey and other details.

Consideration by the Tribunal

9. We have heard learned Counsel for the applicant and those appearing for the GMVN, State and PCB and perused the available record with their assistance.

10. Questions for consideration are noted in earlier orders dated 19.7.2022 and 27.9.2022 reproduced in paras 3 and 4 above and have also

emerged from the record during the hearing. It is validity of transfer of mining rights contractors Vinod Negi and Manoj Joshi respectively by MOU though EC is in favour of GMVN which could not be transferred without requisite permission in view of mandate of Para 11 of the EIA Notification dated 14.09.2006. Area is partly in Uttrakhand and partly in Himachal Pradesh but inter-state boundary and cluster procedure laid down in notification dated 15.1.2016 has not been followed. EC is by one State while mining is taking place in another State. In respect of lot No.21/2 there is no EC. Mining is in river bed contrary to sustainable mining norms. Notification dated 14.02.2022 issued by the MoEF&CC prohibits any industry, which includes mining in river floodplain. The same is reproduced below:-

> *"5. xxx ……xxx……xxx*
>
> *"Industries shall not be located within the river flood plain corresponding to one in 25 years flood, as certified by concerned District Magistrate/Executive Engineer from state water resource Deptt. or any other officer authorised by State Govt. for this purpose."*

11. Inspite of opportunity given, GMVN has not been able to rebut the contentions of the applicant on facts nor dispute the legal position that without transfer of EC as per para 11 of EIA notification dated 14.9.2006, mining rights cannot be transferred as has been done which by itself is sufficient ground to stop mining being permitted to Manoj Joshi and Vinod Negi under MOU from GMVN. Further, mining in lot No.21/2 is without EC and in lot 21/3 EC is by HP while mining is in Uttrakhand while in 21/1, mining is by for Uttrakhand but it is also taking place in HP. No inter state border or cluster procedure is shown to have been followed in terms of Sustainable mining guidelines of MoEF&CC. Mining is in floodplain zone which is not permissible.

12. It is well known that there is huge degradation of environment on account of unregulated sand mining remains which is otherwise lucrative activity. It poses threat to bio-diversity, destroys riverine vegetation, causes erosion, pollutes water sources, badly affects riparian ecology, damages ecosystem of rivers, safety of bridges, weakens riverbeds, causes destruction of natural habitats of organisms living on the riverbeds, affects fish breeding and migration, spells disaster for the conservation of bird species, increases saline water in the rivers. It has direct impact on the physical habitat characteristics of the rivers such as bed elevation, substrate composition and stability, in-stream roughness elements, depth, velocity, turbidity, sediment transport, stream discharge and temperature. Increase in demand of sand has placed immense pressure in the supply of sand resource and mining activities were going on illegally as well as legally without requisite restrictions. Lack of proper planning and sand management disturbs marine ecosystem and upset the ability of natural marine processes to replenish the sand. The Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar, (2012) 4 SCC 629 noted need to permit only sustainable mining with strict regulatory measures including restoration of the area after closing of mines. It was noted that **in-stream mining lowers the stream bottom of rivers which may lead to bank erosion**. Depletion of sand in the stream bed causes deepening of rivers which may result in destruction of aquatic and riparian habitats. It has impact on stream's physical habitat characteristics.

13. *In State (NCT of Delhi) v. Sanjay, (2014) 9 SCC 772*, at page 790, it was observed :

> ***"32.*** *The policy and object of the Mines and Minerals Act and Rules have a long history and are the result of an increasing awareness of the compelling need to restore the serious ecological imbalance and to stop the damages being caused to the nature. The Court cannot lose sight of the fact that* ***adverse and destructive environmental***

impact of sand mining has been discussed in the UNEP Global Environmental Alert Service Report. As per the contents of the Report, lack of proper scientific methodology for river sand mining has led to indiscriminate sand mining, while weak governance and corruption have led to widespread illegal mining. While referring to the proposition in India, it was stated that sand trading is a lucrative business, and there is evidence of illegal trading such as the case of the influential mafias in our country.

33. The mining of aggregates in rivers has led to severe damage to rivers, including pollution and changes in levels of pH. Removing sediment from rivers causes the river to cut its channel through the bed of the valley floor, or channel incision, both upstream and downstream of the extraction site. This leads to coarsening of bed material and lateral channel instability. It can change the riverbed itself. The removal of more than 12 million tonnes of sand a year from Vembanad Lake catchment in India has led to the lowering of the riverbed by 7 to 15 cm a year. Incision can also cause the alluvial aquifer to drain to a lower level, resulting in a loss of aquifer storage. It can also increase flood frequency and intensity by reducing flood regulation capacity. However, lowering the water table is most threatening to water supply exacerbating drought occurrence and severity as tributaries of major rivers dry up when sand mining reaches certain thresholds. Illegal sand mining also causes erosion. Damming and mining have reduced sediment delivery from rivers to many coastal areas, leading to accelerated beach erosion.

34. The Report also dealt with the astonishing impact of sand mining on the economy. It states that tourism may be affected through beach erosion. Fishing, both traditional and commercial, can be affected through destruction of benthic fauna. Agriculture could be affected through loss of agricultural land from river erosion and the lowering of the water table. The insurance sector is affected through exacerbation of the impact of extreme events such as floods, droughts and storm surges through decreased protection of beach fronts. The erosion of coastal areas and beaches affects houses and infrastructure. A decrease in bed load or channel shortening can cause downstream erosion including bank erosion and the undercutting or undermining of engineering structures such as bridges, side protection walls and structures for water supply.

35. Sand is often removed from beaches to build hotels, roads and other tourism-related infrastructure. In some locations, continued construction is likely to lead to an unsustainable situation and destruction of the main natural attraction for visitors—beaches themselves. Mining from, within or near a riverbed has a direct impact on the stream's physical characteristics, such as channel geometry, bed elevation, substratum composition and stability, instream roughness of the bed, flow velocity, discharge capacity, sediment transportation capacity, turbidity, temperature, etc. Alteration or modification of the above attributes may cause hazardous impact on ecological equilibrium of riverine regime. This may also cause adverse impact on instream biota and riparian habitats. This disturbance may also cause changes in channel configuration and flow paths

…..Today, demand for sand and gravel continues to increase. Mining operators, instead of working in conjunction with cognizant resource agencies to ensure that sand mining is conducted in a responsible manner, are engaged in full-time profiteering. Excessive in-stream sand and gravel mining from riverbeds and like resources causes the degradation of rivers. In-stream mining lowers the stream bottom, which leads to bank erosion. Depletion of sand in the stream-bed and along coastal areas causes the deepening of rivers and estuaries and enlargement of river mouths and coastal inlets. It also leads to saline water intrusion from the nearby sea. The effect of mining is compounded by the effect of sea level rise. Any volume of sand exported from stream-beds and coastal areas is a loss to the system. Excessive in-stream sand mining is a threat to bridges, river banks and nearby structures. Sand mining also affects the adjoining groundwater system and the uses that local people make of the river. Further, according to researches, in-stream sand mining results in the destruction of aquatic and riparian habitat through wholesale changes in the channel morphology. The ill effects include bed degradation, bed coarsening, lowered water tables near the stream-bed and channel instability. These physical impacts cause degradation of riparian and aquatic biota and may lead to the undermining of bridges and other structures. Continued extraction of sand from riverbeds may also cause the entire stream-bed to degrade to the depth of excavation."

14. We find from the record that the project falls in Doon Valley Eco-Sensitive Area (as per para 2 of Minutes of 21st Meeting of EAC dated 26-28th October, 2020) where mining was prohibited by the Hon'ble Supreme Court vide judgment dated 30.8.1988 in *Rural Litigation & Entitlement Kendra v. State of U.P & Ors.,* (1989 Supp 1 SCC 504. Further, as per EC dated 17.08.2016, para 5, the project lies in the Doon Valley Aasan Wetland Conservation Reserve. The EC letter dated 17.08.2016 further shows that the site of mining is within the Yamuna river bed.

15. In view of above, it is safe to conclude that mining in lots 21/1, 21/2 and 21/3 is illegal. Transfer of mining rights by GMVN to Manoj Joshi and Vinod Negi are without transfer of EC, in violation of EIA notification dated 14.9.2006, issued under EP Act, 1986.

16. Accordingly, we allow these applications and direct closing of mining in above areas forthwith. Joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, Dehradun may assess and recover compensation on polluter

pays principle for illegal mining, following due process which may be utilized for scientific closure of the mining activities as per Mine Closure Plan and other norms. We have noted that as per EC conditions for lot No. 21/1, 356 trucks per day with 10 tonnes of mined material (equal to 3560 tonnes per day) is allowed. Even if the value of mined material is taken at Rs. 1000 per ton, it will amount to Rs. 35 Lakhs per day for 3560 tonnes and roughly 100 crores per year. Data in respect of other lots has to be compiled. Actual figure may be worked out by the Committee. Since contractors to whom mining rights have been transferred by GMVN have not appeared and may also be affected, irrespective of their independent rights to contest the proceedings, we give them liberty to move this Tribunal, if they are so aggrieved.

The applications are disposed of.

Copy of this order be forwarded to CPCB, State PCB and District Magistrate, Dehradun by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 30, 2023
Original Application No. 692/2022
(I.A. No. 228/2022)
& Original Application No. 442/2022
SN & DV

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 446/2022

IN THE MATTER OF:

Balwinder Kumar .....Applicant

Versus

State of Haryana And Others .....Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDNET NO.1 AND 3

Most Respectfully showeth:-

1. That the present reply has been filed though Sh. Mukul Kumar (I.A.S), Director Mines & Geology department, Haryana who is authorized and competent to file the same on behalf of Respondent No.1 and Respondent No.3 (Department of Mines & Geology, Haryana).

2. That vide order dated 02.01.2023, this Hon'ble Tribunal directed the joint committee to look into the allegations related to running of screening plants in violations of environmental norms and also to verify the facts with regards to consent status and compliance with environmental norms by the screening plants in question and submit its report.

3. That Assistant Mining Engineer Yamunanager, Mines and Geology Department Haryana has submitted its report copy of which is annexed herewith as **Annexure A-1.**

   In the report the Assistant Mining Engineer Yamunanager, has intimated that in compliance of orders of Hon'ble NGT dated 02.01.2023 in OA No.446 of 2022 Balvinder Singh Vs State of

Haryana, the team of his office inspected the screening plants and stone crushers. The present status of these plants/ stone crusher is as under:-

Sr. No	Name of Screening Plant/ Crusher	Status
1.	M/s Jai Shree Ram Screening Plant	Operational
2.	M/s Dev Bhoomi Screening Plant	Closed
3.	M/s Jai Maha Luxmi Screening Plant	Closed
4.	M/s Shivalik Stone Crusher	Operational
5.	M/s Jai Santoshi Maa Screening Plant	Closed

It was also intimated by Assistant Mining Engineer Yamunanager that sporadic incidents of illegal mining by the local villagers were reported by the local gram Panchayat. Immediately after receipt of complaints, the mining department reported the matter to P.S Partap Nagar for registration of FIR's. However, no incident of organized illegal mining was reported. The FIR lodged at P.S. Pratap Nagar are as under:

SR No	FIR No.	Dated	U/s	Complaint for FIR given by	Remarks
1	46	14.04.2017	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
2	73	24.05.2017	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
3	80	06.06.2017	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
4	125	15.08.2017	21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
5	126	15.08.2017	21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
6	130	20.08.2017	21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
7	136	24.08.2017	21.4 (1) Mining Act	BDPO	
8	180	11.10.2017	21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
9	181	12.10.2017	21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
10	15	17.02.2018	21.4 (1) Mining	Mining	On

			Act	Department	complaint of BDPO
11	19	26.02.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
12	88	29.05.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
13	89	29.05.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
14	90	30.05.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
15	102	08.06.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
16	121	15.07.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	
17	166	20.09.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
18	180	22.10.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
19	184	25.10.2018	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	Mining Department	On complaint of BDPO
20	25	23.02.2019	379 IPC 21.4 (1) Mining Act	BDPO	
21	105	16.08.2019	186,353,379 IPC 21.4(1) Mining Act	Mining Department	
22	162	25.11.2019	186,353,379 IPC 21.4(1) Mining Act	BDPO	

It is also pertinent to mention here that the department auctioned the minor mineral mines at village Bhood Kalan, Bhood Majra and Kohliwala through e-auction as per details given below:-

Sr No	Blocks Name	Area (In Hect.)	Annuaal Capacity in Lac. MT	Date of LoI	Date of Start Mining	Status
1	Bhood Kalan Block YNR B19	12.62	2.59	19.06.2015	16.06.2016 Now start on 25.02.2019	Terminated Dt. 14.07.2022
2	Bhood Majra Block YNR B20	9.95	2.00	19.06.2015	12.08.2016 Now start on 25.02.2019	Terminated Dt. 14.07.2022
3	Kohliwala Block YNR B21 & 22	13.59	2.50	19.06.2015	11.08.2016	Terminated Dt.10.12.2021

He further stated that to prevent illegal mining, a police post on the direction of Worthy Chief Secretary have been installed in nearby Belgarh Crusher Zone. In addition, seven check posts have also been installed at various points in District Yamunanagar. Officials of mining department and Police department keep regular checks of Vehicles carrying mineral. Vehicles carrying illegally mined mineral or transportation of mineral illegally are seized immediately. Further, independent teams of police and mining are also keeping regular checks on illegal mining through surprise visits. In district Yamuna Nagar, there were 1615 vehicles were seized in illegal mining and illegal transportation since from August 2019 till Feb 28, 2023 and vehicles released out of these vehicles have paid Rs. 17,90,65,142/- as environmental compensation and Rs. 1,45,59,880/- was recovered as Royalty, Price of mineral and fine and a total of 145 FIR were also registered from August 2019 till Feb 28, 2023.

4. That it is also informed that the State Government has also constituted "District Level Task Force Committee" headed by Chairman cum Deputy Commissioner of district concerned and State Level Task Force Committee headed by Chief Secretary to Government of Haryana to review the action taken against the incidents of illegal mining. Monthly meeting of District Level Task Force Committee headed by Chairman cum Deputy Commissioner, Yamunanagar is held regularly as to review the status of legal mines and illegal mining in district Yamunanagar. Other members of the DLTF committee are Superintendent of Police, Yamuna Nagar, Divisional Forest Officer, Regional Officer, HSPCB, Irrigation Department, District Revenue Officer, Deputy Excise & Taxation Commissioner (S.T.), District Mining Officer (Member Secretary) and Regional Transport Officer,

Last such meeting was held on 14.02.2023.

It is humbly submitted that present reply may kindly be taken on record. The directions passed by this Hon'ble Tribunal shall be complied with.

Mukul Kumar.

Date: 22.03.2023 Director
Place: Panchkula Mines & Geology Department, Haryana

VERIFICATION:-

Verified that the contents of Para No. 1 to 4 of the reply are true and correct to the best of my knowledge and information derived from the official record. No part of it is false and nothing material has been concealed therein.

Mukul Kumar.

Date: 22.03.2023 Director
Place: Panchkula Mines & Geology Department, Haryana